

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत
National Judicial Academy, India

वार्षिक प्रतिवेदन
annual report
2010-2011





राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत
National Judicial Academy, India

Annual Report
वार्षिक प्रतिवेदन
2010-2011

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

Contents:

An Introduction to NJA…….....…….	05 - 07
Chairmen of NJA…….....……	08
Directors of NJA…….....….	09
Registrars……....	10
Member Secretaries……....	11
Academic Programmes held at NJA since 2003-04	12
List of NJA Programmes 2010- 11……....	13-22
Report of the Academic Programmes 2010-11…….....	23-59
Administration and Staff :	
Members of NJA Society…….....	60
Governing Council…….....	61
Academic Council…….....	62
Executive Committee…….....	63
Officers of the Academy…….....	64-65
Infrastructure and Support Systems…….....	66-68
Governance of NJA…….....	69
National Judicial Education Strategy - A Status Report……..….	70-77
Audit Report…….....	78-96
Annual Report in Hindi…….....	99-104

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

An Introduction to NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Established in 1993 as an autonomous society under the Societies Registration Act, 1860, the core objectives of National Judicial Academy have been to foster development of National Judiciary in the country and to strengthen administration of justice through judicial education, research and policy formulation. The Academy was dedicated to Nation by the President of India in 2002. Since 2003 there has been a steady increase in the number and types of programmes. Having started with just three programmes during the 2003-04 session with two hundred and eleven participants, it is now a total of four hundred and forty eight programmes with fifteen thousand eight hundred and seventy six participants including those of the programmes held in 2010-11. Having scaled up its activities manifold NJA is gradually moving towards its goal to provide every judge in the country an opportunity to participate in judicial education- at the state level or national level- for at least one week every year.

As the premier institution of the Indian judiciary, NJA has been working towards fulfilling the following five main responsibilities:

(i) Deliver judicial education and training for judges, court staff and other stakeholders in the administration of justice, oriented towards addressing national priorities in justice administration.
(ii) Carry out studies/research on the administration of justice and court management and suggest improvements.
(iii) Generate and disseminate knowledge on administration of justice and court management.
(iv) Promote highest standards of professional competence and practice amongst judicial officers and court staff.
(v) Make NJA a world class centre of excellence in judicial education, training and knowledge in judicial science.

To achieve the above objectives the Academic Council of NJA, chaired by the Hon'ble Chief Justice of India (the Chairman of NJA), adopted in October 2006, the National Judicial Education Strategy (NJES). The main purpose behind formulating this strategy has been to establish a clear framework for National Judicial Education for the country, and also to ensure clear division of work between National Judicial Academy and State Judicial Academies. The Strategy sets the goal of Judicial Education as enhancing timely justice through delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice.

Working in pursuance of the NJES, the annual calendar of NJA is developed to address every aspect of the judicial system, namely- the system, the individuals (the judges), the function of the judiciary- adjudication, and the social impact of the system. The calendar meeting receives participation from all the High Courts and the calendar is developed taking into account views and opinions of all the High Courts.

A brief overview of the National Judicial Education Strategy is given for ready reference:

NATIONAL JUDICIAL EDUCATION STRATEGY (July, 2010) - An Overview

I. Vision

Judicial education enhances timely justice – delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice.

"Justice" means, in this context, conduct consistent with Constitutional values.

II. Mission

The central mission of judicial academies is to enhance the excellence of the judicial system through judicial education, research and policy development, so as to enhance timely justice.

To this end, judicial academies should, according to the 117th Law Commission of India on Judicial Officers Training, (a) equip judges with tools to execute their work; and (b) endow them with vision as to what is expected of the system they serve.

In the context of the changed Constitutional role of the judiciary, judicial education must also promote the application of Constitutional values in adjudication.

III. Strategy

A. Help evolve and disseminate a common national vision on six key issues:

1. Expectations of the judicial system;
2. "Excellence of the judicial system" based on the ROKMMA framework (see below);
3. "The Constitutional Vision of Justice" that should guide judging
4. A framework for measuring the "social impact" of Courts
5. Quality framework
6. Monitoring Indicators

B. Organize and deliver three types of academic programmes:

(i) for strengthening **individual j**udges (enhancing their qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK) ("supply side");

(ii) for strengthening the **judicial system** (see above) ("supply side"); and

(iii) for enhancing the **social impact of the judicial system,** focusing on priority areas of national and social development ("demand side")

IV. Impact Evaluation

The impact of NJA programmes may be measured against the three sets of objectives: first, enhancing timeliness; second, enhancing the quality of adjudication; and third, institutional change to strengthen the judicial system.

CHAIRMAN, NATIONAL JUDICIAL ACADEMY



Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
Chief Justice of India

CHAIRMEN OF NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

(Hon'ble Chief Justice of India is ex-officio Chairman of the Academy)

(since incorporation)

S.No.	Names of Hon'ble Chairmen	From	To
1.	Hon'ble Mr. Justice M.N. Venkatachaliah	17.08.1993	24.10.1994
2.	Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi	25.10.1994	24.03.1997
3.	Hon'ble Mr. Justice J.S. Verma	25.03.1997	17.01.1998
4.	Hon'ble Mr. Justice M.M. Punchhi	18.01.1998	09.10.1998
5.	Hon'ble Mr. Justice A.S. Anand	10.10.1998	31.10.2001
6.	Hon'ble Mr. Justice S.P Bharucha	01.11.2001	05.05.2002
7.	Hon'ble Mr. Justice B.N. Kirpal	06.05.2002	07.11.2002
8.	Hon'ble Mr. Justice G.B. Pattanaik	08.11.2002	18.12.2002
9.	Hon'ble Mr. Justice V.N. Khare	19.12.2002	01.05.2004
10.	Hon'ble Mr. Justice S. Rajendra Babu	02.05.2004	31.05.2004
11.	Hon'ble Mr. Justice R.C. Lahoti	01.06.2004	31.10.2005
12.	Hon'ble Mr. Justice Y.K. Sabharwal	01.11.2005	13.01.2007
13.	Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan	14.01.2007	11.05.2010
14.	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia	12.05.2010	till date

DIRECTORS OF THE ACADEMY

S.No.	Name	From	To
1.	Hon'ble Mr. Justice K.N. Saikia, (Director General)	01.05.1995	30.04.1997
2.	Prof. (Dr.) N.R. Madhava Menon	30.09.2003	24.04.2006
3.	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal	13.07.2006	till Date



REGISTRARS OF THE ACADEMY

S.No.	Name	From	To
1.	Mr. H.I. Husain	08.04.2000	21.04.2001
2.	Mr. R.C. Mishra	25.09.2001	24.09.2004
3.	Mr. Jagdish Baheti	17.02.2005	30.06.2007
4.	Mr. A.M. Saxena (Administration)	09.09.2008	30.03.2010
5.	Mr. S.P. Srivastava (Academic)	22.01.2009	till date



Mr. S.P. Srivastava
Registrar (Academic Programmes)

MEMBER SECRETARIES OF THE ACADEMY

(since incorporation)

S.No.	Name	From	To
1.	Mr. M.S.A. Siddiqui	17.08.1993	26.09.1994
2.	Mr. Chandresh Bhushan	27.09.1994	27.04.1998
3.	Mr. Bhanwar Singh	27.04.1998	26.03.1999
4.	Mr. Lal Chand Bhadoo	27.03.1999	19.01.2003
5.	Mr. J.C.S. Rawat	20.01.2003	28.06.2004
6.	Mr. B.M. Gupta	29.06.2004	25.112005
7.	Mr. V.K. Jain	01.12.2005	12.05.2007
8.	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal	13.05.2007	till date

Academic Programmes held at NJA since 2003-2004

Given below is an overview of the academic programmes held since 2003-2004 at the National Judicial Academy. There has been a steady increase in the number of programmes held each academic year paralleled with an equal increase in the number of participants in the programmes

Year	Academic Year (July – June)	Number of Programs	Number of Participants
1	2003-2004	03	211
2	2004-2005	12	570
3	2005-2006	27	771
4	2006-2007	42	1668
5	2007-2008	85 (85 programmes including 12 "One -Off" National Flagship Workshops on Enhancing Timely Justice planned only for this year)	2595 + 876 participants in 12 one-off national workshops Total 3471
6	2008-2009	84 (12 "one-off" National Flagship Workshops not scheduled/held this year)	2559
7	2009-2010	102	3553
8	2010-2011	93	3073

Detailed layout of the Academic programmes held at NJA from July 2010 to May 2011

NJA conducted 93 programmes in the academic year 2010-2011 (July 23, 2010 to May 15, 2011). All programmes scheduled in the Calendar for the year were duly completed.

S/N	Prog. No.	Programme Date	Programme Name	No. of Participants
1. ENHANCE CORE JUDICIAL QUALITIES, ATTITUDES, SKILLS AND KNOWLEDGE OF JUDGES				
1. A. National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Enhancing Core Judicial Qualities, Attitudes, Skills and Knowledge				
1	P-333	July 23-25, 2010	National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Court Case Load and Case Management	25
2	P-334	July 23-25, 2010	National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Time Management	22
3	P-351	September 10-12, 2010	National Judicial Workshop for Subordinate Courts Judges on Stress Management.	23
4	P-361	October 15-17, 2010	National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Strategies for Effective Co-ordination with Bar, Governmental Agencies, Litigants and Witnesses.	27
5	P-365	October 22-24, 2010	National Judicial Workshop for Subordinate Court Judge on Judicial Conduct and Ethics.	25
6	P-374	December 03-05, 2010	National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Judgment Writing and Communication	23

7	P-386	January 21-23, 2011	National Judicial Workshop for Subordinate Court Judge on Enhancing Excellence in Core Judicial Skills.	24
8	P-393	February 11-13, 2011	National Judicial Workshop for Subordinates Court Judges on Management and Administration Skills for District Judges.	22
9	P-402	March 11-13, 2011	National Judicial Workshop for Subordinate Courts Judges on Alternative Disputes Resolution Skills.	27
10	P-411	April 08-10, 2011	National Judicial Workshop for District Judges on Leadership Skills.	21

1. B. National Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges				
11	P-338	July 31-August 04, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	21
12	P-345	August 20-24, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	23
13	P-362	October 15-19, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	21
14	P-368	November 12-16, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	24
15	P-371	November 19-23, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	27
16	P-380	December 17-21, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	11
17	P-387	January 21-25, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	23
18	P-405	May 13-17, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	21
19	P-408	April 01-05, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	19
20	P-416	April 22-26, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs	19

1. C. National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges				
21	P-341	August 06-17, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	54
22	P-349	September 03-14, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	53
23	P-357	October 01-12, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	57
24	P-369	November 12-23, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	54
25	P-375	December 03-14, 2010	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	52
26	P-383	January 07-18, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	58
27	P-394	February 11-22, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	48
28	P-400	March 04-15, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	51
29	P-409	April 01-12, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	48
30	P-420	May 06-17, 2011	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges.	52
1. D. National Judicial Excellence Enhancement Programme				
31	P-335	July 23-29, 2010	JEEP (First Visit)	69
32	P-403	March 17-23, 2011 (postponed to May 6-12, 2011)	JEEP (Second Visit)	58

2. STRENGTHENING THE JUSTICE SYSTEM				
2.A. National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management				
33	P-348	September 03-05, 2010	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	31
34	P-354	September 17-19, 2010	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	31
35	P-359	October 08-10, 2010	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	32
36	P-364	October 22-24, 2010	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	27
37	P-377	December 10-12, 2010	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	26
38	P-392	February 11-13, 2011	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	28
39	P-401	March 11-13, 2011	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	25
40	P-410	April 08-10, 2011	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	27
41	P-415	April 22-24, 2011	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	25
42	P-422	May 13-15, 2011	National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load and Case Management.	27

2.B. Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication				
43	P-346	August 27-29, 2010	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (East Zone - Calcutta, Chattisgarh, Gauhati, Jharkhand, Patna, Orissa, Sikkim)	95
44	P-355	September 24-26, 2010	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (North Zone - Delhi, Punjab & Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir)	81
45	P-366	October 29-31, 2010	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (West Zone - Bombay, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh)	100
46	P-372	November 26-28, 2010	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (South Zone - Andhra Pradesh, Karnataka, Madras, Kerala)	92
47	P-388	January 28-30, 2011	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (East Zone - Calcutta, Chattisgarh, Gauhati, Jharkhand, Patna, Orissa, Sikkim)	84
48	P-397	February 25-27, 2011	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (North Zone - Delhi, Punjab & Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir)	88
49	P-406	March 25-27, 2011	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (West Zone - Bombay, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh)	93
50	P-417	April 29-May 01, 2011	Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication (South Zone - Andhra Pradesh, Karnataka, Madras, Kerala)	93

2.C. National Meeting of State Judicial Academies				
51	P-350	September 10-12, 2010	NJA National Meeting of State Judicial Academies: Induction Programmes: Objectives, Methodology and Results.	21
52	P-367	November 12-14, 2010	NJA National Meeting of State Judicial Academies: Continuing Judicial Education Programmes: A Critical Appraisal.	19
53	P-382	January 07-09, 2011	Nja National Meeting of State Judicial Academies: Core Curricula of State Judicial Academies.	19
54	P-396	February 18-20, 2011	NJA National Meeting of State Judicial Academies: Research Programmes.	17
55	P-407	April 01-03, 2011	NJA National Meeting of State Judicial Academies: Development of Judicial Education: Issues and Challenges.	20
3. ENHANCING SOCIAL IMPACT OF THE JUSTICE SYSTEM				
3. A. National Judicial Seminars for Subordinate Court Judges on Development of Law in Key Areas				
56	P-339	August 06-08, 2010	National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Law, Poverty and Social Justice	23
57	P-344	August 20-22, 2010	National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Role of Alternative Disputes Resolution in Adjudication.	23
58	P-353	September 17-19, 2010	National Judicial Seminar for Subordinate Courts Judges on Human Rights under the Constitution of India.	23
59	P-373	December 03-05, 2010	National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Enhancing Timely Justice.	26
60	P-376	December 10-12, 2010	National Judicial Seminar for Developments in Commercial and Economic Law.	25

3.B. National Judicial Seminars on the Role of Subordinate Courts in Meeting Key Social Challenges Facing the Country				
61	P-340	August 06-08, 2010	National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Achieving Constitution Goals of Equality and Social Justice: Contribution of Courts.	25
62	P-347	September 03-05, 2010	National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Strengthening Transparency and Accountability in Governance and Prevention of Corruption: Role of Subordinate Courts	24
63	P-390	February 04-06, 2011	National Judicial Seminar on Protection of Civil Liberties: Role of Subordinate Courts.	24
64	P-395	February 18-20, 2011	National Judicial Seminar on Poverty, Social Exclusion and Social Welfare Programmes: Role of Subordinate Courts.	21
65	P-398	March 04-06, 2011	National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Enhancing Economic Development: Role of courts.	25
3.C. Adjudication Management Programme				
66	P-336	July 30-Aug 02, 2010	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Juvenile Justice Cases.	25
67	P-342	August 13-17, 2010	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Domestic Violence (Aug 15 Holiday will be observed)	23
68	P-356	October 01-04, 2010	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication for Family Disputes.	26

69	P-358	October 08-11, 2010	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Atrocities against Women.	26
70	P-363	October 22-25, 2010	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Large Scale Litigation - MACT Cases and Cases under Section 138, Negotiable instruments Act.	24
71	P-379	December 17-20, 2010	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Sessions Cases and under Special Laws.	26
72	P-381	January 07-10, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases relating to Protection of Environment.	24
73	P-384	January 14-17, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Corruption Cases.	27
74	P-391	February 04-07, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases in Courts of Magistrates.	26
75	P-399	March 04-07, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Commercial and Economic Cases in Subordinate Courts.	25
76	P-413	April 15-18, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases under SC and ST (Prevention of Atrocities) Act.	23
77	P-414	April 22-25, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Civil Cases.	27

78	P-418	May 06-09, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases Concerning Trafficking and Sexual Offences.	23
79	P-421	May 13-16, 2011	National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Constitution Rights and Civil Liberties.	25
National Conferences of High Court Justices				
80	P-337	July 31-Aug 01, 2010	National Conference of High Court Justices on Judicial Administration and High Courts Power of Superintendence: Experience Sharing	31
81	P-343	August 21-22, 2010	National Conference of High Court Justices on Commercial and Economic Law: Current Issues and Challenges.	22
82	P-352	September 18-19, 2010	National Conference of High Court Justices on Terrorism and National Security: Key Challenges and Role of Courts.	25
83	P-360	October 16-17, 2010	National Conference of High Court Justices on Protection of Environment and Natural Resources: Role of Courts.	15
84	P-370	November 20-21, 2010	National Conference of High Court Justices on Contribution of High Courts to Development of Law (January 2009 to Date)	20
85	P-378	December 18-19, 2010	National Conference of High court Justices on Poverty and Social Justices: Key Challenges and Role of Courts.	16

86	P-385	January 22-23, 2011	National Conference of High Court Justices on International and Foreign Law: Emerging Issues.	15
87	P-389	February 05-06, 2011	National Conference of High Court Justice on Contribution of Supreme Court to Development of Law (January 2009 to date)	21
88	P-404	March 05-06 , 2011	National Conference of High Court Justices on Strengthening Governance and Public Administration: Key Challenges and Role of Courts.	22
89	P-412	April 16-17, 2011	National Conference of High Court Justices on Administration of Criminal Justices: Issues and Challenges.	15
90	P-419	May 06-08, 2011	National Conference of Newly Appointed High Court Justices	22
Special Events				
91	SE-1	August 11-15, 2010	Judicial Seminar for Sri Lankan Judges on "Recent Developments in Law"	15
92	SE-2	December 18-23, 2010	Judicial Seminar for Sri Lankan Judges on "Recent Developments in Law"	20
93	SE -3	March 12, 2011	Annual Calendar Meeting	22
			Total	**3073**

Report of the programmes conducted by NATIONAL JUDICIAL ACADEMY during 2010-11

The programmes designed and conducted at National Judicial Academy are aimed at enhancing efficiency, highlighting the problems in access to justice, strategies for reducing delay and reduction of pendency and enhanced accountability of the system.

For the year 2010- 11, NJA conducted ninety three programmes with 3073 participants having been part of the various Conferences, Workshops and Seminars.

Encapsulating the three important objectives, the academic calendar for 2010-11 was prepared keeping these Goals as the core point of reference:

(i) Strengthening **individual j**udges (enhancing their qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK).

(ii) Strengthening the **judicial system** for delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of the system.

(iii) Enhancing the **social impact of the judicial system,** focusing on priority areas of national and social development.

For the Academic Year 2010-11, there were sixteen types of programmes held, ten such programmes were targeted at the judges of the District Judiciary, three types of programme for the High Court Justices, the remaining two were conducted as Special Events for members of the Sri Lankan Judiciary and one, an annual calendar meeting. The table below enumerates the various programmes conducted through the year.

Type of Programme	No of Programmes
ENHANCING CORE JUDICIAL QUALITIES, ATTITUDES, SKILLS AND KNOWLEDGE	
a. National Judicial Workshop For Subordinate Court Judges On Enhancing Core Judicial Qualities, Attitudes, Skills And Knowledge	**10**
b. National Orientation Programme For Newly Appointed Additional District Judges	**10**
c. National Orientation Programme For Newly Appointed Civil Judges	**10**
d. National Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP)	**2**
STRENGTHENING THE JUSTICE SYSTEM	
a) National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load & Case Management	**10**
b) Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication	**8**
c) National Meetings of State Judicial Academies	**5**
d) i. National Conference of High Court Justices on Judicial Administration and High Courts' Power of Superintendence: Experience Sharing ii. National Conference of Newly Appointed High Court Justices	**1** **1**
ENHANCING SOCIAL IMPACT OF THE JUSTICE SYSTEM	
a) National Conference of High court justices	**9**
b) National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Development of Law in Key Areas	**5**
c) National Judicial Seminar on the Role of Subordinate Courts in Meeting Key Social Challenges Facing the Country	**5**
d) Adjudication Management Programme	**14**
SPECIAL EVENTS	
a) Judicial Seminar for Sri Lankan Judges on Recent Developments in Law (August 11to 15, 2010)	**1**
b) Orientation Seminar for Judges from Sri Lanka on Recent Developments in Indian Law (December 18-22, 2010)	**1**
c) Annual Calendar Meeting (March 12, 2011)	**1**

Goal 1. ENHANCING CORE JUDICIAL QUALITIES, ATTITUDES, SKILLS AND KNOWLEDGE

This series of programme encapsulated the following programme types, the detailed report is given as under:

a. National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Enhancing Core Judicial Qualities, Attitudes, Skills and Knowledge
b. National Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges
c. National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges
d. National Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP)

1. a) NATIONAL JUDICIAL WORKSHOP FOR SUBORDINATE COURT JUDGES ON ENHANCING CORE JUDICIAL QUALITIES, ATTITUDES, SKILLS AND KNOWLEDGE

There were ten programmes held under various topics under this particular head, the programme days extended to three days with approximately 20-25 participants. This programme category aimed to analyze and help enhance excellence in core judicial skills that cut across various types of adjudication. The programme covered aspects like judicial method, judgment and decision making, reasoning, Constitutional vision of justice guiding judging, appreciation of facts, statutory interpretation and interpretation of deeds and documents. Pivotal areas of concern like Judicial Conduct and Ethics for Judges, Effective use of ADR and Plea Bargaining for Reduction of Delay and Arrears in Courts, Judgment Writing, Court, Case Load and Case Management and Trial Process Management were some of the issues covered under this porgramme.

P- 333: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Court, Case Load and Case Management (July 23 –25, 2010)

The objective of this programme was to develop specific methodologies to strengthen judicial skills for effective court and case management. The discussions focused on (1) Court Development Plan as a basis of Court Management; (2) Developing a Model Case Management Plan; (3) Developing a Model Case Load Management Plan and (4) The Approach to Court Management, Case and Case Load Management developed by NJA as part of its Planning and Management for Timely Justice.

P- 334: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Time Management (July 23 – 25, 2010)

The purpose of this workshop was to offer an opportunity to judges to share their experience on various tools and techniques used by them for effective management of judicial time. The workshop reviewed the latest approaches to time management and focused on the concept of time management as incorporated in NJA's approach to Planning and Management for Timely Justice (PMTJ). The workshop also worked on linking time management to the court's

accountability for securing the Constitutional Vision of Justice. Discussions through the three day session laid stress on the Key Challenges in Time Management; various aspects of the best practice in Time Management; and the List System in Kerala. Presentations were made on the various aspects of time management, Court Management, Case load & Case Management.
The need to work within the Judicial Hours, Estimating "temporal cost" of cases, ranking and prioritization, measuring efficiency of courts was also highlighted.

P- 351: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Stress Management (September 10 – 12, 2010)

The objective of this workshop was to identify the various reasons of stress amongst judges and to understand how to effectively deal with stress using different stress management techniques. The workshop was also aimed at formulating a programme for State Judicial Academies on stress management. It was understood through various discussions with the participant judges that the real reason for stress is the nature and complexity of the job itself (occupational stress.) The pressure emerges from the very nature of decision making for others and hence, the gravity of the task of judging makes it inherently stressful. After discussing anger management and time management, techniques of stress management was elaborated for the participants which included relaxation exercises like breathing and imagery. The programme concluded with a consensus among participants of the importance of such workshops and the urgent need to conduct these at State Judicial Academies with the help of clinical psychologists and trained judicial officer.

P- 361: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Strategies for Effective Co-ordination with Bar, Governmental Agencies, Litigants and Witnesses (October 15 – 17, 2010)

This Workshop provided a forum for the judges to discuss the best practices on obtaining the co-operation of stakeholders and identifying replicable lessons of such experience; it was felt these inputs may be considered for application by judges in their judicial functioning.

It was stated that an active cooperation of members of the Bar, Police and others including litigants, media and the general public is an inevitable requirement for timely justice. Each of these with its own set of goals, incentives and disincentives has a crucial impact on the working of the judicial system. It was also highlighted that the courts today are facing serious constraints in timely administration of justice on account of this lack of necessary co-operation from the Bar and the Police.

Valuable inputs from representatives of the Bar and police officials provided immense opportunity and assistance in understanding the challenges and developing a working strategy for enhancing effective contribution and co-operation of the Bar and the Police in the administration of justice at the level of individual presiding officers.

P- 365: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Judicial Conduct and Ethics (October 22 – 24, 2010)

This workshop emphasized the objective to critically review the present standards of judicial conduct and ethics that regulate the behavior of the subordinate court judges within and outside of court. The participants were required to identify key sources of threats and potential risks that they encounter during their daily functioning. After reviewing the existing mechanisms in place to control and check deviant behavior of the judges, the participants came up with many interesting responses to the issue of depreciating adherence to norms of ethical conduct amongst judges. They highlighted the various ways in which the higher judiciary, lawyers, clerical staff and litigants resort to procedural abuses in order to serve their own ends. It was mentioned that severe pressure is exercised over the judges in the guise of organization of functions and camps for legal education and awareness. They are regularly approached by lawyers with different forms of inducements. Sometimes their names get maligned because the staff below them use their judicial status to extort money from litigants.

The resource persons presented the corporate ethical structure, medical ethics regime and also that of the judiciary. It was a lateral learning session wherein the ethical regimes in other professions were identified but the implementation of the same suffered from infirmities and gaps. Thus, on the basis of the experience of the medical profession and corporate field a Model System for Judicial Conduct and Ethics was designed along with an implementation scheme.
In conclusion it was agreed that it was the judge's responsibility to restore the faith of the public upon the judiciary and to be guided by conscience.

P- 374: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Judgment Writing and Communication (December 03 – 05, 2010)

Judgment writing and communication being central to judging, the main focus of the workshop was to find a measurable framework for defining and monitoring the quality of judgment writing and communication. The programme also disseminated specific new tools and techniques for better judgment writing and communication.

Discussion on the Decision Making process threw light on the cognitive process which has a very high impact on the decisions making of every person. The debate also centered on decisions being taken by judges. A judgment writing exercise on a given factual matrix was followed by a critical appreciation of the judgments written by the participants by the colleagues. This was an exercise with reference to the basic features and pointers that need to be kept in mind when a judgment is being written and delivered in courts. A session on communication skills was held as communication forms an essential part of the judgment writing exercise. Apart from this, the session on the last day dealt with media trials and their impact on judging.

P 386: National Judicial Workshop for Subordinate Court Judges on Enhancing Excellence in Core Judicial Skills (January 21 – 23, 2011)

The objective of this three day workshop was to discuss and identify ways and means to systematically measure, monitor and enhance core judicial values and skills.
A discussion on Challenges facing Subordinate Courts; Core Competencies of Judges and Core Judicial skills was followed by a presentation on Leadership. The chair judges shared their experience on the topic of Court Management & Case Management and Appreciation of Law and Evidence and Judgment Writing. Emphasizing the role of the judges in bringing social change, discussions were held on Judges as Public Servants and their Social Reform Skills, in light of this the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act and its implementation was also discussed. The programme provided effective perspectives on the need to enhance excellence in core judicial skills from various dimensions.

P 393: National Judicial Workshop for Subordinates Court Judges on Management and Administration Skills for District Judges (February 11- 13, 2011)

As presiding officers of the Courts, Judges are called upon to manage courts –a complex institution with multiple stakeholders and conflicting interests and incentives – as well as cases and staff. Court and case management require unique management and administration skills relevant to local conditions in each State. It is usually seen that management skills either in legal education or during judicial training is not imparted to the prospective Judges. In this scenario many judges have developed their own approaches based on their experience.

Keeping the above picture in mind, the three day programme was designed with an objective to share the best practice and experience on court management and administration from across the country; and also to discuss in detail NJA's "Planning and Management for Timely Justice" – an approach to court and case management that has evolved from the various conferences held by NJA on this subject. The ultimate objective of the workshop was to identify and develop key principles and guidelines for presiding officers to strengthen their management and administration skills.

The Workshop started with the participants identifying the major challenges and issues facing the district judiciary, both management and administrative; Management perspective with special reference to court working was also highlighted. It was stressed that Principal District Judges must develop leadership qualities and should hone the skill of taking colleagues together.

Registrar Generals' from the various courts made their presentations highlighting how the courts they are representing have been able to address the management and administration issues of the district judiciary. A detailed deliberation on

court case load and case management was followed by a discussion on The National Framework for Court Excellence (NFCE) developed by the National Judicial Academy.

P 402: National Workshop for Subordinate Court Judges on Alternative Dispute Resolution Skills (March 11-13, 2011)

With the introduction of Section 89, CPC and the detailed framework laid down judicially arising from the Salem Bar and Afcon's infrastructure judgments of the Supreme Court, ADR has become a central instrument in the quest for timely justice in civil cases. A substantial effort is being made by the judiciary to strengthen capacity for use of ADR, in particular, for use of mediation and Lok Adalat. Yet, even after more than a decade since the introduction of Section 89, CPC, ADR is yet to make a substantial impact in ensuring speedy disposal of civil cases. The purpose of this National Workshop was to identify the main constraints in using ADR for speedy disposal of civil cases; and to share experience and best practice across countries in overcoming such constraints. The emphasis was on identifying the skills required on the part of presiding officers in taking on a proactive role in enhancing the use of ADR in the interests of civil justice.

Through various sessions discussing the nuances and different aspects, the three day workshop came to a conclusion with an understanding that for reducing the arrears in courts, ADR can be used as an effective system by invoking Section 89 CPC but proper care must be exercised by the courts in choosing the appropriate mode of ADR and proper training programmes must be designed to train competent persons to act as mediators/conciliators/arbitrators and also the bar.

P 411: National Judicial Workshop for District Judges on Leadership Skills (April 8-10, 2011)

With some 87% of the cases in Indian courts pending in district judiciary courts, effective adjudication of these cases will require the active cooperation of ministerial staff of courts, the bar, prosecution, government agencies as well as litigants. Proactive and visionary leadership is required at the level of the district judge to develop effective solutions for ensuring the timely and high quality disposal of cases in these courts; and to persuade other stakeholders in the judicial system to play their due role in enhancing the effectiveness of the judicial system. Yet, leadership training is not a part of either legal education or judicial education. The main purpose of this programme was to identify the unique leadership qualities and skills required of judges; and discuss methodologies for enhancing and encouraging such qualities and skills.

1. b) NATIONAL ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY APPOINTED ADDITIONAL DISTRICT JUDGES

The National Orientation Progrmme for Newly Appointed District Judges is a series of ten programmes from the cluster on Enhancing Core Judicial Qualities, Attitudes, Skills and Knowledge. A five day intensive programme, this Orientation series receives approximately 25- 30 Judges for each programme.

The objective of this Programme is to provide newly appointed Additional District Judges the opportunity to discuss the main national challenges facing the district judiciary in the 21st century and the qualities, attitudes, skills and knowledge required of senior members of the district judiciary. This orientation programme is also formulated as a leadership programme, where the Judges are exhorted to apprehend the problems going to be faced by the country in the next decade and work towards meeting these challenges. In the area of judicial accountability and improvement of the judicial system, the individual judge & individual court has to be looked upon for any change to come about. Judges should develop a 5 yr plan to strengthen the judicial system. The main area of concern of NJA has been to improve the system consistently and then focus on the individuals. It is aimed that by 2035 courts will be Swaraj courts with accountability, time standard and efficiency. New selection procedure & promotion based on merit for judges will be in place. A more accountable, more professional and committed judge who works to uphold the constitutional values is envisaged.

The main thrust of the programme for 2010-11 was structured around envisioning the subordinate courts of India thirty years hence, in 2040 and identifying actions that will help achieve that vision. The following topics were discussed intensively through the five day programmes held through the year: (1) Overall Challenges Faced by the Judicial System and Subordinate Courts; (2) Goals, Role & Mission of Courts in a Changing Society (Constitutional Vision of Justice); (3) Performance Standards & Judicial Accountability; (4) Enhancing Excellence in Judicial Method/Decision Making (Enhancing Reasoning, Rationality, Consistency, Objectivity: Normative Method Judgment Writing); (5) Planning & Management of Adjudication & of Courts for Timely Justice (6) Enhancing Qualities, Attitude, Skills & Knowledge (QASK) required of Judges; and (7) National Framework of Court Excellence.

The programmes were held during the following months according to the academic calendar:

S.No	Prog. No	Date	No of Participants
1.	P- 338	July 31–August 4, 2010	21
2.	P 345	August 20-24, 2010	23
3.	P 362	October 15-19, 2010	21
4.	P 368	November 12-16, 2010	24
5.	P 371	November 19-23, 2010	27
6.	P 380	December 17- 21, 2010	11
7.	P 387	January 21-25, 2011	23
8.	P 405	May 13 - 17, 2011	21
9.	P 408	April 1-5, 2011	19
10.	P 416	April 22-26, 2011	19

1. c) NATIONAL ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY APPOINTED CIVIL JUDGES

The objective of this Programme is to provide newly appointed civil judges (junior division) inputs on the critical factors that determine the quality of a judicial system, to discuss the main national challenges facing the district judiciary in the 21st century and also the qualities, attitudes, skills and knowledge required of new members of the district judiciary.
In addition to fostering a sense of national judiciary amongst the participants, one of the main aims of this programme is to draw attention of newly appointed judges towards the challenges facing the justice system in India. The individual sessions are designed to touch various aspects relating to judging with a special focus on the role of judges in a constitutional democracy. This programme builds upon the presumption that the 'current judicial method' deployed by judges is one of the dominant causes for numerous challenges facing the justice system in the country. The current judicial method is found deficient for various reasons such as poor legal education and also for excessive reliance by judges on moral judgments. Through a combination of methods such as discussion groups, simulation exercises and mock trial exercises, this programme aimed to introduce judges to an alternative judicial method - the 'normative method', which aims to uphold constitutional values.

The major area of discussions were : i) understanding and reframing the challenges facing Indian judicial system, discovering the current judicial method, ii) role of the subordinate courts and judges; iii) the concept of justice in the background of vision of justice of the Constitution of India; iv) exploring, developing and understanding legal concepts to support and apply an alternate judicial method and discussing its application with the qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK); v) organizational effectiveness; strengthening judicial system through planning and management for timely justice and managing personal challenges.

The ten programmes for the year 2010-11were held in accordance with the academic calendar:

S.No	Prog. No	Date	No of Participants
1.	P-341	August 6-17, 2010	54
2.	P 349	September 3-14, 2010	53
3.	P 357	October 1-12, 2010	57
4.	P 369	November 12-23, 2010	54
5.	P 375	December 3-14, 2010	52
6.	P 383	January 7- 18, 2011	58
7.	P 394	February 11-22, 2011	48
8.	P 400	March 4- 15, 2011	51
9.	P 409	April 1-12, 2011	48
10.	P 420	May 6-17, 2011	52

1. d) NATIONAL JUDICIAL EXCELLENCE ENHANCEMENT PROGRAMME (JEEP)

The impact of judicial education programmes on participants and eventually on the working of Courts is an important matter that is frequently questioned and discussed. In order to strengthen the impact of judicial education, NJA developed for the first time a unique programme called "National Intensive Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP)". This intensive programme was targeted at individual district judiciary judges specifically identified by High Courts.

The main objective of this seven day progamme is to help develop the critical indicators of the quality of judging in a holistic manner. The programmes requires two visits to NJA during the academic year for one week each, and "distance" engagement with participants over the ten month period of the academic year.

NJA identified 4 core areas where improvement of performance of individual judges is urgently required & assistance can be offered by NJA to the participant judges. These are:
Judging: Every judge in this country is self-taught. We don't explore or analyze this subject. There is diversity in judicial approach; **Court Management**: Institutional/ scientific approach to Court management is crucial; **Legal Knowledge:** Legal education imparted by the various universities and colleges is found to be wanting in various aspects. Fundamentals of law are not known to bar, bench and the judiciary; and, **English Language and Writing Skills.**

The Challenge is to bring about institutional change and improvement to better meet the needs of society and excellence enhancement. At the same time the following questions were taken into account: What are the practical difficulties in implementing this? Identifying those problems and finding ways to overcome them? Implementation and the impediments?

The **e**xpected outcome is the transformation of role of individual judge and to build faith of judges in the Constitutional Values among those who participated in the programme.

In its inception year there were approximately 70 judges who attended this programme and benefitted out of it. The multidimensional framework of the programme aimed to enhance judicial excellence in many ways. The follow-up strategy ensured consistent output from the participants and sustained their interest in the issues concerning judicial excellence.

The two visits were conducted during the following months:

S.No	Prog. No	Date	No of Participants
1.	P-335	July 23-29, 2010	69
2.	P 403	May 6 – 12, 2011	58

Goal 2 – STRENGTHENING THE JUSTICE SYSTEM

Working towards Strengthening the Justice System, three types of programmes were conducted for the District Judiciary and two for the High Court Justices:

a) National Conference of Principal District Judges on Court, Case Load & Case Management;
b) Regional Judicial Conference on Enhancing Quality of Adjudication;
c) National Meetings of State Judicial Academies
d) i. National Conference of High Court Justices on Judicial Administration and High Courts' Power of Superintendence: Experience Sharing
ii. National Conference of Newly Appointed High Court Justices.

All the above mentioned programmes encapsulated discussions; experience sharing; presentations and site visits.

2. a) NATIONAL CONFERENCES OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGES ON COURT, CASE LOAD AND CASE MANAGEMENT

The main objective of these Conferences held throughout the academic year was to strengthen the understanding of judicial institutions, planning for court development, court management, case management, judicial independence and judicial accountability, measuring efficiency and effectiveness of courts, judicial information management, monitoring quality and quantity of court disposals, use of IT in judicial administration, etc. It further provided Principal District judges of the country a unique forum to share knowledge and experience on the challenge of reducing delay and arrears reduction and enhancing quality and responsiveness of justice. The discussions were based on the extensive work done at NJA (including at national and regional conferences) over the last three years on techniques and tools for timely justice (TTTJ) and planning and management for timely justice (PMTJ).

During the ten Conferences held throughout the year in 2010-11, an overview of the NJA perspective regarding systematic development of the courts covering the six factors was discussed. These included – Role, Organization, Knowledge, Method, Management and Access (ROKMMA), to achieve the stipulated performance targets, using the following tools: Court-wise Five Year Plans (5-year plans with 3 year/2 year/1 year action plans).
Attended by approximately 25-30 Judges, some of the judges have initiated gradual implementation of the techniques of court and case management as discussed in the programmes.

Listed below is the progamme dates and specific number of participants for a given session.

S.No	Prog. No	Date	No of Participants
1.	P-348	September 3-5, 2010	31
2.	P 354	September 17-19, 2010	31
3.	P 359	October 8-10, 2010	32
4.	P 364	October 22-24, 2010	27
5.	P 377	December 10-12, 2010	26
6.	P 392	February 11-13, 2011	28
7.	P 401	March 11- 13, 2011	25
8.	P 410	April 8-10, 2011	27
9.	P 415	April 22-24, 2011	25
10.	P 422	May 13-15, 2011	27

2. b) REGIONAL JUDICIAL CONFERENCES ON ENHANCING QUALITY OF ADJUDICATION

The Regional Judicial Conferences bring together judges from across each zone to discuss common challenges and share knowledge and experience on reducing delay and arrears and enhancing the quality and responsiveness of justice. Selected participants are requested to make presentations on the specific theme of the Regional Conference for a given year. The country's expanse is divided into four zones-North, East, West, and South. It is aimed that two regional conferences are held each year in a particular zone. The High Courts of the state and the State Judicial Academies facilitate in organizing these conferences.

Enhancing Quality of Adjudication was the theme of the eight Regional Conferences for 2010-11. The number of participants varied from approximately 80- 100 in the various Zones. The main objective of these Conferences was to introduce the National Framework for Court Excellence among the judges and to make them aware about the need to enhance the quality of adjudication according to this framework. The four parameters that the quality framework (PAVE) incorporates were highlighted for the participants as under:

1. **P**ublic Trust and Confidence in Courts
2. **A**ccess to Justice
3. Adherence to Core **V**alues of the Courts &
4. Enhancing Expedition, Efficiency and Efficacy of Courts.

Discussions were also held on the Key Challenges facing the Judiciary in Enhancing the Quality of Adjudication and the Measurable Indicators of Quality and Accountability. The challenges of strengthening quality of adjudication in the Courts were also highlighted. Eminent resource persons shared their perspectives on the issue of assessing and enhancing quality of adjudication in the courts. Spread over from August 2010 to April 2011, the Regional Conferences were held in the following locations:

S.No	Prog. No	Date & Place	No of Participants
	East Zone		
1.	P-346	August 27-29, 2010; Kolkata, West Bengal	95
2.	P 388	January 28-30, 2011 Cuttack, Odhisha	84
	North Zone		
3.	P 355	September 24-26, 2010 Chandigarh, Punjab	81
4.	P 397	February 25-27, 2011 Jammu, J&K.	88
	West Zone		
5.	P 366	October 29- 31, 2010 Uttan, Maharashtra	100
6.	P 406	March 25-27, 2011 Jaipur, Rajasthan	93
	South Zone		
7.	P 372	November 26-28, 2010 Hyderabad, AP	92
8.	P 417	April 29- May 1, 2011 Bangalore, Karnataka	93

2. c) NATIONAL MEETINGS OF STATE JUDICIAL ACADEMIES

The meetings of State Judicial Academies facilitates an exchange of knowledge, views and experience among the SJAs and with NJA on issues of common interest in judicial education and to develop new programmes for judicial education based on these discussions. For the year 2010-11, five such Meetings were held to discuss varied topics and issues.

P- 350: National Meeting of State Judicial Academies: Induction Programmes: Objectives, Methodology and Results (September 10 – 12, 2010)

This meeting of the SJAs focused on reviewing the Induction Programmes that are being conducted at State Judicial Academies. It offered an opportunity to State Judicial Academies to share their experiences and to talk about major challenges in conducting such programmes for freshly appointed judges.

Resource persons were invited from three National Academies of the Country: LBS National Academy of Administration, Mussorie; SVP National Police Academy, Hyderabad and the Indian Military Academy, Dehradun. Representatives of the above-mentioned three academies provided an overview of the induction programmes that are being conducted at their respective academies for the fresh entrants. These presentations offered reference points for analyzing and reviewing the induction programme of state judicial officers. The last two sessions of this meeting were used to discuss the utilization of budget allocation by the Finance Commission to the State Judicial Academies.

P- 367: National Meeting of State Judicial Academies: Continuing Judicial Education Programmes: A Critical Appraisal (November 12-14, 2010)

The objective of the second meeting of the SJAs was to identify the goals of judicial education and the role of State Judicial Academies in making this education effective, systematic and continuous. The programme also intended to identify various issues and challenges facing the subordinate courts, the international experience of judicial education, key challenges facing judicial education in the country and to develop a strategy for the State Judicial Academies (SJA) to enhance judicial education in its refresher programmes.

The meeting discussed the reports presented by the 16 different states across the country and also identified the overall challenges facing the subordinate judiciary. One of the broader challenges identified was on transforming the relationship involving the judiciary and the poor.

A presentation was made on the international experience, goals and methodological issues of judicial education. The key challenges facing judicial education in India and the role of Academies was also highlighted.

The proposed new approach to judicial education conceptualized by NJA, the National Judicial Education Strategy with

reference to the Refresher programmes at the various State Judicial Academies was presented and put up for discussion. The meeting agreed on the proximity of the ten point National Framework of Court Excellence with that of the continuing judicial education framework. The participants fixed that results/impact based judicial education is needed along with a new theory of judging. Instead of having a thousand numbers of judges deciding what law is, there was in fact a requirement for the entire fraternity to know what the exact law was on maintaining institutional integrity. The need for objective qualitative performance indicators was also enumerated.

P 382: National Meeting of State Judicial Academies: Core Curricula of State Judicial Academies (January 7 – 9, 2011)

The objective of the programme was to formulate a framework for the core curriculum of State Judicial Academies for their induction programmes after reviewing and critiquing the current induction programmes of the SJAs. The programme also intended to identify the goals and objectives of the induction programmes and the role of State Judicial Academies in making this education effective and systematic leading to methods at enhancing the excellence of judiciary.

The meeting started with a relook at the broader vision of the meaning and objective of the core curriculum of the induction programmes of SJAs and discussed the need for rethinking on what constitutes a core curriculum. A brief report on the current curriculum of the different SJAs was presented and the current curriculum reviewed. The conceptual framework of the curriculum of the induction programmes developed by NJA in the past few years was presented during the meeting.

A core curriculum for the induction programmes of SJAs was formulated where in it was decided to cover the core curriculum in three broad phases of the induction programme. I) To inform and transform the individual into constitutionalist ii) To create in the individual a public servant iii) To create in the individual a social reformer.

Discussions were held on the methodology and resource requirements for implementing the national core curriculum. A suggested time frame was also attached to the national core curriculum. The session concluded that the academies have to catalyze changes in the judicial system by implementing a value based education.

P 396: National Meeting of State Judicial Academies: Research Programmes (February 18-20, 2011)

The main focus of this meeting of State Judicial Academies was to identify a common national research agenda which would produce useful outputs that can strengthen the judicial system. The meeting also aimed to share experience on the ongoing research programmes as well as take stock of developments in other countries in the field of research into judicial systems.

Apart from the above, a presentation on Empirical Legal Research was made. There was an open discussion amongst the participants of the State Judicial Academies on the challenges facing the Judicial System and role of research by State Judicial Academies using the Finance Commission Funds.

P 407: National Meeting of State Judicial Academies: Development of Judicial Education: Issues and Challenges (April 1- 3, 2011)

This meeting being the last national meeting of State Judicial Academies for 2010-2011, the objective of this meeting was to take overall stock of the various interventions of NJA and SJAs to strengthen induction education, continuing judicial education and research/policy development. The meeting discussed and agreed on specific measures to strengthen judicial education.

The challenges facing the judicial system and the need to change the relation between the courts and the poor people were discussed at the outset. This was followed by briefly revisiting the activities of the current year and the key issues and challenges facing the courts, including those challenges faced by the SJAs. Discussions were held on the new report of the 13th Finance Commission and the allotment of the funds for the SJAs and for judicial education. Deliberations took place on developing a common national curriculum for judicial education. Other aspects that were brought to the discussion were identifying the need for enhancing the excellence of the judicial system; and that the SJAs' also should be ready for change and to help enhance the development of judicial education.

The proposed new approach – Court Excellence Enhancement Programme (CEEP) was presented before the participants. There was an intensive discussion on the developmental plans. The meeting agreed on the proximity of the ten point National Framework of Court Excellence with that of judicial education. The participants also agreed that the academies should have the right vision on the clarity of understanding courts, right vision on judiciary and judicial education, and understand that the there should be change in the traditional role of the judiciary. Hence, the need for non judicial heads at the academies, since the judiciary cannot itself be self critical. In these Academies, law is not to be taught; but understood as an instrument of justice. The session concluded with the consensus that the academies have to work towards being the catalysts of change in judicial administration.

3. ENHANCING SOCIAL IMPACT OF THE JUSTICE SYSTEM

With three different sets of Seminars aimed at the judges from the Subordinate Courts and one at the High Courts, this programme type aimed to facilitate sharing of knowledge and experience on the role of courts in the "ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity', these set of programmes also aimed to develop a shared national vision in this regard; and identify specific steps that may be taken by judges – including through the work of the

legal services authority – in strengthening the role of courts.

The progammes under this head are listed below and the details given there under:
a) National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Development of Law in Key Areas
b) National Judicial Seminar on the Role of Subordinate Courts in Meeting Key Social Challenges facing the Country
c) Adjudication Management Programme
d) National Conference of High Court Justices

3. a) NATIONAL JUDICIAL SEMINAR FOR SUBORDINATE COURT JUDGES ON DEVELOPMENT OF LAW IN KEY AREAS

A set of five programmes formulated under this head brought together judges from the Subordinate Courts from across the country to discuss new areas of legal development and challenges facing the judicial system. The programmes held over a period of five months were on varied themes such as Law, Poverty and Social Justice; Role of Alternative Dispute Resolution in Adjudication; Human Rights under the Constitution of India; Enhancing Timely Justice and Recent Developments in Commercial and Economic Law.

P- 339: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Law, Poverty and Social Justice (August 6 – 8, 2010)

The contribution of the Supreme Court and the High Courts on poverty and social justice is better recognized – what is the role of subordinate courts in this regard? What has been their contribution? What can be done to enhance their contribution? The main objective of this seminar was to share knowledge and experience on the role of subordinate courts in the "ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity'; develop a shared national vision in this regard; and identify specific steps that may be taken by judges – including through the work of the legal services authority – in strengthening the role of courts.

The Seminar held in August attended by around 30 judges from around the country, discussed the role of courts in combating the challenge of poverty and social exclusion. Various aspects of the Social Justice theme was presented before the participants; a simulation exercise encapsulating various human rights issues with the participating judges made the session more intensive.

P- 344: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Role of Alternative Dispute Resolution in Adjudication (August 20 – 22, 2010)

The higher courts have identified ADR as an important instrument for meeting the challenge of delay and arrears faced by Indian courts and for providing the people of the country accessible and affordable means of dispute settlement. However,

ADR is yet to take off in a significant manner across the country. Some High Court jurisdictions have of late made considerable progress in the use of mediation, Lok Adalat and Plea Bargaining. The questions that were explored during this programme were 1) What can be learnt from the lessons of experience of courts across the country in this regard? 2) In what way can ADR play a more effective role in the administration of justice?

A presentation on the implementation of Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 and related justice issues was made. Nominated judges from the High Courts shared their best practice experience with the participants. They also discussed the use of ADR in relation to specific types of disputes: economic, commercial, land and matrimonial issues. ADR: Key Issues and Challenges for Subordinate Courts was an important area of discussion. The National Plans and Initiatives were also deliberated upon. The experiences of senior High Court Judges emphasized that ADR is an important means to reduce pendency and delays. The seminar concluded with an understanding that ADR can be used as an effective system by invoking Section 89 CPC but proper care must be exercised by the courts in choosing the appropriate mode of ADR and proper training programmes must be designed to train competent persons to act as mediators/conciliators/arbitrators.

P- 353: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Human Rights under the Constitution of India (September 17 – 19, 2010)

The main objective of this three day programme was to sensitize judges of the subordinate judiciary on the Right Protection Index as a standard to protect the rights of the people and their role in the protection of the human rights of the people. The issue of Human Rights and the Constitution of India was enumerated for the participants. Human right under Criminal Justice System was deliberated upon and various challenges in the area and how to intervene strategically to resolve these challenges were explained. A presentation on the issue of Terrorism and Special Laws was made. The participating judges were made familiar with the Right to Environment and livelihood. The role of the Courts in enforcing the human rights of dalits and marginalized people in the society were emphasized.

P- 373: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Enhancing Timely Justice (December 03 – 05, 2010)

The objective of this Conference was to provide a forum to the judges from across the country to share knowledge and experience on common national challenges facing the judicial system at the district level and to discuss the challenges faced by courts in enhancing timely justice.

Through the three days of the Seminar, the main focus of discussion was on "National Framework of Court Excellence" (NFCE) drafted by NJA. It was stated that effective court management as well as case load and case management was

central to achieving the goal of timely and responsive justice. The programme sought to identify specific actions that may be taken by individual courts to implement these proposals and ideas to enhancing timely justice. Twenty-six Judges across the country participated in this programme. The programme was structured around the themes: (1) Defining the Problem; (2) Developing the Solution: National Framework of Court Excellence; (3) Implementing NFCE at the Level of individual Court.

The discussion also focused on the approach to court management, case management and case load management developed by NJA as part of its Planning and Management for Timely Justice.

P- 376: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Recent Developments in Commercial and Economic Law (December 10 – 12, 2010)

With India becoming one of the fastest growing economies in the world, it has brought a massive expansion in the commercial and economic law as well as associated disputes.

One of the key policy concerns of the country is the ability of the subordinate courts to deal with these disputes effectively and promptly. There has been diversion of many categories of such disputes to tribunals and the consequent contraction of the civil jurisdiction of subordinate courts. Tribunalisation has been very problematic and has deprived litigants of the traditional safeguards of adjudication without substantial added benefits in terms of timeliness or competence. It is very important that the capacity of subordinate courts to deal with economic and commercial cases in areas where they still retain jurisdiction be enhanced so that citizens will be able to protect their rights.

This Seminar focused on the challenges arising from such new developments and proper appreciation of such developments in economic and commercial law. The economically weaker sections of the population involved in economic and commercial disputes face substantial hurdles in accessing justice and this is of major concern to the judiciary. Valuable inputs on topics like Alternative Dispute Resolution, commercial contracts litigation, financial litigation including money suits/negotiable instruments/debt recovery and insolvency, protection of civil and political rights in economic and commercial transactions covering land acquisition, displacement & resettlement and enforcement of Intellectual Property Rights were positively received by the participants. This seminar provided a forum in adopting strategies to face such challenges and thereby strengthening the role of subordinate courts in adjudicating economic and commercial cases.

3. b) NATIONAL JUDICIAL SEMINAR ON THE ROLE OF SUBORDINATE COURTS IN MEETING KEY SOCIAL CHALLENGES FACING THE COUNTRY

These programmes aimed to analyze and further strengthen the quality of responsiveness of courts to key social challenges faced by the country. The key social challenges that were covered in five of these programmes were Equality

and Social Justice; Transparency and Accountability in Governance and Prevention of Corruption; Protection of Civil Liberties; Poverty, Social Exclusion and Social Welfare Programs; and Enhancing Economic Development. The key impact of this programme type was to act as a meeting point for the judiciary and the public activists campaigning for social justice and bring valuable insights into the problems and challenges faced by both the groups.

P-340: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Achieving Constitutional Goals of Equality and Social Justice: Contribution of Courts (August 6 – 8, 2010)

The main objective of the programme was to enhance the sensitivity of the judges on the issue of Equality and Social Justice as the Constitutional goals of Indian Judiciary and also assess in detail the extent to which subordinate courts of India have fulfilled this mandate of the Supreme Court over the last three decades; and to develop specific actions that may be considered by such courts to enhance their effectiveness in discharging the role that the Supreme Court has identified for them. The challenges faced by the subordinate courts in this regard were discussed and in doing so the most important challenges of social change in the country and the powers and responsibilities of subordinate courts in these areas were amply highlighted for the judges.

A presentation was made on the Role of Courts in Achieving Social Justice Objectives and Combating Poverty. The interactive session on the issue of Law, Poverty and Social Justice and understanding the Role of Courts highlighted the biases that are likely to affect the judgments. The obstacles in the implementation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act and the need of judicial intervention in the Abolition of Manual Scavenging were reviewed. Simulation exercises with the participant judges brought out the various aspects of Criminal Law and the Poor with regard to Legal Aid and Sentencing.

P-347: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on Strengthening Transparency and Accountability in Governance and Prevention of Corruption: Role of Subordinate Courts (September 3 – 5, 2010)

The main objective of this seminar was to share experience and discuss measures, within existing constraints on how to strengthen the effectiveness of the role of courts in enhancing transparency and accountability of the State and in reducing corruption.

Discussions were held on achieving transparency and accountability in governance in view of the critical appreciation of the Right to Information Act (RTI Act). A detailed discussion on the issues of transparency, accountability and user-friendliness emphasized the key attributes of a Modern Court; a simulation exercise portrayed the relevant information which may be published for the benefit of the litigants. The participants made presentations and shared their experience in the challenges that are faced in the adjudication of Anti-Corruption cases and came up with suggestions with respect to the

same. A presentation on the growing need of accountability of executive agencies which play a crucial role in the adjudication of Anti-Corruption cases and the issue of investigation of Anti-Corruption Cases was made.

P 390: National Judicial Seminar on Protection of Civil Liberties: Role of Subordinate Courts (February 4-6, 2011)

The main objective of the seminar on Protection of Civil Liberties: Role of Subordinate Courts was to explore the basic concept and relevance of the idea of Civil Liberties in a Constitutional Democracy. The origins and nature of anti-terror laws was enumerated for the twenty five participants. The participants were made aware of the threat of insurgency in various parts of the country. A simulation exercise with the judges with the end to identify civil liberties issues in day-to-day administration of criminal justice in Courts was well received.

P 395: National Judicial Seminar on Poverty, Social Exclusion and Social Welfare Programs: Role of Subordinate Courts (February 18-20, 2011)

The purpose of the Seminar was to review and assess the role of subordinate courts in relation to poverty and social exclusion reduction programmes; share best practice and experience from across the country and develop effective strategies for strengthening the role of courts in the quest for social justice. The seminar focused on the basic issue of achieving social change through courts with discussions on the topics of Social Exclusion, poor people's experience with the Criminal Justice System and also the issue of social hierarchy and the experience of marginalized groups. Judicial insights were provided into how courts can play a constructive role in making change happen in the society.

P 398: National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on enhancing Economic Development: Role of Courts (March 4-6, 2011)

The purpose of this Seminar was to analyze the role of courts in economic development, identify key issues and challenges and formulate strategies for strengthening the role of courts in economic development as envisioned in the Constitution.

After identifying the key challenges, the break out groups reported upon their respective discussions with regard to economic cases adjudication and the role of civil courts in adjudication of economic and commercial disputes both in terms of current issues and emerging challenges. Herein, the thrust was to portray a picture from both the dimension of consumers in the economic world and focus of labour rights of the marginal class of the society.

Alternative Dispute Resolution in Economic and Commercial Cases – Application of Section 89 and recent developments were reviewed. Discussions were held on Developments in Contract, Trust, Equity & Specific Relief Act and

Developments in Commercial Law (Hire Purchase/Hypothecation/Pledge/Guarantee/Bailment) apart from this deliberations were held on the developments in Law Relating to Intellectual Property Rights, developments in Financial Law (Money Suits/Negotiable Instrument/Debt Recovery/Insolvency/ Bill of Lading and Bank Guarantee). During the concluding session the resource persons shared their experiences in dealing with economic matters and some skills that may be taken into consideration while dealing with matters of such kind.

3. c) ADJUDICATION MANAGEMENT PROGRAMME

Adjudication Management programmes aim to strengthen the quality of judicial management in specific areas of adjudication, cutting across various knowledge and skill requirements. The programmes covered such aspects as the social background of each main type of adjudication; relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness. This series of programme was attended by Judges presiding over Sessions Courts. AMPs were conducted for cases involving Murder; Children; Safety, Security and Public Order; Complex Economic cases; MACT cases; Mass crimes and Mass torts; Family Disputes; Atrocities against women; Trafficking and Sexual Offences; Social Reform, Protection of Constitutional Rights and Civil Liberties cases; Civil Disputes; Consumer Disputes; Writ Petitions; Labour and Industrial Disputes; and Environmental Disputes. On an average 25- 30 judges attended each programme. At the end of the programme majority of the participants felt that the 4-day AMP facilitated their understanding of the intricacies of adjudication involved in the issues that appear before them regularly.

P- 336: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Juvenile Justice Cases (July 30–August 2, 2010)

A four day workshop was conducted on how to best manage adjudication in Juvenile Justice Cases. Two specific limbs of Juvenile Justice System, namely, Children in Need of Care and Protection and Juveniles in Conflict with Law were separately dealt with during the course of the workshop. A perspective on the issues of rehabilitation of children in conflict with law was presented before the participants. Recording evidence of child victims and the latest position of law on this issue while referring to the rulings of the High Courts and the SC were discussed detail.

P- 342: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Domestic Violence (August 13 – 17, 2010)

The objective of the programme was to strengthen the quality of judicial management of cases involving domestic violence against women, cutting across various knowledge and skill requirements. The programme focused on the early experiences of the Protection of Women against Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) and other laws relating to the domestic violence, major decisions delivered by the Supreme Court and different High courts contributing and

augmenting to the course of development of law. The programme covered aspects like the social and psychological background of domestic violence against women; relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness. Identification and discussion of the key issues and challenges in adjudication of cases involving domestic violence against women led to the conclusion that all the key stake holders do not evince requisite sensitivity while conducting investigation, prosecution and trial of such cases.

The various sessions through the five days discussed the rights protection of the women against domestic violence and ensuring access to justice; the underlying constitutional and human rights norms on the PWDVA; key legal and procedural issues under the PWDVA including appreciation of fact and law in cases under the PWDVA; the adjudication and the manner in which orders are passed; remedies for domestic violence, effectiveness and timeliness of adjudication on cases involving domestic violence cases; interpretation of the provisions of and on reporting and investigation of cases of PWDVA; the socio-legal aspects of domestic violence and construction of gender; an overview on the Issues and Identification of "Best Practices"- Coordinating Agencies through Monitoring and Evaluation; and post litigation, aspects of cases involving domestic violence.

The value addition through this programme was sensitization of the judges regarding role and responsibility of judges in dealing with cases involving domestic violence against women. The theoretical basis to develop as a good judge with a vision to serve the society which was highlighted through the programme was appreciated.

P-356: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Family Disputes (October 1 – 4, 2010)

The objective of the programme was to strengthen the quality of judicial management of cases involving family disputes, cutting across various knowledge and skill requirements. The programme focused on the national experience on the role of family courts in adjudicating as well as in serving as an instrument of social change through such adjudication. The program covered various aspects including the social and psychological background of family disputes, relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness.

Various sessions through the four days discussed and identified the key issues and challenges in adjudication of family disputes; the adjudication process in family courts which also led to the identification and clarification on the role of courts in protection of constitutional rights; and ADR techniques being followed in Family Courts. Apart from this a comprehensive analysis was done with the aid of different activities and exercises. A presentation on gender perspective of family disputes was also made. The effective solutions and remedies on court and case management of family courts without compromising the Constitutional values were reviewed.
The value addition through this programme was sensitization of the judges regarding role and responsibility of judges

while dealing with family disputes. The participants acknowledged the issue of effective management as well as the core responsibility of the courts in protecting constitutional rights in family disputes which can promote freedom, equality & dignity of women in a family. The consensus was that analyzing pending cases, prioritizing them for hearing in order of their importance, setting goals and making efforts to attain them may help in managing the cases on a timely basis.

The participants expressed the view that the programme provided them an opportunity to look at the problem of family disputes from a socio-economic and constitutional perspective and helped them in understanding their role in protection of rights of women by applying appropriate judicial methods and management techniques as well as resolution of family disputes while promoting Constitutional norms.

P-358: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Atrocities against Women (October 8 – 11, 2010)

The objective of the programme was to strengthen the quality of judicial management of cases of atrocities against women, cutting across various knowledge and skill requirements. The programme covered aspects relating to social and psychological background of atrocities against women; relevant court and case management methods, substantive and procedural law, judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness. The focus was mainly on Cruelty, Domestic Violence, Dowry related offences, Female Foeticide and Infanticide.

The participant judges discussed and identified the key issues and challenges in adjudication of cases relating to atrocities against women. According to them, all the key stake holders do not demonstrate requisite sensitivity while conducting investigation, prosecution and trial of such cases. The key legal and procedural issues of Cruelty under Section 498-A and the domestic violence law including appreciation of fact and law in cases under Prevention of Women against Domestic Violence Act, 2005(PWDVA) were discussed. Dowry, an offence principally under 304-B IPC was discussed in detail. Reporting and investigation of cases of relating to female foeticide and infanticide were also enumerated. The value addition through this programme was sensitization of judges regarding the role and responsibility of judges while dealing with cases of atrocities against women. The participants could identify and appreciate that the purpose behind Section 498-A and 304-B of IPC and PWDVA must be realized.

P-363: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Large Scale Litigation – MACT Cases and Cases under Section 138, Negotiable Instruments Act (October 22 – 25, 2010)

The purpose of this AMP was to analyse the origins of two types of litigation (for example, in poor credit decisions made by Banks for cases under S. 138 of NIA); the policy response of concerned institutions; the manner in which these cases land up in court; the manner in which they are being investigated, prosecuted or defended (role of police; Bar; etc); issues that arise in adjudication of these cases and the manner in which they may be effectively disposed in a timely manner. Best

practice experiences were shared and opportunities for improving current practice were identified. It was highlighted that most High Courts in the country have launched innovative measures to tackle these types of "mass litigation" through creation of new courts dedicated to these cases, development of new approaches to case load and case management, grouping of cases, specialized training of judges and advocates, use of IT and other measures.

Participants also discussed the various bottlenecks in disposal of the above mentioned two kinds of litigations. A presentation followed by a discussion was made on the issue of "Road Accidents: Insurance Coverage" from the perspective of Insurance Company.

The experience and initiatives taken by the Delhi High Court in getting rid of the bottlenecks for the quick disposal of MACT cases was shared with the participants. It was shown how with the pro-active approach of the judges, the police were made to submit accident information report in time. The police could be mobilized to serve the processes very quickly and collect the relevant information so that the MACT cases could be disposed of quickly.

Discussions on the specific issues relating to disposal of MACT cases laid stress on the concept of just compensation insurers, liability, pay and recovery order etc. Referring to the many pronouncements of the Supreme Court of India on the subject, the issues relevant for decision of cases under Section 138 of Negotiable Instrument Act were also highlighted. The experience of the Bombay High Court in regard to disposal of cases under Section 138 N.I. Act was also discussed. The remedial measures adopted by the Bombay High Court after identifying the bottlenecks were also shared with the participants. The issue of effective management of Mass Litigation was discussed and strategies to manage cases under section 138 NIA and MACT cases enumerated.

P-379: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Sessions Cases and Cases under Special Laws (December 17 – 20, 2010)

The objective of this AMP was to analyse how sessions cases and complex cases under Special Laws are being adjudicated by Indian courts so as to maintain highest standards of quality, efficiency and timeliness. The Workshop explored ways and means to effectively complete on a timely basis the adjudication of cases that may be delayed. Best practice experiences were shared across States and specific steps identified for further action.

Many aspects of a fair trial and legal aid were brought into focus through discussions . Civil liberties including appreciation of evidence, forensic methods and confession under police custody were other important topics covered through the three days. A presentation on the socio-political context of terrorism and insurgency brought out the Human Rights aspect into the discussion. Touching upon the confession element, the discussions also threw light on the acceptability of the intercepted evidence and issue of right to privacy and public interest and cases involving issues of insurgency. The arbitrariness of the executives in handling terrorism and insurgency cases and how judges can act to reduce the scope of arbitrariness was enumerated for the participants. While discussing the Scheduled Caste and

Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, the main focus was on the poor implementation of Act and how the social prejudices in handling cases under this Act could be reduced. Relating it with the Atrocity Act, a presentation on the atrocities faced by dalits at various levels of their life was made. A presentation highlighted the historical background of the Atrocities Act. Some of the incidences of atrocities were also placed before the participants.

P-381: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases Relating to Protection of Environment (January 7- 10, 2011)

The main objective of the Programme was to discuss the role of courts in protecting the environment and the interest of public, the establishment of the Green Tribunal and the changing role of the subordinate courts in environment related cases. The main points discussed during the various sessions were: Awareness about the environment law among the judicial officers is a necessity; Delay and arrears in decision making in civil courts is a cause of concern and hence the public are not coming to the courts in such cases. There is no speedy disposal of cases; Bhopal gas tragedy had two disaster – Gas leakage and environmental disaster also leading to judicial disaster; Water pollution and Air pollution – the need for a regulated and controlled economic development and the role played by the judiciary was discussed. Case studies on Chhattisgarh for water pollution and New Delhi for urban air pollution were taken up. The role of court in protection of the tribal and community rights, forest lands, wild life protection and ecology were deliberated. Apart from this the Subordinate courts role in land acquisition cases, displacement and resettlement was highlighted; Emerging environmental jurisprudence in India**;** Environmental Decision Making, public hearing, disclosure and accountability and role of the courts; and the Role of Legal Services Authority in protection of the environment were also reviewed. It was stated that even after the establishment of the Green Tribunal, the subordinate courts can exercise jurisdiction of environment cases as under: Public nuisance cases can be filed in the District Court (a representative suit); Criminal prosecution of the offenders can always take place for the offences under the environmental benches.

P 384: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Corruption Cases (January 14 – 17, 2011)

The main purpose of this programme was to provide a forum for judges presiding over courts handling anti-corruption cases to share knowledge and experience across the country on how to ensure, within existing constraints, timely disposal of such cases, and assure effective accountability for those found guilty. It also facilitated sharing of best practices in pro-active judging in this regard.

Highlighting the social and political context of corruption, it was shown how the value system of the society was closely associated with the menace of corruption. Systemic change could reduce opportunity for corruption.

Enumerating the challenges of investigating anti corruption case and also the challenges of the prosecution in timely adjudication of anti corruption cases, it was highlighted that in anti corruption cases, the prosecution was often not given

due importance which resulted in delay and unmerited acquittals. During the four days, the entire life cycle of adjudication of anti corruption case right from genesis to investigation, prosecution, adjudication and judging was dealt with. The focus of the discussion was mainly on trying to bring about systemic reforms, instead of going into the technicalities of law and prosecution.

P 391: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases in the Courts of Magistrates (February 4 -7, 2011)

The objective of this four day workshop was to discuss the role of the subordinate judiciary in the protection of rights in cases in the Courts of Magistrates. The role of the magistrates in the protection of rights of parties at various levels of the trial was discussed at length in the programme. Discussions through the days concentrated on Protection of Rights during Investigation and Protection of Rights during Prosecution. Duties of Magistrates during Trial and the Key Issues and Challenges were also discussed in the programme.

P 399: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Commercial and Economic Cases in Subordinate Courts (March 4 – 7, 2011)

The main objective of the Programme was to identify the challenges faced by the subordinate courts in adjudication of Commercial and Economic cases. The main points touched upon during the four day session were: Issues pertaining to labour; The Land Acquisition Act and its effect on the rights of land owners; consumer rights and the role of courts; relevance of Alternative Dispute Resolution; The role of subordinate courts in deciding suits relating to Contract Act and Specific Relief Act are of utmost importance; The financial transaction cases like money suits, debt recovery, NI Act & insolvency; The importance of Court & Case Management on Timely Justice in Economic & Commercial Disputes. It was agreed that the civil courts have to be sensitive towards the rights and duties of the litigants coming to court. In economic and commercial cases there must be no delay in adjudication of cases as it hampers the overall economic development. Adjudication of economic and commercial disputes should be in an efficient and timely manner. The judicial skills play a crucial role in achieving the above objectives. The judiciary should gain public trust and confidence by rendering justice and this would lead to lesser number of unwanted litigation and reduces the docket exclusion.

P 413: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Scheduled Caste and Scheduled Tribes [Prevention of Atrocities] Act (April 15 – 18, 2011)

The main objectives of this programme held from April 15-18, 2011 was to strengthen the method of adjudicating cases under Scheduled Caste and Scheduled Tribes [Prevention of Atrocities] Act and to change the role of the judges towards protection of the rights of the victim under this Act.

Discussions were held on the major themes including full life cycle of cases under the SC/ST [Prevention of Atrocities] Act, analyzing the social genesis of atrocities against SC/ST and the Act, investigation and appreciation of evidence and access to courts for victims. The sessions through the four days highlighted the plight of the bonded labourers and the atrocities committed on dalit women. The implementation aspect of the SC/ST [Prevention of Atrocities] Act was discussed. The programme tried to raise the sensitivity level of the participant judges towards the nature and the kinds of atrocities committed on dalits and tribals across India and discussed on how proactive interventions can be made and how judges can solve this problem through courts.

P 414: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Civil Cases (April 22- 25, 2011)

Civil cases constitute a minor and often declining part of the case load of most district judiciary courts in India. Tribunalisation is largely a response to the failure of these courts to effectively handle adjudication of civil cases on a timely basis. On the other hand, rapid economic growth has generated a large variety of new civil disputes. In the absence of effective civil adjudication in district judiciary courts, new areas of civil litigation are being diverted to other I as well as High Courts. Consequently, strengthening civil adjudication is one of the most important challenges facing the judicial system in terms of quality, timeliness and cost. The programme focused on strengthening the adjudication of civil disputes against the above background. The programme provided the 27 judges from the subordinate judiciary an opportunity to share their experience and identify the main challenges and causes of delay in disposal of civil cases. The emerging new areas were highlighted and it was stressed that the present system was not able to effectively address new emerging challenges with the result that gradually civil jurisdiction was shrinking and tribunalization was taking place.

After the session discussing the various aspects to the related topics, the participants tried to develop strategies for effective civil adjudication. It was stressed that more time should be devoted for disposal of civil cases. It should be ensured that they are not converted into criminal courts mainly prosecuting poor people for petty offences.

P 418: National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases Concerning Trafficking and Sexual Offences (May 6-9, 2011)

One of the main aims of this programme was to emphasise the need for changing the relationship between the courts and the poor and powerless populace of the country.

Considering that this AMP series of workshop looks at a particular social and legal problem holistically, the workshop was devoted to discussions on social origins of the cases related to trafficking and sexual offences.

An overview of the magnitude of the problem of trafficking and commercial sexual exploitation of the trafficked women

and children was presented. A study by NHRC has drawn attention towards the various actors that are involved in trafficking. The geographical spread of the problem and policy responses presented by the government to deal with this problem was highlighted.

The social causes which have been responsible for trafficking and prostitution were enumerated for the participants and the continuous stigmatisation of victims of trafficking and prostitution by just not the society but also by the police, the courts and other authorities was also highlighted.

Discussions covered the law and justice delivery mechanisms for dealing with Trafficking and Sexual Offences. While offering an understanding about the issue of trafficking and commercial sexual exploitation, various challenges in investigation and prosecution of offences relating to trafficking and prostitution was given by the resource persons. Emphasis was laid on an urgent need to make a shift in order to understand that women are victims of prostitution and trafficking and by treating them as offenders and criminals the law too becomes a party in their dual victimisation. Discussions on the social origins of sexual offences drew attention towards the various gender bias and gender inequality prevalent in society, which are ultimately the root cause of the various kinds of offences against women. The participants were also made familiar with the challenges faced in rehabilitating the victims of trafficking and sexual offences.

P: 421 National Judicial Workshop on Adjudication Management: Adjudication of Cases involving Constitutional Rights and Civil Liberties (May 13-16, 2011)

Various aspects of cases involving civil-political rights were discussed during the Adjudication Management Program on Civil Liberties and Constitutional Rights. A socio-political context to the problem of terrorism and social conflict was presented, after which the participants were introduced to the nature of challenges involved in enforcing Anti-terror Laws. The session concluded with an elaboration on the theme of the Role of Courts and the importance of socially sensitive judging in such cases.

NATIONAL CONFERENCES OF HIGH COURT JUSTICES

GOAL 2 - STRENGTHENING THE JUSTICE SYSTEM

P- 337: National Conference of High Court Justices on Judicial Administration and High Courts' Power of Superintendence: Experience Sharing, (July 31 –August 1, 2010)

The main purpose of this National Conference of High Court Justices was to share experience of the various High Courts on exercising superintendence and control over subordinate courts as provided under the Constitution and the laws of the country. The Conference focused on three broad themes: (1) Nature and Scope of the Power of High Courts of Superintendence and Control over Subordinate Courts; and Approaches taken by various High Courts in Exercising such power; (2) Key Issues in the Exercise of the Power of High Courts of Superintendence and Control over Subordinate Courts; and (3) Way Forward: Lessons of Experience.

Discussions during the two day Conference threw light on the various challenges faced in the exercise of the powers of superintendence and control over the Subordinate Courts. Some suggestions and best practices of High Courts were also reviewed. The discussion also highlighted the administrative angle of the exercise of the powers of superintendence and control, i.e. Establishment of Court, Promotion, and Appointment etc. It was emphasized that the powers of control and superintendence over the subordinate courts must be exercised with caution and in the light of the Constitutional norms and values.

The seminar concluded with an understanding that the application of the provisions of Article 235 and 237 must be ensured keeping in view the spirit and the values of the Constitution. The normative methods of adjudication must be developed, implemented and adhered to. Also, the importance of the Independence of judiciary must never be lost in the discharge of the functions.

P 419: National Conference of Newly Appointed High Court Justices (May 6-8, 2011)

This National Conference provided newly appointed High Court judges an opportunity to discuss mutually and with experienced current and former judges of the Supreme Court and High Courts, as well as external experts, the main challenges facing the Indian judiciary and how they can most effectively contribute to meeting these challenges. One of the main challenges being effective supervision of the district judiciary courts. The Programme shared best practice and experience from across the country. It also provided a forum to the newly appointed High Court judges to meet and get to know colleagues from across the country. The two day Conference covered various issues regarding Enhancing Excellence in Judging, Judicial Review, Public Interest Litigation, Separation of Powers and Judicial Activism, Challenges facing the Country and the Judicial System and lastly, Providing Strategic Leadership for the Development and Strengthening of Subordinate Courts.

GOAL 3: ENHANCING SOCIAL IMPACT OF THE JUSTICE SYSTEM

P- 343: National Conference of High Court Justices on Commercial and Economic Law: Current Issues and Challenges (August 21 – 22, 2010)

The main purpose of the Conference was to discuss and facilitate sharing of experiences across the country on the latest developments in Economic and Commercial Law in the light of the four main judging challenges faced by the judiciary: (1) Reconciling the concept of "economic development" with individual and community rights, especially with respect to land, natural resources, employment, livelihood, labour rights and public services; (2) Developing a common vision on the role of courts in securing social justice in the context of a globalizing, market-based economy (including the scope of "judicial activism" and the application of the concept of separation of powers in matters of economic policy); (3) Defining and providing an "appropriate" strategic direction to the development of economic and commercial law in India in a globalizing world in which law itself is being unified and globalized and the role of national legislative and judicial institutions is being diminished in relation to international bodies; and (4) establishing a modern and efficient judicial system necessary to underpin investment, finance and commerce in a globalizing world by assuring timely enforcement of contractual and property rights. Twenty-two High Court Judges from across the country participated in this programme.

P- 352: National Conference of High Court Justices on Terrorism and National Security: Key Challenges and Role of Courts (September 18 – 19, 2010)

Terrorism as well as internal insurgency have emerged as some of the most important challenges currently faced by the country. A number of new laws and legal instruments have been enacted at the national and international level to deal with these challenges. Many of these reserve unprecedented power and authority to executive authorities without traditional checks and balances. Courts are being called upon not only to assess the legality of these measures but also to review their implementation. The main purpose of this National Conference was to provide an opportunity to the Hon'ble Justices to discuss the wider social, economic and policy context in which these challenges have arisen and the policy responses to deal with them that have been formulated and implemented. Key decisions of the Supreme Court and High Courts pertaining to these matters were noted and understood.

During the course of the conference a presentation was made on the Government of India's perspective on various threats of national security. Experiences on investigation of terrorism related crimes were also placed before the participants. The other areas of discussion were on the Naxal situation in Bihar and Chhattisgarh; Special Anti-terror Laws and the challenge of Terrorism, Socio-economic explanation for insurgency and other modes of anti-state violence; Insurgency in the North-east and the historical context of problem in Kashmir.

P- 360: National Conference of High Court Justices on Protection of Environment and Natural Resources: Role of Courts (October 16 – 17, 2010)

The monthly Conference facilitated discussions on new areas of legal development and challenges facing the judicial system among the High Court Justices from across the country. This programme discussed in-depth the main challenge of environmental protection and the role of Courts.

The National Conference held in October discussed the four key judging challenges with regard to Environmental protection:
i. Defining environmental protection, environmental justice and sustainable development;
ii. Balancing environmental protection, economic development and human rights: assessment and allocation of interests, costs and benefits;
iii. Addressing failures and gaps in legal/regulatory mechanisms and devising innovative remedies for environmental protection and
iv. Evolving the right judicial policy towards public Interest Litigation and judicial activism in environmental protection, environmental Justice and sustainable development.

The conference emphasized the need of making a shift from the contemporary balancing and environmental management approach to rights protection approach in the matters relating to protection of environment and natural resources.

P- 370: National Conference of High Court Justices on Contribution of High Court Justices to Development of Law (January 2009 to Date) (November 20 – 21, 2010)

Apart from discussing new areas of legal development arising from decisions of various High Courts across the country, this programme provided a forum for Judges from High Courts to make presentations on the major decisions of their respective High Courts after January 2009 that has contributed to the development of law.

P- 378: National Conference of High Court Justices on Poverty and Social Justice: Key Challenges and Role of Courts (December 18- 19, 2010)

This important Conference was to provide Hon'ble Justices an opportunity to discuss the primary national challenge of poverty alleviation, social marginalization and social justice in the current national and global context and share views and experience on the role of the judiciary in meeting this challenge. "The Promise of Democracy for the Masses and the 21st Century Indian State" was presented before the participants. As part of the discussion on the theme of Social Justice, a detailed analytical narrative on the impoverished state of SC/ST communities in our country was placed before the house. A socio-economic perspective in relation to various ongoing forms of resistance in different parts of the country including

secessionist movements and Maoist movements was provided for the participants. In the concluding session of the conference the participating judges were acquainted with the Role of Courts in combating the aforementioned national challenges.

P 385: National Conference of High Court Justices on International and Foreign Law: Emerging Issues (January 22 – 23, 2011)

The purpose of this National Conference of High Court judges was to share knowledge and information on how courts, across states and at the national level, are currently approaching issues of international and foreign law; and identify any issues that need further analysis and examination. The Indian experience in this regard was also contrasted with the experience of other countries.

Discussions on the emerging areas in Public and Private International Law led to an understanding of the various important aspects in relation to the emerging scenario. The participating judges were also shown how international law is giving content to the development of different areas of law including matrimonial, trade, human rights, refugee law and thereby the necessity in understanding its application in adjudicating such cases in the national courts. Apart from this, the programme also discussed how international law is impacting the decision making in the country and to what extent the international law could be borrowed in domestic jurisprudence. The main concern as discussed in the sessions was the lack of understanding of the public and private international law developments amongst the bar and the bench and hence, a need to widen the horizon of knowledge. Deliberations were held on the relation with limitation law, contractual obligations, execution on these decrees, matrimonial matters, disputed territory, refugee laws and summons and treaty obligations.

The programme concluded with the consensus that Indian Courts must be more liberal to follow international law and the challenge is to find the right balance to observe domestic laws even when international law is invoked.

P 389: National Conference of High Court Justice on Contribution of Supreme Court to Development of Law (January 2009 to Date) (February 5-6, 2011)

The monthly Conference provided an opportunity for High Court Justices from across the country to discuss and exchange views on new areas of legal development arising from key decisions of the Supreme Court in the last year (after January, 2009) that have contributed to the development of law. The resource persons and participants critically analyzed the vast range of decisions issued by the Apex court each year laying down the law on a wide variety of legal issues.

Apart from enumerating the contribution of the Supreme Court to the development of law discussions were held on the

major issues plaguing the Indian society, namely Social Justice: Protection of Rights of Disadvantaged Sections: Poor including SC/ST; Women and Children; Criminal Justice System: Economic Development; Constitutional Rights and Civil Liberties; and Environmental Protection.

P 404: National Conference of High Court Justices on Strengthening Governance and Public Administration: Key Challenges and Role of Courts (March 5-6, 2011)

The main purpose of the Conference was to give an opportunity to the participants to share experience on the role and contribution of courts in strengthening governance and public administration; and to discuss how this role may be further strengthened. It further explored the role of a constitutional court in making the executive accountable to the constitutional parameters. Interaction with experts in governance from other disciplines, and to assess latest thinking in this area was appreciated by the participants.

A presentation was made on the world view of the Indian state in the post liberalization era in its anti-people and pro-corporate policies. The various aspects leading to the creation of the Right to Food PIL in the SC was placed before the house. Apart from discussing the need of making the state transparent and accountable in relation to the implementation of various socio-economic laws of the state, a detailed presentation on the constitutional character of the Indian state showed that there was an urgent need to subject the policy making of the state to judicial scrutiny in the age of globalization where the pressures of "growth" and "development" had become the guiding interests of the government. Public Interest Litigation an area of vital importance to the common man was critically examined. Various issues with regard to state excesses and the issue of civil liberties were also analyzed.

P 412: National Conference of High Court Justices on Administration of Criminal Justice: Issues and Challenges (April 16-17, 2011)

The aim of this Conference was to provide a forum for High Court Justices to discuss mutually and with relevant experts ways and means to strengthen criminal justice administration in the country in a sustainable manner. Experience and best practice initiatives were shared from across the country and developments in law reviewed. Focusing on the various recommendations of the Malimath Committee, discussions were held on the emerging policy responses to the "Crisis of the Criminal Justice System". The sacrosanct nature of Constitutional Limits in relation to various reform measures suggested to remedy the system was also enumerated. The importance of operating within the laws of the land while fighting terror was emphasized and insights provided on the nature and extent of human rights excesses perpetrated by the armed forces and police in the country. Capital sentencing was also taken up as a topic and the issue of arbitrariness in sentencing was discussed.

SPECIAL EVENTS

SE-1 : Judicial Seminar for Sri Lankan Judges on Recent Developments in Law (August 11 to 15, 2010)

Sixteen Justices from Sri Lanka participated in the five day Seminar. Apart from facilitating interaction between the visiting Judges and Chairman and members of the State Human Rights Commission of Madhya Pradesh, the programme also highlighted the various environmental issues that the Courts have to deal with and challenges that the Indian Judiciary faces. To reinforce the discussions held, a site visit to the Bhopal Gas Tragedy Site was also organised. Taking the Bhopal Gas disaster as a case study, mass tort litigation was reviewed. The judges were also made familiar with the problems of governance and public accountability from the point of view of the Lokayukt of the State. Discussions on Judicial Reforms and Methods stressed on upholding the right conduct and observing constitutional norms and values.

The other areas covered during the Seminar were Economic and Commercial Law, Recent Developments in Trade Law; Social Audit and Right to Information; Industrial Laws, Corporate Law and Human Rights issues, Consumer Protection Law in India, Corporate Social Responsibility, Corporate Civil Liability, Growing Tribunalisation in India, Intellectual Property Laws, Striking a balance between the Environmental Law and Commercial Laws, NREGA, Trade Laws, Cross Border Finance and Investment, Implementation of Contracts, Admiralty actions, Corporate Scams – Satyam Scam, Corporate Governance Issues, Whistle Blower Laws, SICA and SARFAESI laws.

To give an insight into the Corporate Law regime in Indian jurisprudence and the adjudicatory mechanism discussions centered around Recent Developments in Company Law & Securities Law; Arbitration, Mediation and Commercial Dispute Settlement. SEBI - its duties, functioning and powers were an important point of discussion. Tribunalisation which has plagued all the other legal areas was deliberated and the rationale for the same understood and noted. The Sri Lankan perspective on the scheme of corporate regime was presented by the participants. Landmark decisions of the Apex Court were discussed and reasoning of the Court debated upon.

SE-2 :Orientation Seminar for Judges from Sri Lanka on Recent Developments in Indian Law (December 18-22, 2010)

Developments in the area of economic and commercial law in India were enumerated for the participants and a presentation on expanding regime of constitutional rights and civil liberties was made. Various environmental issues including global warming, coastal degradation etc was highlighted. An overall picture of the various trafficking and sexual offences and the laws dealing with them was recounted for the visiting judges.

National Judicial Education Framework on judicial reform and judicial education was detailed out for the twenty one visiting Judges.

SE-3 : Annual Calendar Meeting (March 12, 2011)

The Annual Meeting of Chief Justices and High Court Judges in Charge of Education for the development of the Calendar of the National Judicial Academy for the academic session July 2011- May 2012 and the Integrated National Judicial Education Calendar was held at NJA, Bhopal on March 12, 2011. A presentation was made on the proposed calendar and deliberations on the various aspects of the proposed calendar held.

ADMINISTRATION AND STAFF

In a period of nine years, NJA has already become a note worthy institute for judicial education, research on court management and justice administration and policy development. The central reason for the stupendous growth of the NJA has been the support which the institution has received from its administration. Given below is a bird's eye view of the administrative structure of the NJA:

1. Members of the **NJA SOCIETY:**

(as on 31st March, 2011)

S/N	Designation	Name
1	The Chief Justice of India (ex officio Chairman)	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
2	Two puisne Judges of the Supreme Court of India	1) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir 2) Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran
3	Chief Justice of a High Court	Hon'ble Mr. Justice Syed Rafat Alam Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh
4	Director, National Judicial Academy (ex-officio Secretary of the Society).	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal
5	One Judge of another High Court	Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri, Judge, Delhi High Court
6	Two Law Academics	1) Director, NLIU, Bhopal (ex officio) 2) Dean Faculty of Law, Delhi University (ex officio)
7	ex officio members: (a) Minister for Law, Govt. of India (b) Chairman, Bar Council of India	 Mr. Salman Khurshid Mr. Gopal Subramanium
8	Secretary to the Government of India, Department of Justice	Ms. Neela Gangadharan
9	Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs	Mr. D.R. Meena
10	Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training	Ms. Alka Sirohi
11	Secretary to the Government of India, Department of Expenditure	Mrs. Sushama Nath
12	Secretary General of the Supreme Court of India	Mr. A.I.S.Cheema

2. GENERAL BODY

The General Body comprises of the members of the Society (as listed above).

3. GOVERNING COUNCIL

The administration, management and control of the Society is vested in the Governing Council which consists of the following:-

S/N	Designation	Name
1.	The Chief Justice of India (ex officio Chairman)	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
2.	Member Judges, Supreme Court of India	1) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir 2) Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran
3.	Director, NJA (ex-officio Member, Convenor)	Prof (Dr.) G. Mohan Gopal
4.	Secretary to the Government of India, Department of Justice, Ministry of Law & Justice	Ms. Neela Gangadharan
5	Secretary to the Government of India, Department of Expenditure, Ministry of Finance	Mrs. Sushama Nath
6	Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice	Mr. D.R. Meena
7.	Secretary General, Supreme Court of India	Mr. A.I. S. Cheema

4. ACADEMIC COUNCIL

An Academic Council, comprising of the Chief Justice of India (ex-officio Chairman of the Academy) & two Senior-most Judges of the Supreme Court and other nominated members (nominated by the Chairman) of the Supreme Court, has been constituted, by the Governing Council vide its Resolution dated 18th November, 2003. The Council has been enlarged by the Chairman with the approval of the Governing Council vide its Resolution dated 7th February, 2006 and consists of the following members as on 31st March 2011:

S/N	Name	Designation
1.	Hon'ble Mr. Justice S. H. Kapadia, Chairman	The Chief Justice of India
2.	Hon'ble Mr.Justice Altamas Kabir Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran Hon'ble Mr. Justice Deepak Verma	Judges of the Supreme Court of India
3.	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal, Coordinator	Director, NJA
4.	Hon'ble Mr. Justice M. Jagannadha Rao	Former Judge, Supreme Court of India
5	Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri	Judge, Delhi High Court
6	Hon'ble Mr. Justice V.S. Aggarwal	Former Judge, Delhi High Court
7.	Mr. Gopal Subramanium	Former Solicitor General of India.
8.	a) Mr. Fali S. Nariman b) Mr. K.K. Venugopal c) Mr. P.P. Rao	Senior Advocates, Supreme Court of India
9.	Mr. A.I.S.Cheema	Secretary General, Supreme Court
10.	Director, Indian Law Institute	(ex-officio)
11.	Dr. S. K. Jain	A Judge from Delhi Higher Judicial Service

5. EXECUTIVE COMMITTEE

An Executive Committee, comprising of Chief Justice of India (ex-officio Chairman of NJA) and three Senior Most Judges of Supreme Court has been constituted by the Governing Council vide its Resolution dated 18th November, 2003 for continuing supervision in programmes and administration. The composition of the Executive Committee as on 31st March 2011 is as under:-

S/N	Designation	Name
1.	The Chief Justice of India (ex officio Chairman of the Academy)	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
2.	Three Senior most Judges of the Supreme Court of India	a) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir b) Hon'ble Justice R.V. Raveendran c) Hon'ble Mr. Justice Dalveer Bhandari
3.	Director, NJA (Coordinator)	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal

6. Officers of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

ADMINISTRATION

The Director of the Society is the Principal Executive Officer of the Society appointed by the Chairman with the approval of the Government of India.
The administration of the Academy is looked after by the Director with assistance from two Registrars and other officers.

ADMINISTRATIVE OFFICERS

(as on 31st March, 2011)

Sr. No.	Name of Post	Name of the Officer	Details of Posts		
			Sancti-oned	Existing	Vacant
1.	Director	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal	1	1	-
2.	Registrar (Adminstration)	-	1	-	1
3.	Administrative Officer	Mr. Kuriakose Mathew	1	1	-
4.	Chief Accounts Officer	Mr. Avinash Choudhary	1	1	-
5.	Maintenance Engineer	-	1	-	1
6.	Deputy Librarian	-	1	-	1
7.	Manager (Event Management)	Mr. Cheten Nehete	1	1	-
8.	Manager (Hospitality)	Ms. Ankita Nigam	1	1	-
9.	Computer System Administrator	Mr. Amzad Khan	1	1	-
10.	Manager (Documentation & Communication)	Ms.Sangeeta Rasaily Mishra	1	1	-

ACADEMIC

For every academic programme, a team of very distinguished faculty members are invited from different parts of India who stay with the participants on campus during the programme period and interact with them.

The Academy has the following members in its faculty:

FACULTY

(as on 31st March, 2011)

S/N	Name of Post	Name of the Officer	Sanctioned post	Existing Strength	No. of vacant Post
1.	Director	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal	1	1	-
2.	Additional Director	-	1	-	1
3.	Registrar (Academic)	Mr. S. P. Srivastava	1	1	-
4.	Professor	-	3	-	3
5.	Assistant Professor	Ms. Nidhi Gupta Dr. Silla Ramsunder Mr.Dayanand Murthy Dr.Sheena Shukkur Ms. S. Mini (upto 9.7.2010)	6	4	2
6.	Research Fellow	Mr. Siddhartha Sharma	6	1	5
7.	Law Associate	Mr.Rajesh Suman Ms.Amrita Paul (upto June 2011) Ms.Garima Tiwari Ms. Suchitra Paramguru (upto 5.7.2010) Ms. Hina Varshney (upto 30.7.2010) Ms. Aparna Singh (upto 2.7.2010)	6	3	3

7. INFRASTRUCTURE AND SUPPORT SYSTEMS:

Located on a hillock on the outskirts of the City overlooking the famous upper lake of Bhopal, the Academy commands a panoramic view of the city and its surroundings. The campus of the Academy is spread over 62 acres with a built up area of 28,000 sq. metres. With lush green surroundings, unpolluted air and natural scenery, the Academy provides an ideal setting for study, reflection, research and recreation. Therefore, the Academy with its state-of-the-art judicial education facility can rightfully claim to be the most modern and well equipped centre for education and research work relating to the judicial establishment in the country.

A brief description of the infra-structural facilities is given below:

(A) **The Campus has the following centrally air-conditioned buildings:**

(i) VIP Guest House No.1 (144 self-contained suites with all attached facilities at four levels);
(ii) VIP Guest House No. 2 (12 Suites with 5-Star facilities);
(iii) Management Block (Office Rooms for Director, Registrar and other Officers/Staff);
(iv) Six Seminar Rooms, 10 rooms for faculty and a conference hall;
(v) Library (Gyan Ganga) & Research Centre (Gyan Manthan);
(vi) Auditorium-cum-Convention Hall;
(vii) Recreation Complex;
(viii) Executive Dining Hall with attached kitchen facilities.

(B) **Residential Facilities:**

i) **VIP Guest House No.1:**

Stepping down on four levels, the hostel rooms open out to a terrace garden for each room at every level. This Guest House has a total of 144 well furnished rooms, and is provided with provision for double occupancy, the rooms here have attached facilities including a telephone. A modern kitchen with latest kitchen equipment and a large dining hall, waiting lounge, reception, doctor's room and other amenities are part of the Guest House Building. With a Lift to facilitate movement of the guests through all the levels, the rooms are an ideal place to go back after an invigorating academic session.

ii) **V.I.P. Guest House No. 2:**

The Guest House has twelve well furnished suites for the visiting dignitaries with a Waiting Lounge, a Modern Kitchen and a Dining Hall.

iii) **For Officers and Employees of the Academy:**

(a) **Bungalows for Director/Addl. Director**: The Academy has two fully furnished Bungalows, each designated for the Director and the Addl. Director of the Academy.

(b) **Row Houses**: The Academy has twelve independent Row Houses; of which eight have 3-bedroom and four have 2-bedrooms, for its Officers.

© **Staff Quarters**: The Academy has a total of thirty-four staff quarters for various categories of its staff.

(C) **Infrastructure for Academic & Research Activities:**

(i) **Six Seminar rooms**: Six Seminar Rooms with a seating capacity for 30 to 40 persons have been constructed and furnished with latest audio visual equipments for presentation, inter-active sessions, and teaching etc.

(ii) **Auditorium-cum-Convention Hall**: It has a seating capacity for 281 persons and is equipped with the latest audio visual equipments for holding Conferences & Seminars.

(iii) **Faculty Rooms**: For providing suitable chambers and secretarial services to the members of faculty, ten rooms with cabins for the Secretarial Staff have been constructed and fully furnished in the Academic Block of the Academy. There is a separate Conference Hall for the members of faculty for facilitating discussions amongst the members of the faculty

(D) **Library (Gyan Ganga):**

National Judicial Academy has a reasonably good library with books, journals, magazines, research publications, manuscripts, reports and other documents related to the judiciary and Law. It was started in 2004 in an area of 1412sq.meter devoted solely for this purpose. In a period of just about seven years, the Library has acquired 20,000 volumes, which include both national & international publications.

The Library also provides online accessibility to Manupatra, S.C.C Grand Jurix, EPW, West Law, Hein Online & JSTOR. Five thousand resource materials of the programmes held previously is available for ready reference here.

Named the Gyan Ganga, it is manned by two Library Assistants. It is open for use of the participants from 9.00 am to 9.00 pm. The entire Library with internet connectivity has nine work stations to facilitate the participants. The Library has all facilities including a documentation centre, news paper & magazine section, reading room and a conference hall.

Details of the facility at Gyan Ganga (Library):

(i) **Reading Room**: The reading room is fully furnished for display of latest journals and publications etc. with seating facility for 66 persons.

(ii) **Compactors for law books**: The basement of the Library block has Compactors for safe storage of 75,000 law books.

(iii) **Documentation Centre**: Library has a separate section for documentation work with latest photocopiers, scanners and computers.

(E) **Recreation Centre:** The Centre is functional with various state of the art facilities i.e. Swimming Pool, Steam Bath, Lawn Tennis Court, Billiards, Gym etc.

(F) **Water Supply System:** The Campus has a dedicated Water Supply System with its own Filter Plant and other ancillaries to provide uninterrupted water supply to the Academy.

(G) **Electricity Supply System:** Similarly, to provide uninterrupted electric supply to the Academy, the Academy has made special arrangement of electric supply through a dedicated 33 KV feeder from MPSEB and a stand-by generator of 500 KV. capacity.

(H) **Security:** The security of the Campus is managed by Baaz Security services which employ nearly 57 security personnel to provide round-the-clock security for the premises.

Governance of NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

The Governing Council at its meeting held on 6th May, 2010 took the following important decisions:

- Unanimously resolved to approve that contracts for the services required on a regular basis (i) security; (ii) gardening; (iii) cleaning of buildings and roads and housekeeping of guest houses; (iv)catering; (v) transportation (taxi) and (vi) photocopying, printing and binding may be procured and awarded for a minimum period of two years, with further provisions for extension on mutual consent.
- Unanimously resolved to approve lease of necessary space in the shopping complex of the Academy for installation of one ATM.
- Unanimously resolved to approve the NJA Calendar for 2010-2011, as proposed. Hon'ble Chairman is authorized to make any changes to the Calendar as needed including adding or deleting programmes. The Director is authorized to set and revise dates for programmes as appropriate.

The Governing Council at its meeting held on 30th July, 2010 took the following important decisions:

- Unanimously Passed the Accounts of the Society for the year 2009-2010.

1. Keeping in mind current scarcity of public resources, Hon'ble Chairman directed that remaining capital funds with the Academy not required for the current financial year be returned to Government after discussing current year's need with Department of Justice. Future needs will be met by Government on a timely basis.
2. Hon'ble Chairman also directed that any substantial increase in expenditure on any item should be explained in a footnote to the accounts.

- Unanimously Passed the Annual Budget estimates of the Society for the year 2010-2011.
- Unanimously Resolved to approve the Annual Report of the Academy for the year 2009-10.

The General Body at its meeting held on 30th July, 2010 took the following important decisions:

- Unanimously Passed the Accounts of the Society for the year 2009-2010.
- Unanimously Passed the Annual Budget estimates of the Society for the year 2010-2011.
- Unanimously Resolved to approve the Annual Report of the Academy for the year 2009-10.

The Academic Council meeting held on May 6, 2010:

- approved the calendar for the year 2010-11 as proposed.

Progress in implementation of

NATIONAL JUDICIAL EDUCATION STRATEGY

NJES has been implemented since January, 2007 and implementation has now completed four full academic years (2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11)
Set out below is a matrix reporting on progress in the implementation of NJES.

A. ASSESSMENT OF PROGRESS IN ACHIEVING NJES KEY GOALS AND OBJECTIVES

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
1	**National Judicial Education must focus on enhancing the delivery of timely justice.** (1) Reduction of delays and arrears will need to be pursued through educ ation and training on (i) use of information and communication _technology (ICT); (ii) use of modern management systems for court and case management; (iii) strengthening core judicial knowledge and skills; and (iv) promotion of ADR methods (mediation, conciliation, arbitration or Lok Adalat). (2) The capacity of the judiciary to respond to priority areas of justice will be enhanced through (i) broadening judges' perspectives on justice issues in areas of greatest demand for justice and sensitizing them to the need for effective justice delivery; and (ii) developing the ability of judges to use new and innovative approaches to effectively respond to the demand for justice delivery within the existing legal framework.	Progress is satisfactory. (1) Main focus of NJA programmes is explicitly now on enhancing delivery of timely justice in terms of delay and arrears reduction as well as on enhancing quality and responsiveness of justice. (2) NJA has developed a detailed framework for reducing delay and arrears and enhancing quality and responsiveness of justice (called "Planning and Management for Timely Justice").

	(3) The 117 th Report of the Law Commissi on of India dated November 1986 ("Training of Judicial Officers") noted the inadequacy of practical training for judges because this will "sustain past practice without any change or without any effort to tone it to the mores of the day" (para 2.6). This Law Commission Report went on to say: The basic aim of [judicial] training is to equip the trainees not only with tools to execute their work, *but to endow them with vision as to what is expected of the system they serve.* What is meant by justice? What is decision making process? What are the goals of the Constitution? What is the direction in which law must move? What does the dictum justice according to law imply?	(3) NJA has also developed a theoretical framework for quality and efficiency of justice delivery.
2	**Scaling up of NJA programmes**: All 13,000 judges across the country should receive NJA training for at least one week every year (2% of their annual time), focused on issues of national priority. Focus on 5,000-6,000 CJM/district level and above. Currently High Courts have indicated that, due to institutional constraints, some 2500 or so judges may b e sent to NJA each year. In 2006 on average a judge may come to NJA once in about 15 years. High Court judges' programmes were not being routinely carried out. NJA needs to cover judges at all tiers from across the country.	Satisfactory progress. Number of judges participating in NJA programmes as well as number of programmes has been increased four -fold to about 3000 judges and 100 programmes per year. At the current level a judge may expect to come to NJA once in 4 years or so. Monthly conferences of High Court judges being held with some 250 High Court judges attending these conferences each year. With the introduction of junior division orientation programmes, NJA today covers judges of all tiers.

3	**Distinguishing roles of NJA and State Judicial Academies (SJA) and avoiding duplication of effort.** The main comparative advantage of NJA is its ability to bring a national perspective to judicial education and training, inculcate *a* national outlook amongst judges at all levels and focus on key issues of national priority that cut across states.	Satisfactory (1)NJA programmes are focusing on issues of national priority (2)NJA calendar is now routinely developed at a meeting of High Courts ("Annual Calendar Meeting") to avoid duplication with SJAs (3)Monthly meeting of SJAs is held to facilitate coordination with NJA and amongst SJAs
4	**Support and Encourage SJAs**	Satisfactory progress. (1) 5 (monthly) programmes held with SJAs this year to help develop judicial education at the State level; (2) Monthly Regional programmes being held in various parts of the country in collaboration with SJAs
5	**Curriculum and Pedagogical/Delivery Method Development:** NJA will establish a unit for curriculum and pedagogy/delivery method development and will share the knowledge generated in this regard with SJAs.	Unit yet to be established

6	**Programme Types:** To meet these education needs, NJA will need deliver four types of education/training programs: i. Programs Teaching Tools and Techniques for *arrears and delay reduction*; ii. Programs providing Core Judicial Skills and Knowledge/ Judicial Method Development; iii. Programs Broadening Judges' Perspectives on Priority Areas of Justice Demand; and iv. New and Emerging Areas.	Satisfactory progress. Curriculum revised in accordance with this approach
7	**Judicial Reform and Policy Development/Court Statistics:** NJA will establish a small unit that will undertake systematic research work on strengthening judicial administration through judicial reform for the advancement of strategic goals and objectives. As a part of this,NJA will establish a court statistics project which will develop norms and policies for collecting and analyzing court statistics for the consideration of the Supreme Court and also prepare periodical analysis of court statistics. NJA will also carry out an active research program focused on the strategic goals.	Satisfactory progress in developing analytical work on judicial reform and judicial statistics. Unit/project yet to be established. Preparation of unit in progress. Such a unit also called for by the Parliamentary Select Committee.

8	Conceptualize Judicial Education distinct from Legal Education	Satisfactory progress (see below)
	Five Key Judicial Education Goals: Goal 1: Providing basic knowledge (SJAs) Filling information gaps on statutes and case law, including their interpretation (SJAs) Goal 2: Providing advanced knowledge including in new/ emerging areas (SJAs and NJA) Goal 3: Improving the methodologies and processes by which judges reach judgments ("judicial method") i.e., judicial reform at the court level (SJAs and NJA) Goal 4: Strengthening Philosophy/ Perspective Raising social commitment of judges to the justice goals behind statutes/case law and their resolve to achieve just outcomes (SJAs and NJA) Goal 5: Strengthening judicial ethics and character building of judges/ building national outlook (SJAs and NJA)	Satisfactory progress in realigning syllabus to meet these roles as assigned to NJA
9	Establishing a Clear Strategic Goal for Judicial Education **("why"?):**	Satisfactory progress (see discussion below)
10	Clear Identification of Beneficiaries/Target Groups and Targeting of Programs **("who"? "when"?):**	Satisfactory progress. New programmes started for High Court judges, district judges, junior judges, as well as for functionally - based groups of judges. Programmes for stakeholders other than judges not initiated.

11	Developing Curricula and New Programs **("what"?)**	Satisfactory progress. New curriculum and number of new programmes developed.
12	**Dissemination of NJA programmes** through video-conferencing/web-streaming links and through posting material on the NJA web site)	Progress not satisfactory due to lack of adequate staff.
13	**Impact Evaluation**	Satisfactory progress in implementing course evaluation and developing a new framework for evaluation of impact.
14	**Improving Pedagogy and Delivery Methodology ("how?")**	Satisfactory progress. Use of simulations; discussions; experiential learning, etc., initiated.
15	**Development of Judicial Sciences through a "Judicial University"** which could conduct degree and diploma courses and confer LL.M. degrees to judicial officers through distance education (initially in collaboration with a National Law University). As a judicial university NJA could also offer a six month diploma program on ADR as well as on mediation, a short certificate course on mediation, prepare CDs on subjects of importance to judges and offer opportunities to do doctoral research on judicial topics.	Work yet to begin
16	**Quality Control:** NJA should establish appropriate mechanisms for quality control of NJA educational programs that are independent and carried out by domain experts.	Not yet done

17	**Coordination with E -Committee:** Given the emphasis on arrears and de lay reduction, the need to educate on greater use of technology by courts as well as in delivering judicial education, close coordination with the E-Committee will be required. The E-Committee may provide guidance on matters relating to the use of technology in courts also to ensure that judicial education remains fully consistent with the technological solutions coming from the E-Committee.	Satisfactory progress.
18	**Mechanism for Better Targeting of Judicial Education:** NJA will develop for consideration of State High Courts and the Supreme Court a suggested mechanism to ensure that judicial education (including selection of trainees) is appropriately matched to judges' needs in terms of their responsibilities.	Not yet done
19	**Resource Material**	Quality significantly improved; dissemination also improved.
20	**Faculty**	New positions created; New organizational structure approved by GC, pending approval by Government; Improvement in faculty quality; entirely new team assembled; Several attempts at new recruitment made; faculty still substantially inadequate in terms of number.

The goals and targets of NJES remain relevant. Overall there has been satisfactory progress in implementing NJES. In the four years since the implementation of NJES a number of important new ideas and programmes have developed at NJA. There are a number of areas in which implementation needs to be further strengthened. The main areas include the following:

(1) Publications:
- I. Journal (new Indian Journal of Justice Studies established; first issue currently under print;
- ii. Bulletin disseminating main findings and recommendations of individual programmes
- iii. Research findings

(2) Development of Model Content and Methodology of Judicial Education Programmes reflecting new/original thinking emerging at NJA (discussed above); strengthening and clarifying core focus and philosophy of judicial education;

(3) Recommendations and Discussion papers for Policy Development to Strengthen the Judicial System (including Planning and Management for Timely Justice)

(4) Dissemination of Advanced Knowledge on Key/Selected Areas of Law with focus on Supreme Court jurisprudence

(5) Research into the Judicial System and Development of Judicial Statistics

(6) Strengthening Academic and Administrative staff capacity as well as internal policies and procedures

(7) Completing needed additions of infrastructure.

(8) Increasing interaction with other stakeholders in the judicial system

(9) Increasing international collaboration.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Judicial Academy, Bhopal for the year ended 31 March 2011.

We have audited the attached Balance Sheet of National Judicial Academy, Bhopal (Academy) as at 31 March 2011 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. The Audit has been entrusted for the period upto 2012-2013. These financial statements are the responsibility of the Academy. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency –cum-performance aspects etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating of the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government India.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Academy in so far as it appears form our examination of such books.

(iv) We further report that: -

A. Balance Sheet

1. Fixed Assets

Non-reconciliation of figures of schedule 4 and Fixed Assets Register as on 31st March 2011.

Scrutiny of figures of fixed assets as per schedule-4 forming part of balance sheet as on 31st March 2011 and figures of Fixed Assets Register revealed difference in figures as per details given below: -

Sl. No.	Name of Assets	Amount shown in Schedule-4	Amount as per Fixed Assets register	Difference (+) Excess
1	Audio visual System	6188923/-	6039975/-	(+) 1,48,948
			Total	**(+) 1,48,948**

The difference in figures of Assets shown in above table needs to be reconciled.

B. Grant-in-aid

The Academy had unspent grant (Non plan) of Rs. 1.90 crore of previous year. The Academy received Rs. 9.72 crore as grant in aid (Non plan) during current financial year 2010-11. Thus a total of Rs. 11.62 crore of grant was available with the Academy out of which Rs. 7.48 crore has been utilized leaving a balance of Rs. 4.14 crore as unutilised grant at the end of 2010-11.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the management of the NIA, Bhopal through a management letter issued separately for remedial /corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/ Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Polices and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Judicial Academy, Bhopal as at 31 March 2011 and;

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: - Gwalior

Date: -17.01.2012

Principal Accountant General (C&CA)
M.P. Gwalior

Annexure

(1) Adequacy of Internal Control System

The Academy has not yet framed the Rules and Regulations (Service Rules, Finance Rules and Purchase Rules) for management and administration of the Academy as required under its memorandum of Association, which led to inadequate internal control system.

(2) Adequacy of Internal Audit System

Internal audit of the Academy is being conducted by office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Law, Justice & Corporate Affairs, New Delhi.

(3) System of Physical Verification of Assets

Physical verification of assets for the year 2010-11 has been conducted.

(4) System of Physical Verification of Inventories

Physical verification of inventories has been conducted during the year.

(5) Payment of statutory dues

No irregularity was noticed in the payment of statutory dues.

Audit Officer/SAR

National Judicial Academy

Action taken Report/Reply to Audit Observations

<table>
<tr><th>Audit Para No.</th><th>Audit Observation</th><th>Action Taken Report/Reply to Audit Observation</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Balance Sheet</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Fixed Assets</td></tr>
<tr><td></td><td>Non-reconciliation of Figures of Schedule - 4 and Fixed Assets Register as on 31st March 2011.

Scrutiny of figures of Fixed Assets as per schedule-4 forming part of balance sheet as on 31st March 2011 and figures of Fixed Assets Register revealed difference in figures as per details given below:-

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Name of Assets</th><th>Amount shown in schedule – 4 of fixed asset</th><th>Amount as per fixed Asset Register</th><th>Difference (-) less (+) excess</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Audio Visual System</td><td>6188823</td><td>6039875</td><td>(+)148948</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td>(+)148948</td></tr>
</table>
The difference in figures of Assets shown in above table needs to be reconciled.</td><td>1) Audio Visual System -
The difference of ₹ 1,48,948/- is due to the following reason:-

An amount of ₹1,48,948/- was paid during the year 2007-08 to M/s Lal Ion Exchange Chemicals (P) Ltd., Bhopal towards strengthening of existing water treatment plant. This was wrongly included under Audio-Visual system. Therefore, necessary adjustments in Schedule-4 of fixed assets have been made in the financial year 2011-12.</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Grant-in-aid:</td></tr>
<tr><td></td><td>The Academy had unspent Grant (Non-Plan) of ₹ 1.90 crores of previous year. The Academy received ₹ 9.72 crores as grant-in-aid (Non-Plan) during current financial year 2010-11. Thus, a total of ₹ 11.62 crores of Grant was available with the Academy out of which ₹ 7.48 crores has been utilized, leaving a balance of ₹</td><td>Budget Estimates for the year 2011-12 have been revised by the Academy after taking into account the unspent grant available with the Academy in the line of letter no. J-13011/4/2011-JR dated 05.10.2011 issued by Ministry of Law and Justice, Department of Justice. Revised Estimates for 2011-12 were sent by the Academy to the Department of Justice, New Delhi vide letter no. NJA/Acctt.&Audit/14/4098 dated 14.10.2011. Balance amount of grant-in-aid ₹ 4.14 crores has been fully utilized by</td></tr>
</table>

Chief Accounts Officer
National Judicial Academy
Bhopal - 462 044

	1.14 crores unutilized Grant at the end of 2010-11.	the Academy during the year 2011-12 and utilization certificate was sent by the Academy to the Department of Justice.
C. Management Letter :		
1. Non-writing back of time barred cheques not presented for payment.		
	Eight cheques amounting ₹ 58066/- were issued by the National Judicial Academy, Bhopal but not presented for payment by the customer (more than six months old) resulted in under-statement of bank account of the Academy as well as sundry creditors by the same amount.	Necessary entries have been made in the books of account of the Academy for the year 2011-12.
Comment on Accounts		
Annexure		
1. Adequacy of Internal Control System		
	The Academy has not yet framed the Rules and Regulations (Service Rules, Finance Rules and Purchase Rules) for management and administration of the Academy as required under its memorandum of Association, which led to inadequate internal control system.	A Committee was constituted by the Governing Council at its meeting held on 2nd August, 2011 to formulate rules and regulations following the Government of India rules for the staff. The Academy scrupulously follows General Financial Rules (GFR) - 2005 as applicable in respect of day-to-day affairs of the Academy. Till the posts of Financial Advisor and Registrar (Administration) are filled up in accordance with the Rules to be framed, the Academy follows Government of India Rules.

Chief Accounts Officer

Chief Accounts Officer
National Judicial Academy
Bhopal - 462 044

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Balance Sheet

As on 31st March, 2011

(Amount in ₹)

Particulars	Schedule	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND	1	11 20 82 196.29	7 49 91 973.29
EARMARKED FUND	2	2 23 09 562.00	7 33 78 042.00
CURRENT LIABILITIES & PROVISION	3	81 63 238.00	1 20 26 562.00
Total		**14 25 54 996.29**	**16 03 96 577.29**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4		
(a) Created out of Government Grant (At Nominal Cost)		1.800.00	1 800.00
(b) Other Fixed Assets (At Written Down Value)		7 96 789.00	9 61 584.00
CURRENT ASSETS ADVANCES AND DEPOSITS	5	14 17 56 407.29	15 94 33 173.29
Total		**14 25 54 996.29**	**16 03 96 557.29**

Significant Accounting Policies and Notes 9

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
Income and Expenditure Account
For the year ended on 31st March, 2011

(Amount in ₹)

Particulars	Schedule	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
A. Income			
Non-Plan Revenue Grant-in-Aid		9 72 00 000.00	6 70 00 000.00
Interest earned on Bank Deposits & FDRs	6	48 67 272.49	32 55 492.32
Lodging & Boarding charges		66 24 500.00	59 55 820.00
Registration fees		13 17 000.00	12 57 000.00
Rent and Electricity charges from Post Office & Bank		55 900.00	58 287.20
Sale of NJA Publications		72 882.00	38 421.00
Electricity,Water and Cable charges recovered		2 25 185.00	1 70 812.00
Tender Fees		51 000.00	1 53 750.00
Miscellaneous Income		80 619.00	75 557.20
Performance Security Forfeited		39 060.00	0.00
Security Deposit Forfeited		1 63 731.00	0.00
Academic Programmes Sri Lankan Judges		7 50 626.00	0.00
Academic Programme-CAT		2 74 475.00	2 94 242.00
Total-A		**11 17 22 200.49**	**7 82 59 381.72**
Expenditure			
Establishment Expenses	7	2 40 71 366.00	2 50 95 700.00
Other Administrative Expenses	8	4 93 75 397.49	4 56 86 204.94
Depreciation	4	1 08 728.00	1 34 649.00
Total-B		**7 35 55 491.49**	**7 09 16 553.94**
A-B		**38166709.00**	**7342827.78**
Less: Prior Period Expenses		8 16 386.00	6 28 809.85
Less: Prior Period Adjustment		2 60 100.00	5 219.00
Balance being excess of Income over Expenditure transferred to Capital Fund.		**37090223.00**	**6708798.93**

Significant Accounting Policies and Notes

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Receipts & Payments Account

For the year ended on 31st March, 2011

Receipts	(Amount in ₹)		Payments	(Amount in ₹)	
Particulars	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10	Particulars	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
To Opening Balances			By Expenses		
a) Cash-in-hand	0.00	565.00	a) Establishment expenses	29795643.00	26541314.00
b) Cash-at-bank :			b) Academic/Other Expenses	46845302.95	42592238.49
i) In Savings Deposits	3547696.55	3544402.80			
ii) In Current Deposit	998625.02	1122865.00	By return of Capital Grant-in-Aid	51300000.00	
iii) In Fixed Deposits	195470000.00	179100000.00	By Expenditure on Fixed Assets:		
c) NJA New Pension Scheme	96656.00	58010.00	a) Purchase of Fixed Assets	472851.00	1781095.00
d) Fund in Transit	0.00	27000000.00	b) Library Books	1885564.00	2472093.00
To Non Plan Revenue Grant-in-Aid received from Govt. of India	44000000.00	27000000.00	By Stock in Deposit with M/s Vam Ltd.	10000.00	12500.00
To Interest received on			By Income Tax (TDS) deposited	1466643.75	1472961.00
a) Savings Deposits with Bank	1320741.00	1179875.00	By VAT Deposited	384041.00	394326.00
b) Fixed Deposits with Bank	5257215.00	3921281.00	By Professional Tax	156220.00	125116.00
c) Security Deposit with MPSEB	95503.99	104444.42	By Deductions Paid to Others	1901141.00	867226.00
d) Interest on NJA new pension scheme	3285.00	2910.00	By Other Liabilities	128215.00	
To Registration fee	1599100.00	1238000.00	By Sundry Creditors	1350424.00	45280.00
To Rent & Electricity Charges received	55500.00	42118.20	By Audit Fee	0.00	25000.00
To Bank Charges returned by the Bank	0.00	16207.00	By FDRs	0.00	112131000.00
To Hostel Rent & Income	59029.00	7948.20	By Advances to Staff	0.00	47000.00
To Lodging & Boarding Charges	615720.00	508552.00	By Prov. Period Expenses/Adjustments	9741.00	13260.00
To Sale of NJA Publication	23852.00	3842.00	By Prepaid Expenses	592793.00	559764.00
To Tender Fees	510.00	197252.00	By Tax Deducted by PWD's, etc.	4715.00	9322.00
To Academic Programme-CJI	276425.00	29432.00	By Expenses Payable	6504261.00	
To Academic Programmes - Subscription Judges	730626.00	0.00	By PF Payable	123143.00	
To Sundry Receivable	73450.00	107110.00	By Salary Payable	1581384.00	
To Sundry Receipts	0.00	92340.00	By Closing Balance		
To Refund Processing & Typing Charges	26165.10	17251.00	a) Cash-in-Hand	0.00	0.00
To Security Deposit Forfeited	156731.00	15500.00	b) Cash at Bank :		
To Security Deposit	16605.00	0.00	i) In Savings Deposit	14930856.74	3547696.55
To FDRs	0.00	115940666.00	ii) In Current Deposit	514410.02	998625.02
To Recoveries / Deductions			iii) In Fixed Deposits	70000000.00	195470000.00
a) TDS on Salary	568554.00	1459890.00	iv) In NJA New Pension Scheme	123431.00	96656.00
b) TDS on contractors/Others	510150.00	465440.00			
c) VAT Deducted	390317.00	762855.00			
d) Salary Deductions	1430537.00	809886.50			
e) Performance Security	21710.00				
f) Advance to staff recovered	0.00	582.00			
g) Withheld money	449767.00	585500.30			
h) Receivable Judicial Academy	0.00	54204.00			
i) State Cheques A/c	0.00	76821.00			
j) Retention Money	1053740.00	976135.00			
k) Cable, Water and Electricity Charges	209925.50				
l) Deduction from Salary(NJA New Pension Scheme)	21563.00	35958.00			
m) Professional Tax	146700.00	121980.00			
Total	222429012.73	346411819.04	Total	222479012.73	346411819.04

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31 st March, 2011

Schedule-1

Capital Fund

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
At the beginning of the year	74991973.29	68283174.36
Add : Surplus during the year as per Income and Expenditure Account.	37090223.00	6708798.93
Balance at the year end	**112082196.29**	**74991973.29**

Schedule-2

Earmarked Fund

(Amount in ₹)

	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
a) Opening balance of the fund for construction and other activities	7 33 78 042.00	7 80 86 890.00
Add :1. Interest on FDR	26 22 458.00	28 97 177.00
2. Proceeds from Photocopy Machine	4 000.00	0.00
Total (A)	**7 60 04 500.00**	**8 09 84 067.00**
Less (I) Building	0.00	49 226.00
(II) Library Books	20 02 887.00	53 93 322.00
(III) Other Assets	4 92 051.00	21 63 477.00
(III) Returned to Government of India	5 12 00 000.00	
Total (B)	**5 36 94 938.00**	**76 06 025.00**
Balance Grant carried forward to next year (A-B)	**2 23 09 562.00**	**7 33 78 042.00**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31 st March, 2011

Schedule-3

Current Liabilities and provisions

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
(A) Current Liabilities		
Sundry Creditors	606533.00	1302583.00
1. ***Salary Deductions***		
GPF/CPF	16215.00	76593.00
VPF	15000.00	0.00
Interest on HBL	1000.00	1000.00
Professional Tax	780.00	0.00
SLI	250.00	600.00
SGE/GIS	3820.00	2860.00
Staff Welfare Fund	16.00	30.00
Tier - I Employees Contribution	913.00	886.00
CMTD Railway	1000.00	1000.00
2. ***Other Liabilities***		
Audit Fee Payable	59782.00	29891.00
NJA new pension scheme	121439.00	96656.00
Performance Securities	4625.00	12600.00
M/s S.L.Chhajed & Co.	0.00	7575.00
Honorarium Payable	1500.00	23922.00
Staff Payblies	1656.00	9671.00
Stale Cheques Account	111405.00	177276.00
Security Deposits	747600.00	750456.00
Withheld Money	606262.00	828832.00
Retention Money	1649102.00	1287948.00
3. ***Statutory Liabilities***		
PF payble	145813.00	123143.00
VAT Payable	15732.00	109456.00
TDS Payable	14636.00	97445.00
Total (A)	**4124358.00**	**4440425.00**
(B) Provisions		
Salary Payable	1651425.00	1581384.00
Expenses Payable	2387455.00	6004753.00
Total (B)	**4038880.00**	**7586137.00**
Total (A+B)	**8163238.00**	**12026562.00**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

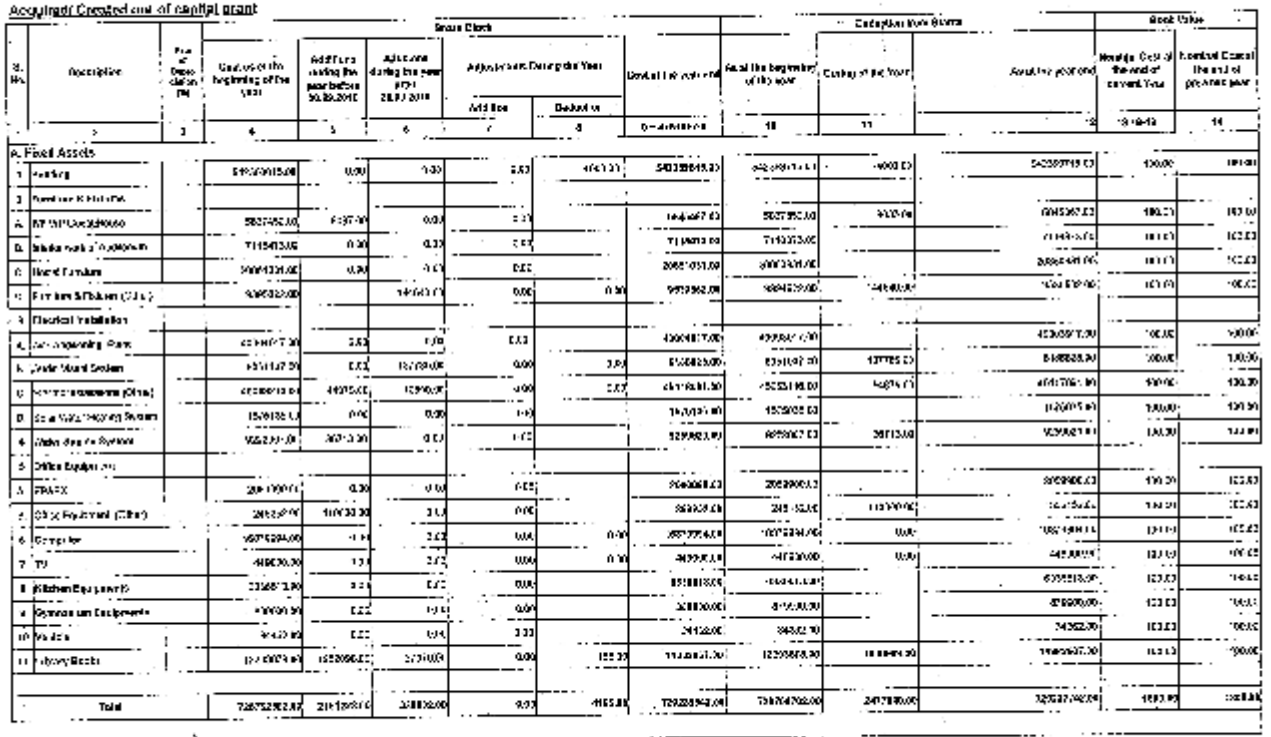
National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2013

Schedule-8

Fixed Assets

Acquired/ Created out of capital grant



Sl. No.	Description	Rate of Depreciation (%)	Gross Block: Cost/value at the beginning of the year	Gross Block: Additions during the year before 30.09.2012	Gross Block: Additions during the year 01.10.2012 to 31.03.2013	Gross Block: Adjustments During the Year: Add/Sale	Gross Block: Adjustments During the Year: Deduction	Gross Block: Total cost/value	Depreciation/Amortisation: Total upto the beginning of the year	Depreciation/Amortisation: During the Year	Depreciation/Amortisation: Total upto the end of the year	Net Block: Net value as on the end of current year	Net Block: Net value as on the end of previous year
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8	10	11	12	13=9-12	14
A	Fixed Assets												
1	Building		5490915.00	0.00	0.00	0.00	4761.00	5486154.00	442969.00	4900.00	447869.00	100.00	100.00
2	Furniture & Fixtures												
A.	[illegible]		5827452.00	4787.00	0.00	0.00		5832239.00	5827352.00	4100.00	[illegible]	100.00	100.00
B.	[illegible]		7119413.00	0.00	0.00	0.00		7119413.00	7119313.00		[illegible]	100.00	100.00
C.	Wood Furniture		2666334.00	0.00	0.00	0.00		2666334.00	2666234.00		[illegible]	100.00	100.00
D.	Furniture & Fixtures (Others)		9369322.00		14763.00	0.00	0.00	9384085.00	9369322.00	14763.00	[illegible]	100.00	100.00
3	Electrical Installation												
A.	Air Conditioning Plant		[illegible]	0.00	0.00	0.00		4300817.00	4300817.00		[illegible]	100.00	100.00
B.	Water Mains System		[illegible]	0.00	18709.00	0.00	0.00	5140828.00	[illegible]	137785.00	[illegible]	100.00	100.00
C.	[illegible]		[illegible]	44975.00	12990.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00	100.00
D.	[illegible]		1540188.00	0.00	0.00	0.00		1540188.00	1520205.00		[illegible]	100.00	100.00
E.	[illegible]		9582231.00	2671.00	0.00	0.00		9584902.00	9559839.00	38713.00	[illegible]	100.00	100.00
5	Office Equipments												
A	PBAX		2881000.00	0.00	0.00	0.00		2881000.00	2881000.00		[illegible]	100.00	100.00
B	[illegible]		2863.00	1070.00	0.00	0.00		3933.00	2863.00	1070.00	[illegible]	100.00	100.00
C	Computer		1607284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1607284.00	1607284.00	0.00	[illegible]	100.00	100.00
D	TV		348000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348000.00	348000.00	0.00	[illegible]	100.00	100.00
E	Kitchen Equipments		2368[illegible]	0.00	0.00	0.00		2368[illegible]	[illegible]		[illegible]	100.00	[illegible]
F	Gymnasium Equipments		[illegible]	0.00	0.00	0.00		[illegible]	[illegible]		[illegible]	100.00	[illegible]
G	[illegible]		[illegible]	0.00	0.00	0.00		[illegible]	[illegible]		[illegible]	100.00	[illegible]
H	Library Books		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00	[illegible]
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Acquired/ Created out of own funds

Sl. No	Description	Rate of Depreciation (%)	Gross Block						Depreciation					Net Block	
			Cost as at the beginning of the year	Additions during the year before 30.09.2008	Additions during the year after 30.09.2008	Adjustments During the Year		Cost at the year end	As at the beginning of the year	On Assets sold during the year	For the year on Opening Balance	On Assets sold during the year	Total up to the year end	As at the current year end	As at the previous year end
						Addition	Deduction								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7-8)	10	11	12	13	14=(10-11+12+13)	15	16
1	Water [illegible]	13%	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	15%	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	15%	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	10%	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	60%	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	13%	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL			[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRAND TOTAL			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

(Ashish Choudhary)
Dy. Financial Controller

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31 st March, 2011

Schedule-5

Current Assets , Advances & Deposits

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 20010-11	Previous Year 2009-10
(A) Current Assets		
1. Sundry Receivables	*853173.00*	*760871.19*
2. Revenue Grant-in-Aid (receivable)	*52500000.00*	*0.00*
3. Cash And Bank Balance		
a. Cash In Hand	*0.00*	*0.00*
b.. Balances with Scheduled Bank		
In Current Account	514420.00	393625.00
In Savings Bank Account (Including ₹ 23,09,562.00 for earmarked fund)	14910856.74	50516356.55
In Saving Bank Account (NJA New pension scheme)	121439.00	96658.00
In Fixed Deposit Account (Including ₹ 2.00 Crore for earmarked fund)	70000000.00	105761000.00
Total (A)	**138399888.74**	**157528510.74**
(B) Advances & Deposits		
1. Advances and Deposits		
Advances to Staff	0.00	47000.00
Advances to State Judicial Academies	1527.00	1527.00
Security deposite with MPSEB	60298.55	46998.55
Security deposite with others	7500.00	12500.00
Prepaid Expenses	597731.00	597764.00
TDS by Bank & MPSEB	274963.00	270748.00
Deposits with Others	37800.00	37800.00
2. Accrued Income		
Accrued Interest on FDR	1876699.00	890325.00
Total (B)	**2856518.55**	**1904662.55**
Total (A+B)	**141256407.29**	**159433173.29**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31 st March, 2011

Schedule-6

Interest Earned

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
On term deposit with scheduled bank	6263589.00	5430349.83
Less : Interest charge to Earmarked Func.	(2622456.00)	(2897177.00)
On security deposit with MPSEB	105400.49	104444.49
On savings deposit with scheduled bank	1120741.00	617875.00
Total	**4867272.49**	**3255492.32**

Schedule-7

Establishment Expenses

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
Arrear - Vth Pay		0.00	1769336.00
Honorarium- Resource Persons	1	1252800.00	773000.00
Leave Salary & Pension Contribution	2	77428.00	35361.00
L.T.C. EXPENSES		29762.00	29942.00
New Pension Scheme NJA Contribution		9962.00	16943.00
P.F Contribution of NJA staff		1609219.00	2687374.00
Ad-hoc Bonus	3	197456.00	146220.00
Salary and allowances		20596469.00	19538676.00
Staff Welfare Expenses		59312.00	45198.00
Tuition Fees	4	148290.00	53250.00
Uniform and Liveries	5	90668.00	0.00
Total		**24071366.00**	**25095700.00**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

Note : -

1 Honorarium was paid to 735 Resource Persons for 98 Programmes during the Year 2010-11. During the year 2009-10 honorarium was paid to 185 resources persons for 85 Programmes.

2 Leave Salary & Pension Contribution was paid in respect of Administrative Officer, who is posted in NJA on deputation from Railway Department.

3 Ad-hoc Bonus was paid to 60 staff members of the Academy according to Office Memorandum no. 7/24/2007/E-III(A) dated 22.09.2010 of Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi.

4 During the year 2009-10, tuition fees reimbursed to 5 deputation staff members & during the year 2010-11, tuition fees reimbursed to 7 deputation staff members.

5 During the Year 2010-11, Uniform was supplied to 49 staff members of the Academy.

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31 st March, 2011

Schedule-9

Other Administrative Expenses

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	Current Year 2010-11	Previous Year 2009-10
Advertisement Expenses		114200.00	550558.00
Audit fees		29891.00	29891.00
Bank Charges		9792.00	5334.00
Cable Laying work		134108.00	0.00
Cable Charges	1	207000.00	180000.00
Catering Expenses	2	6240050.00	4267716.00
Professional Charges		28827.00	43275.00
Electricity Expenses		9085753.49	7892814.94
Maintenance of Garden		2046000.00	2534560.00
Gym Instructor Fee	3	79200.00	70200.00
Guest House Expenses	4	354197.00	257565.00
Housekeeping Services	2	1011040.00	846125.00
Laundry Services	2	322085.00	301244.00
Library Expenses		873536.00	1173077.00
Loss on Sale of Photo Copier Machines		53087.00	
Medical expenses / Services	5	1120642.00	1091505.00
Mementos		0.00	65000.00
Newspaper & Magzine		98170.00	69064.00
Office Expenses		34813.00	78684.00
Other Training Expenses		38651.00	24170.00
Participants Bags	3	357600.00	329300.00
Preparation of background reading material		1537191.00	3041206.00
PA & Sound System		493591.00	683306.00
Postage & Stamps		214878.00	285530.00
Printing and Stationery expenses	3	806451.00	644896.00
Regional Programmes Expenses	6	2260688.00	1539525.00
Security Expenses		3656893.00	3757788.00
Transportation Expenses	2	3884596.00	2857284.00
Telephone & Internet Expenses		929217.00	850790.00
Travelling Expenses	7	9840127.00	8437775.00
Photography Expenses		114812.00	132458.00
Vehicle Running & Maintenance		179077.00	216704.00
Water Supply Arrangement	8	546877.00	382986.00
Yoga Teacher Fee	3	179400.00	144600.00
Operation, Repair & Maintenance	9	2786652.00	3035377.00
Total		**49376397.49**	**45686204.94**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31 st March, 2011

Notes Pertaining to Schedule- 8

1 Increase in table charges due to increase in monthly charges from Rs. 15,900/- to Rs. 16,800/- W.e.f. 1.7.10

2 Increase in Expenses on Catering Services, Housekeeping Services and Laundry Services due to increase in costs/ bid value of the above services which were received after open tender process.

3 Cost of Gym Instructor Fees, Yoga Teacher Fees, Printing & Stationary expenses & Participants Bags increased due to increase in Academic Programmes from 85 (2009-10) to 96 (2010-11).

4 Increase in Guest Houses Maintenance Expenses due to replacement cost of curtains amounting to Rs. 1,33,860/- at Guest House No. 2 and Rs. 52,724/- pertaining to purchase of covers for dining tables.

5 Medical Expenses include Medical insurance premium Rs. 7,58,433/- pertaining to 65 contract staff and their dependent family members and Rs. 1,41,004/- pertaining to re-imbursement of Medical Expenses in respect of staff working in NJA on deputation and balance Rs. 2 18,200/- pertaining to payment to M/s Chirayu Health & Medicare Pvt. Ltd. for obtaining the Medical Services of a Doctor during Programmes as approved by the Governing Council.

6 Regional Programme Expenses includes contribution of Rs. 10.00 Lakhs paid to Kerala Judicial Academy towards South Zone Regional Judicial Conference in the month of June 2010 & Net Contribution of Rs. 11,71,082/- to the High Court of Calcutta pertaining to East Zone Regional Judicial Conference which was held in the month of August 2010 at Kolkata.

7 Increase in travelling expenses due to Academic Programmes increase in during the year 2010-11 consequent increase in Resource Persons from 185 (2009-10) to 235 (2010-11) and substantial escalation of air fairs.

8 Expenses on Water supply arrangement includes purchase cost of chemicals used in water treatment plant situated in the Academy. Due to scarcity of water and very poor water quality in Bhopal Lake, the increases in consumption of chemicals to clean the water so as to make available potable water in the Academy.

9 Operation, Repair and Maintenance Expenses includes Rs. 16,42,268/- in respect of cost of annual maintenance contract and annual operation charges of HVAC Plant.

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2011

Schedule-9

Significant Accounting Policies And Notes Forming part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account.

A. ACCOUNTING POLICIES

1 The final accounts have been prepared in the standard formats formulated and prescribed by the Government of India, Ministry of finance for all Central Autonomous Organizations.

2 The financial statements are prepared on the accrual method of accounting and on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated.

3 **Fixed Assets :**

3.1 Fixed assets acquired/ created out of own fund are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.
3.2 The cost of Fixed Assets created/ acquired out of Grant is adjusted against the received grant and the assets acquired out of Grants are stated in the Balance Sheet at Nominal Cost.

4 **Depreciation :**

4.1 Depreciation on assets created out of own fund has been provided on written down value method as per rates specified in the Income Tax Act 1961.
4.2 No depreciation is being provided on assets created/ acquired out of capital grant and carried in the balance sheet at Nominal cost
4.3 Assets costing ₹ 5000/- or less each are fully provided.

5 **Government Grants :**

5.1 The Capital Grants received for creation/acquisition of Specific Assets is reduced, by the cost of created/ acquired Assets. And the asset so acquired is stated at Nominal Cost.

6 **Interest :**

The interest earned on Capital Grants are recognized as Capital receipts and are credited to the capital grant account. The Interest earned on all other grants inclusive the revenue grant is recognized as the society's income at the time of accrual.

B. NOTES ON ACCOUNTS :

1 The Capital Grants received for creation/acquisition of Specific Assets is adjusted, to the extent used/ applied, from the cost of created / acquired Assets. The unutilized Capital Grant is carried. As per the consistent Accounting policy, no separate Capital reserve is created in respect of and to the extent of capital grant so utilized, nor any depreciation provided on such assets. The aggregate cost of assets so created/ acquired upto 31.03.11 was as under :

Particulars	As on 31.03.2011 (₹)	As on 31.03.2010 (₹)
(I) Building	542355815.00	542363815.00
(II) Library Books	14392967.00	12393978.00
(III) Furniture & Fixture	43492435.00	43201976.00
(IV) Computer	16079994.00	26879994.00
(V) Electrical Installation	92748380.00	92693505.00
(VI) Water Supply System	9259620.00	9259507.00
(VII) Office Equipment	2416252.00	2306252.00
(IX) Kitchen Equipment	6936613.00	6936613.00
(X) Gymnasium Equipment	880000.00	880000.00
(XI) TV	449000.00	449000.00
(XII) Vehicle	34462.00	34462.00
TOTAL	**726239542.00**	**726762502.00**

2 **Interest earned on FDR**

Interest earned on FDR's up to November, 2010 amounting to ₹ 34,86,089 is allocated in the ratio of opening balance of capital fund and earmarked fund. Interest earned for the period from December, 2010 to March, 2011 is allocated in the ratio of 5:2 i.e. amount of earmarked fund was available Rs.2.00 crore after refund of Rs. 3.12 crore to the Government of India

Particulars	Amount (₹)
(i) Interest charged to earmarked fund account	2622458.00
(ii) Interest charged to Income & Expenditure A/c	3641131.00
Total (₹)	**6263589.00**

3 The total no. of contributing staff working with NDA on 31st March, 2011 were 65 and 01 temporary employee. Out of which 0 staff members have completed service of 5 years and covered under the purview of the Payment of Gratuity Act, 1972. No provision has been made during the year on account of Gratuity.

4 Recurring Grant-in-Aid amounting to ₹5.25 Crore was sanctioned by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice vide letter no. J-12014/12/2009-IR dated 7th March, 2011 and cheque bearing no. 970438 dated 31.3.2011 was received by the Academy on 11th April, 2011. Therefore above Grant-in-Aid was considered as Income in the Income & Expenditure Account according to accrual basis of accounting system.

5 Government of Madhya Pradesh, Housing & Environmental Department allotted 62 Acres land to the Academy for construction of Building of the Academy vide letter no. 3143/32 dated 26.7.94

6 Previous years figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. G. Mohan Gopal)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः



राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत

वार्षिक प्रतिवेदन
2010-2011

विषय–वस्तु

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का परिचय 101

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष 104
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक 105
रजिस्ट्रार 105
सदस्य–सचिव 106

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2003–04 से हुए शैक्षणिक कार्यक्रम 107
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की कार्यक्रम सूची 2010–11 108–114
शैक्षणिक कार्यक्रम 2010–11 की रिर्पोट 115–161

प्रशासन व कर्मचारीवृंदः
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी समिति के सदस्य 162
शासी परिषद 163
शैक्षणिक परिषद 164
कार्यकारी समिति 165
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण 166
आधारभूत संरचना एवं सहायक प्रणालियाँ 168–171

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का शासन 172–173

एन.जे.ई.एस. प्रास्थिति प्रतिवेदन 174–179

अंकेक्षण प्रतिवेदन 180–202

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का परिचय

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सन् 1993 में एक स्वायत्व सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को पोषित करना तथा न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान तथा नीति निर्माण के द्वारा न्याय प्रशासन को मजबूत बनाना है। सन् 2002 में अकादमी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। सन् 2003 के बाद से कार्यक्रमों की संख्या तथा प्रकार में लगातार वृद्धि हुई है। सन् 2003–04 के सत्र के दौरान केवल तीन कार्यक्रमों तथा दो सौ ग्यारह प्रतिभागियो से शुरूआत करके इसमें अब कुल चार सौ अड़तालिस कार्यक्रम तथा पंद्रह हजार आठ सौ छिहत्तर प्रतिभागी हैं जिनमें 2010–11 में आयोजित कार्यक्रम भी सम्मिलित है। अपनी गतिविधियों को कई गुना बढ़ाकर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी देश के प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष कम से कम एक सप्ताह के लिए न्यायिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के अपने लक्ष्य की ओर धीरे–धीरे बढ़ रही है।

भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख संस्था के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निम्नलिखित पॉच मुख्य उत्तरदायित्वों को पूरा करने की ओर कार्य कर रही है :–

1. न्यायाधीशों, न्यायालीन कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों को न्याय प्रशासन में न्यायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जो न्याय प्रशासन में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने की ओर उन्मुख हो।
2. न्याय प्रशासन तथा न्यायालय प्रबंधन में अध्ययन/अनुसधांन करना तथा सुधार के लिए सुझाव देना।
3. न्याय प्रशासन तथा न्यायालय प्रबंधन में ज्ञान सृजित करना तथा उसका प्रसार करना।
4. न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायालीन कर्मचारियों के मध्य पेशेवर क्षमता तथा अभ्यास के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना।
5. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को न्यायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा न्यायिक विज्ञान के ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक विश्व स्तरीय केन्द्र बनाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के माननीय मुख्य नयायाधीश (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की शैक्षणिक परिषद ने अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) अपनाई। इस रणनीति को तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश के लिए राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करना तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी तथा राज्य न्यायिक अकादमियों के मध्य कार्य के स्पष्ट विभाजन को सुनिश्चित करना है। यह रणनीति विलंब तथा बकायों में कमी के द्वारा समयबद्ध न्याय को बढ़ावा देने तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जबावदेही में वृद्धि करना, न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) के अनुसरण में कार्य करते हुए न्यायिक प्रणाली के प्रत्येक पहलू – प्रणाली, व्यक्तियों (न्यायाधीशों), न्यायपालिका का कार्य– न्यायनिर्णयन तथा प्रणाली का सामाजिक प्रभाव को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का वार्षिक कैलेण्डर विकसित किया जाता है। कैलेण्डर सभा में सभी उच्च न्यायालयों से भागीदारी प्राप्त होती है तथा सभी उच्च न्यायालयों के मत तथा राय पर विचार करते हुए कैलेण्डर विकसित किया जाता है।

त्वरित संदर्भ के लिए राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति की संक्षिप्त समीक्षा दी गई है।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (जुलाई, 2010) – एक समीक्षा

I. दृष्टि

न्यायिक शिक्षा समयबद्ध न्याय – विलम्ब तथा बकायों में कमी को बढ़ावा देती है तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देती है ।

इस संदर्भ में ''न्याय'' का अर्थ है संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आचरण।

II. मिशन

न्यायिक अकादमियों का केंद्रीय मिशन न्यायिक शिक्षा अनुसधांन तथा नीति निर्माण के द्वारा न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता में वृद्धि करना है जिससे समयबद्ध न्याय को बढ़ावा मिले। इसके लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण पर भारत के 117 वें विधि आयोग के अनुसार न्यायिक अकादमियों को–

(अं) न्यायाधीशों को अपने कार्य के निष्पादन के लिए उपकरणों से सज्जित करना; तथा

(ब) उन्हे यह दृष्टि प्रदान करना कि जिस व्यवस्था में वे सेवा देते हैं उससे क्या अपेक्षित है।

न्यायपालिका की बदली हुई संवैधानिक भूमिका के संदर्भ में न्यायिक शिक्षा को न्याय निर्णयन में संवैधानिक मूल्यो के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

III. रणनीति

(अ) छः प्रमुख मुद्दों पर एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि विकसित करना तथा उसका प्रसार करने में सहायक होनाः

1. न्यायिक प्रणाली की अपेक्षाये
2. आर.ओ.के.एम.एम.ए. ढॉचे (नीचे देखे) पर आधारित ''न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता''।
3. ''न्याय की संवैधानिक दृष्टि'' जो निर्णय करने में मार्गदर्शन दे।
4. न्यायलयों के ''सामाजिक प्रभाव'' को मापने के लिए ढांचा।
5. गुणवत्ता ढांचा।
6. निगरानी संकेतक।

(ब). <u>तीन प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा वितरण करना।</u>

1. न्यायधीशों को व्यक्तिगत रूप से सुदृढ़ करने के लिए (उनके गुणों मनोभावों कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि (QASK) (''आपूर्ति की ओर'');
2. न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए (ऊपर देखे) (''आपूर्ति की ओर); तथा
3. राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास के प्रथामिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए न्याय प्रणाली के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करने के लिए (''मांग की ओर'')।

IV. <u>प्रभाव मूल्याकंन</u>

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रमों के प्रभाव को उद्देश्यों के तीन समूहों के विरूद्ध मापा जा सकता है; पहला, समयबद्धता में वृद्धि करना; दूसरा न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि करना; तथा तीसरा, न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत परिवर्तन।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष

(भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति न्यायिक अकादमी के पदेन अध्यक्ष हैं)

(समावेशन से)

क्रमांक	माननीय अध्यक्षों के नाम	से	तक
1	माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वैंकटचिल्लैयाह	17.08.1993	24.10.1994
2	माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी	25.10.1994	24.03.1997
3	माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा	25.03.1997	17.01.1998
4	माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एम. पुंछी	18.01.1998	09.10.1998
5	माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एस. आनंद	10.10.1998	31.10.2001
6	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. पी. भरूचा	01.11.2001	05.05.2002
7	माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. एन. कृपाल	06.05.2002	07.11.2002
8	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. बी. पटनायक	08.11.2002	18.12.2002
9	माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. एन. खरे	19.12.2002	01.05.2004
10	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. राजेंद्र बाबू	02.05.2004	31.05.2004
11	माननीय न्यायमूति श्री आर. सी. लाहोटी	01.06.2004	31.10.2005
12	माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय. के. सबरवाल	01.11.2005	13.01.2007
13	माननीय न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन	14.01.2007	11.05.2010
14	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एच. कपाडिया	12.05.2010	आज दिनांक तक

अकादमी के निदेशक

क्रमांक	नाम	से	तक
1	माननीय न्यायमूर्ति श्री के. एन. सैकिया, (महानिदेशक)	01.05.1995	30.04.1997
2	प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधवा मेनन	30.09.2003	24.04.2006
3	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल	13.07.2006	आज दिनांक तक

अकादमी के रजिस्ट्रार

क्रमांक	नाम	से	तक
1	श्री एच. आई. हुसैन	08.04.2000	21.04.2001
2	श्री आर.सी. मिश्र	25.09.2001	24.09.2004
3	श्री जगदीश बहेती	17.02.2005	30.06.2007
4	श्री ए. एम. सक्सेना (प्रशासन)	09.09.2008	30.03.2010
5	श्री एस. पी. श्रीवास्तव (शैक्षणिक कार्यक्रम)	22.01.2009	आज दिनांक तक

अकादमी के सदस्य.सचिव

(समावेशन से)

क्रमांक	नाम	से	तक
1	श्री एम. एस. ए. सिद्दिकी	17.08.1993	26.09.1994
2	श्री चंद्रेश भूषण	27.09.1994	27.04.1998
3	श्री भंवर सिंह	27.04.1998	26.03.1999
4	श्री लाल चंद भादू	27.03.1999	19.01.2003
5	श्री जे.सी.एस. रावत	20.01.2003	28.06.2004
6	श्री बी.एम. गुप्ता	29.06.2004	25.11.2005
7	श्री वी.के. जैन	01.12.2005	12.05.2007
8	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल	13.05.2007	आज दिनांक तक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2003–04 से हुए शैक्षणिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2003–04 से हुए शैक्षणिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नलिखित है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों की संख्या में स्थायी वृद्धि कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या में समानतरू वृद्धि के समांतर रही है।

वर्ष	शैक्षणिक वर्ष (जुलाई–जून)	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2003–2004	03	211
2	2004–2005	12	570
3	2005–2006	27	771
4	2006–2007	42	1668
5	2007–2008	85 (समयबद्ध न्याय में विकास पर केवल इस वर्ष हेतु प्रस्तावित 85 कार्यक्रम 12 समवेत राष्ट्रीय उत्कृष्टता कार्यशालाओं सहित)	12 समवेत राष्ट्रीय कार्यशालाओं में 2595 + 876 प्रतिभागीगण कुल 3471
6	2008–2009	84 (12 अनअधिसूचित समवेत राष्ट्रीय उत्कृष्टता कार्यशालाएँ/इस वर्ष आयोजित)	2559
7	2009–2010	102	3553
8	2010–2011	93	3073

शैक्षणिक वर्ष 2010–2011 में (23 जुलाई 2010 – 15 मई 2011) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा 93 कार्यक्रम संचालित किए गए। इस वर्ष अधिसूचित सभी कार्यक्रम यथावत पूर्ण किए गए ।

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	कार्यक्रम दिनांक	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1. न्यायाधीशों के न्यायिक गुणों, मनोभावों,कौशलों तथा ज्ञान में वृद्धि करना ।				
1. अ. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों,कौशलों तथा ज्ञान में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला				
1	पी–333	23–25 जुलाई, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	25
2	पी–334	23–25 जुलाई, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए समय प्रबंधन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	22
3	पी–351	10–12 सितम्बर, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए तनाव प्रबंधन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	23
4	पी–361	15–17 अक्टूबर, 2010	बार (विधिज्ञ वर्ग), सरकारी एजेंसियों, वादियों तथा साक्षियों के साथ प्रभावी समन्वयन की रणनीतियों पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	27
5	पी–365	22–24 अक्टूबर, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए न्यायिक आचरण तथा नीतिशास्त्र पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	25
6	पी–374	03–05 दसम्बर, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए निर्णय लेखन तथा संचार पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	23
7	पी–386	21–23 जनवरी, 2011	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए मुख्य न्यायिक दक्षताओं में वृद्धि पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	24
8	पी–393	11–13 फरवरी, 2011	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए जिला न्यायाधीशों के लिए प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	22
9	पी–402	11–13 मार्च, 2011	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान कौशल पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	27
10	पी–411	08–10 अप्रैल, 2011	जिला न्यायाधीशों के लिए नेतृत्व कौशल पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	21
1. ब. नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम				
11	पी–338	31 जुलाई–04 अगस्त, 2010	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	21
12	पी–345	20–24 अगस्त, 2010	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	23
13	पी–362	15–19 अक्टूबर, 2010	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	21

14	पी–368	12–16 नवम्बर, 2010	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	24
15	पी–371	19–23 नवम्बर, 2010	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	27
16	पी–380	17–21दसम्बर, 2010	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	11
17	पी–387	21–25 जनवरी, 2011	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	23
18	पी–405	13–17 मई, 2011	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	21
19	पी–408	01–05 अप्रैल, 2011	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	19
20	पी–416	22–26 अप्रैल, 2011	नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	19
			1. स. नव नियुक्त व्यवहार न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	
21	पी–341	06–17 अगस्त, 2010	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	54
22	पी–349	03–14 सितम्बर, 2010	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	53
23	पी–357	01–12 अक्टूबर, 2010	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	57
24	पी–369	12–23 नवम्बर, 2010	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	54
25	पी–375	03–14 दिसम्बर, 2010	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	52
26	पी–383	07–18 जनवरी, 2011	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	58
27	पी–394	11–22 फरवरी, 2011	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	48
28	पी–400	04–15 मार्च, 2011	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	51
29	पी–409	01–12 अप्रैल, 2011	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	48
30	पी–420	06–17 मई, 2011	नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	52
			1. द. राष्ट्रीय उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम	
31	पी–335	23–29 जुलाई, 2010	जीप – प्रथम भ्रमण (जे.ई.ई.पी.)	69
32	पी–403	17–23 मार्च, 2011 (आगे बढ़ा दिया 6–12 मई, 2011 को)	जीप – द्वितीय भ्रमण (जे.ई.ई.पी.)	58

2. न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना				
2. अ. न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन				
33	पी–348	03–05 सितम्बर, 2010	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	31
34	पी–354	17–19 सितम्बर, 2010	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	31
35	पी–359	08–10 अक्टूबर, 2010	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	32
36	पी–364	22–24 अक्टूबर, 2010	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	27
37	पी–377	10–12 दिसम्बर, 2010	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	26
38	पी–392	11–13 फरवरी, 2011	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	28
39	पी–401	11–13 मार्च, 2011	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	25
40	पी–410	08–10 अप्रैल, 2011	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	27
41	पी–415	22–24 अप्रैल, 2011	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	25
42	पी–422	13–15 मई, 2011	न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	27
2. ब. न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन				
43	पी–346	27–29 अगस्त, 2010	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (पूर्व क्षेत्र– कोलकाता, छत्तीसगढ, गुवाहाटी, झारखंड, पटना, उडिसा, सिक्किम)	95
44	पी–355	24–26 सितम्बर, 2010	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र – दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कशमीर)	81
45	पी–366	29–31 अक्टूबर, 2010	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र – बंबई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश)	100
46	पी–372	26–28 नवम्बर, 2010	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (दक्षिण क्षेत्र – आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास, केरल)	92
47	पी–388	28–30 जनवरी, 2011	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (पूर्व क्षेत्र – कोलकाता, छततीसगढ, गुवाहाटी, झारखंड, पटना, उडिसा, सिक्किम)	84

48	पी–397	25–27 फरवरी, 2011	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र – दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कशमीर)	88
49	पी–406	25–27 मार्च, 2011	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र – बंबई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश)	93
50	पी–417	29 अप्रैल – 01 मई, 2011	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रिय न्यायिक सम्मेलन (दक्षिण क्षेत्र – आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास, केरल)	93
			2. स. राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठक	
51	पी–350	10–12 सितम्बर, 2010	राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठकः प्रेरण कार्यक्रम, उद्देश्य, कार्यपणाली तथा परिणाम	21
52	पी–367	12–14 नवम्बर, 2010	राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठकः सतत् न्याय शिक्षा कार्यक्रमः आलोचनात्मक मूल्यांकन	19
53	पी–382	07–09 जनवरी, 2011	राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठकः राज्य न्यायिक अकादमियों के मुख्य पाठ्यक्रम	19
54	पी–396	18–20 फरवरी, 2011	राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठकः अनुसंधान कार्यक्रम	17
55	पी–407	01–03 अप्रैल, 2011	राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठकः न्यायिक शिक्षा का विकास : मुद्दे तथा चुनौतियॉ	20
			3. न्याय प्रणाली के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि	
			3. अ. मुख्य क्षेत्रों में विधि के विकास पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	
56	पी–339	06–08 अगस्त, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए विधि, गरीबी तथा सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	23
57	पी–344	20–22 अगस्त, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए न्यायनिर्णयन में वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	23
58	पी–353	17–19 सितम्बर, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए भारत के संविधान के अंतर्गत मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	23
59	पी–373	03–05 दिसम्बर, 2010	अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए समय पर न्याय दिलाने में वृद्धि पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	26
60	पी–376	10–12 दिसम्बर, 2010	वणिज्यिक तथा आर्थिक विधि में विकास पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	25

3. ब. देश के सामने खड़ी प्रमुख सामाजिक चुनौतियों से मुकाबला करने में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि।				
61	पी–340	06–08 अगस्त, 2010	समानता व सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्तिः न्यायालयों की भूमिका पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	25
62	पी–347	03–05 सितम्बर, 2010	शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करने तथा भ्रष्टाचार निवारणः अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	24
63	पी–390	04–06 फरवरी, 2011	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा : अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	24
64	पी–395	18–20 फरवरी, 2011	निर्धनता, सामाजिक बहिष्कार तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम : अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	21
65	पी–398	04–06 मार्च, 2011	आर्थिक विकास में वृद्धिः न्यायालयों की भूमिका पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि	25
3. स. न्यायनिर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम				
66	पी–336	30 जुलाई–02 अगस्त, 2010	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : किशोर न्याय सबंधी मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	25
67	पी–342	13–17 अगस्त, 2010	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : घरेलू हिंसा मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (15 अगस्त को अवकाश रहेगा)	23
68	पी–356	01–04 अक्टूबर, 2010	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : पारिवारिक विवादों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	26
69	पी–358	08–11 अक्टूबर, 2010	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों वाले मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	26
70	पी–363	22–25 अक्टूबर, 2010	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : बहुसंख्यक वादा के न्यायनिर्णयन – एम.ए.सी.टी. मामले व परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	24
71	पी–379	17–20 दिसम्बर, 2010	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : सत्र मामलों तथा विशेष विधियों के अधीन मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	26
72	पी–381	07–10 जनवरी, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	24
73	पी–384	14–17 जनवरी, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : भ्रष्टाचार मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	27

74	पी–391	04–07 फरवरी, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : मेजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	26
75	पी–399	04–07 मार्च, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : अधीनस्थ न्यायालयों में वणिज्यिक तथा आर्थिक मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	25
76	पी–413	15–18 अप्रैल, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	23
77	पी–414	22–25 अप्रैल, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : सिविल मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	27
78	पी–418	06–09 मई, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : दुर्व्यापार तथा लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	23
79	पी–421	13–16 मई, 2011	न्यायनिर्णयन प्रबंधन : संवैधानिक अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता वाले मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला	25
			उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	
80	पी–337	31 जुलाई – 01 अगस्त, 2010	न्याय प्रशासन तथा उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्तिः अनुभव बांटने पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	31
81	पी–343	21–22 अगस्त, 2010	वणिज्यिक तथा आर्थिक विधिः वर्तमान मुद्दे तथा चुनौतियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	22
82	पी–352	18–19 सितम्बर, 2010	आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षाः मुख्य चुनौतियाँ तथा न्यायालयों की भूमिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	25
83	पी–360	16–17 अक्टूबर, 2010	पर्यावरण तथा प्राकृतिक ससाधनों का संरक्षणः न्यायालयों की भूमिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	15
84	पी–370	20–21 नवम्बर, 2010	विधि के विकास में उच्च न्यायालयों के योगदान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन (जनवरी 2009 से आज दिनांक तक)	20
85	पी–378	18–19 दिसम्बर, 2010	निर्धनता व सामाजिक न्यायः मुख्य चुनौतियाँ तथा न्यायालयों की भूमिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	16
86	पी–385	22–23 जनवरी, 2011	अंतर्राष्ट्रीय तथा विदेशी विधिः उभरते मुद्दों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	15
87	पी–389	05–06 फरवरी, 2011	विधि के विकास में उच्चतम न्यायालय के योगदान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन (जनवरी 2009 से आज दिनांक तक)	21
88	पी–404	05–06 मार्च , 2011	शासन को सुदृढ़ करने तथा लोक प्रशासनः मुख्य चुनौतियाँ तथा न्यायालयों की भूमिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	22

89	पी–412	16–17 अप्रैल, 2011	आपराधिक न्याय प्रशासनः मुद्दे तथा चुनौतियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन	15
90	पी–419	06–08 मई, 2011	उच्च न्यायालय के नव नियुक्त न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	22
			विशेष कार्यक्रम	
91	वि.का.-1	11–15 अगस्त, 2010	भारतीय विधि में नवीनतम विकास पर श्रीलंका के न्यायधीशों हेतु न्यायिक संगोष्ठि	15
92	वि.का.-2	18–23 दिसम्बर, 2010	भारतीय विधि में नवीनतम विकास पर श्रीलंका के न्यायधीशों हेतु न्यायिक संगोष्ठि	20
93	वि.का.-3	12 मार्च, 2011	वर्षिक कैलेंडर बैठक	22
			कुल योग	3073

2010–11 के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों की रिपोर्ट

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में परिकल्पित तथा संचालित कार्यक्रमों का उद्देश्य दक्षता में वृद्धि करना, न्याय प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालना, विलंब तथा लंबन में कमी लाने के लिए रणनीति बनाना तथा तंत्र की जवाबदेही में वृद्धि करना है।

वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने 3073 लोगों की भागीदारी में तेरान्हवे कार्यक्रमों का आयोजन किया जो विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का हिस्सा थे।

इन लक्ष्यों को संदर्भ का मुख्य बिंदु मानते हुए तीन मुख्य उद्देश्यों को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2010–2011 का शैक्षणिक कैलन्डर तैयार किया गयाः

1) न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से सुदृढ़ बनाना (उनके गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि करना)

2) विलंब तथा बकाया में कमी के लिए न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा प्रणाली की गुणवत्ता तथा जवाबदेही को बढ़ाना।

3) राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए न्याय प्रणाली के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करना।

शैक्षणिक वर्ष 2010–11 के लिए सोलह प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें से दस ऐसे कार्यक्रम जिला न्यायलय के न्यायाधीशों पर लक्षित थे, तीन प्रकार के कार्यक्रम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर तथा शेष दो कार्यक्रम श्रीलंका की न्यायपालिका के सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किए गए तथा एक कार्यक्रम कैलण्डर बैठक की तरह आयोजित किया गया। निम्नलिखित तालिका में इस वर्ष के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की गणना की गई हैः–

कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या
मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि	
अ) अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला।	10
ब) नव नियुक्त अतिरिक्त जिला नयायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम।	10
स) नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम।	10
द) राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (जे.ई.ई.पी.)	2
न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	
अ) न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन ।	10
ब) न्याय निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन।	8
स) राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठके।	5
द) 1. न्याय प्रशासन तथा उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलनरू अनुभव बांटना। 1. उच्च न्यायालयों के नव नियुक्त न्यायाधिपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन।	1 1
न्याय प्रणाली के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करना	
अ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन।	9
ब) मुख्य क्षेत्रों में विधि के विकास पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि।	5
स) देश के सामने खड़ी प्रमुख सामाजिक चुनौतियों से मुकाबला करने में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि।	5
द) न्याय निर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम।	14
विशेष कार्यक्रम	
अ) कानून के हाल के घटनाक्रमों पर श्रीलंकाई न्यायाधीशों के लिए न्यायिक संगोष्ठि (11 – 15 अगस्त, 2010)	1
ब) भारतीय विधि के हाल के घटनाक्रमों पर श्रीलंकाई न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठि (18–22 दिसंम्बर, 2010)	1
स) वार्षिक कैलेंडर बैठक (12 मार्च, 2011)	1

पहला लक्ष्य–1 – मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि

इस कार्यक्रम श्रंखला में निम्नलिखित विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है:–

अ) मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला।

ब) नव नियुक्त अतिरिक्त जिला नयायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम।

स) नव नियुक्त व्यवहार न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम।

द) राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (जे.ई.ई.पी.)

1. ए) मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला

इस विशेष शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अंतर्गत दस कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अवधि तीन दिन तक विस्तारित की गई जिसमें लगभग बीस से पच्चीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम श्रेणी का उद्देश्य उन मुख्य न्यायिक कौशल की उत्कृष्टता में वृद्धि करने में सहायक होना तथा उनका विशलेषण करना था जो विभिन्न प्रकार के न्याय निर्णयन के पार जाते हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं का समावेश था जैसे कि न्यायिक पद्धति, निर्णय तथा विनिश्चय करना, तर्क न्याय की संवैधानिक दृष्टि जो न्याय करने में मार्गदर्शन दे, तथ्यों का अभिमूल्यांकन, वैधानिक निर्वचन तथा विलेखों तथा दस्तावेजों का निर्वचन। संबंधित बुनियादी क्षेत्रों जैसे कि न्यायाधीशों के लिए न्यायिक आचरण तथा नैतिकता, न्यायालयों में विलम्ब तथा बकायों में कमी के लिए ए.डी.आर. तथा अभिवाक चर्चा का प्रभावी उपयोग, निर्णय लेखन, न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन तथा विचारण प्रक्रिया का प्रबंधन इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट कुछ मुद्दे थे।

पी–333: न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (23–25 जुलाई 2010)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायालय तथा मामालों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यायिक कौशल को सुदृढ़ करने हेतु विशिष्ट कार्यप्रणालियों को विकसित करना था। विचार–विमर्श निम्नलिखित पर केंद्रित थे –

(1) न्यायालय प्रबंधन के आधार के रूप में न्यायालय विकास योजना,
(2) मामलों के प्रबंधन की योजना के प्रतिरूप को विकसित करना,
(3) प्रकरण भार के प्रबंधन की योजना के प्रतिरूप को विकसित करना तथा
(4) समय पर न्याय दिलाने के लिए उसकी योजना तथा प्रबंधन के अंश के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विकसित न्यायालय प्रबंधन, प्रकरण तथा प्रकरण भार प्रबंधन का दृष्टिकोण।

पी–334: समय प्रबंधन पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (23–25 जुलाई 2010)

इस कार्यशाला का उद्देश्य न्यायाधीशों को एक अवसर प्रदान करना था जिससे वे न्यायिक समय के प्रभावी प्रबंधन के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों पर अपने अनुभव बॉट सके। कार्यशाला ने समय प्रबंधन के नवीनतम दृष्टिकोणों की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के समय पर न्याय दिलाने के लिए योजना तथा प्रबंधन (पी.एम.टी.जे.) के दृष्टिकोण में शामिल किए गए समय प्रबंधन की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया। इस कार्यशाला ने न्याय की संवैधानिक दृष्टि को हासिल करने के लिए न्यायालय की जवाबदेही को समय प्रबंधन के साथ जोड़ने पर भी कार्य किया। तीन दिवसीय सत्र के दौरान की गई चर्चाओं में समय प्रबंधन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों, समय प्रबंधन में सबसे अच्छे अभ्यास के विभिन्न पहलुओं, तथा केरल की सूची प्रणाली पर जोर दिया गया। समय प्रबंधन, न्यायालय प्रबंधन, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रसतुतियॉ दी गई। न्यायिक घंटों के भीतर कार्य करने की आवश्यकता, प्रकरणों की ''अस्थायी लागत'' का आकलन करना, रैकिंग तथा प्राथमिकता, न्यायालय की दक्षता के मापन पर भी प्रकाश डाला गया।

पी–351: तनाव प्रबंधन पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (10–12 सितंबर 2010)

इस कार्यशाला का उद्देश्य न्यायाधीशों के मध्य तनाव के विभिन्न कारणों की पहचान करना तथा यह समझना कि विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कर कैसे प्रभावी रूप से तनाव से निपटा जा सके। इस कार्यशाला का एक और उद्देश्य तनाव प्रबंधन पर राज्य न्यायिक अकादमियों के लिए कार्यक्रम तैयार करना भी था। प्रतिभागी न्यायाधीशों से विभिन्न चर्चाओं के द्वारा यह समझा गया कि तनाव का मूल कारण कार्य की ही प्रकृति और जटिलता है(व्यावसयिक तनाव)। दूसरों के लिए निर्णय लेने की प्रकृति से ही दबाव उत्पन्न होता है, अतः निर्णय लेने के लिए कार्य की गंभीरता उसे स्वाभाविक तनावपूर्ण बना देती है। क्रोध प्रबंधन तथा समय प्रबंधन पर चर्चा करने के पश्चात् प्रतिभागियों के लिए तनाव प्रबंधन की तकनीक को सविस्तार समझाया गया जिसमें श्वास तथा विम्बविधान जैसै आराम देने वाले व्यायाम शामिल थे। इन कार्यशालाओं के महत्व तथा नैदानिक मनोविज्ञानियों तथा प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों की सहायता से राज्य न्यायिक अकादमियों में इनके आयोजन की तत्काल आवश्यकता पर प्रतिभागियों के बीच आम सहमति पर इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

पी–361: बार (विधिज्ञ वर्ग) सरकारी एजेंसियों, वादियों तथा साक्षियों के साथ प्रभावी समन्वयन की रणनीतियों पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (15–17 अक्टूबर 2010)

इस कार्यशाला ने न्यायाधीशों को एक फोरम प्रदान किया जिसमें वे हितधारकों का सहयोग प्राप्त करने के सबसे अच्छे अभ्यासों के बारे में चर्चा कर सके तथा ऐसे अनुभवों के प्रतिकृतीय सबकों को पहचान सके। यह महसूस किया गया कि ये जानकारियॉ न्यायाधीशों द्वारा उनकी न्यायिक कार्यप्रणाली में प्रयोग हेतु विचार में लाई जा सकती है। यह पाया गया कि समय पर न्याय दिलाने के लिए विधिज्ञ वर्ग के सदस्यों, पुलिस तथा अन्य लोगों जिनमें सम्मिलित है वादी, मीडिया तथा आम जनता सम्मिलित है, का सक्रिय सहयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के लक्ष्यों के समूह, प्रोत्साहनों तथा हतोत्सहनों के साथ न्यायिक प्रणाली के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस पर भी प्रकाश डाला गया कि वर्तमान में न्यायालय, विधिज्ञ वर्ग तथा पुलिस के आवश्यक सहयोग के इस अभाव के कारण समय पर न्याय के प्रशासन में गंभीर बाध्यताओं का सामना कर रहे हैं। विधिज्ञ वर्ग के प्रतिनिधियों तथा पुलिस अधिकारियों से प्राप्त बहुमूल्य

जानकारी ने पीठासीन अधिकारियों के व्यक्तिगत स्तर पर न्याय के प्रशासन में विधिज्ञ वर्ग तथा पुलिस के प्रभावी योगदान तथा सहयोग में वृद्धि के लिए एक कारगर रणनीति विकसित करने तथा चुनौतियों को समझने के लिए विपुल अवसर तथा सहायता प्रदान की।

पी–365: न्यायिक आचरण तथा नैतिकता पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (22–24 अकटूबर 2010)

इस कार्यशाला ने न्यायिक आचरण तथा नीतिशास्त्र के वर्तमान मानक, जो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के व्यवहार को न्यायालय के भीतर तथा बाहर नियंत्रित करते हैं की आलोचनात्मक समीक्षा करने के उद्देश्य पर बल दिया। प्रतिभागियों को अपने दैनिक कामकाज के दौरान जिन आशंकाओं तथा संभावी जोखिमों का सामना करना पड़ता है उनके मुख्य स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता थी। न्यायाधीशों के विचलित व्यवहार की जॉच तथा नियंत्रण की मोजूदा यंत्र प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के पश्चात् प्रतिभागियों ने न्यायाधीशों के बीच नैतिक आचरण के मानकों से संसक्ति में गिरावट के मुद्दे पर कई दिलचस्प प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। उन्होंने उन विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला जिनका आश्रय लेकर उच्च न्यायपालिका, अधिवक्तागण, लिपिकीय कर्मचारीगण तथा वादीगण अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कार्यप्रणाली का दुरूपयोग करते हैं। यह उल्लेखित किया गया कि विधिक शिक्षा तथा चेतना के लिए कार्यक्रयों तथा शिविरों का आयोजन करने के नाम पर न्यायाधीशों के ऊपर अत्यधिक दबाव डाला जाता है। उन्हें अधिवक्ताओं द्वारा नियमित रूप से विभिन्न प्राकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। कदाचित उनका नाम बदनाम हो जाता है क्योंकि उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारीगण अपनी न्यायिक हैसियत का उपयोग वादियों से धन ऐंठने में करते हैं।

अनुभव सम्पन्न व्यक्तियों ने निगमों की नैतिक संरचना, चिकित्सकीय नीतिशास्त्र प्रणाली तथा न्यायपालिका की भी नैतिक प्रणाली प्रस्तुत की। यह एक पार्श्विक विद्या अर्जन सत्र था जिसमें अन्य व्यवसायों की नैतिक प्रणालियों की पहचान की गई परन्तु उनके कार्यान्वयन में शैथिल्य और खालीपन था। अतः चिकित्सा व्यवसाय तथा निगमित क्षेत्र के अनुभव के आधार पर न्यायिक आचरण तथा नीतिशास्त्र का प्रतिरूप एक कार्यान्वयन प्रणाली के साथ बनाया गया। निष्कर्ष में इस बात पर सहमति हुई कि यह न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि वह न्यायपालिका में जनता का विश्वास पुनः स्थापित करे तथा अपने अंतर्विवेक से मार्गदर्शित हो।

पी–374: निर्णय लेखन तथा संचार पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (3–5 दिसम्बर 2010)

निर्णय लेखन तथा संचार, निर्णयन के केन्द्र बिन्दु होने के कारण इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेखन तथा संचार की गुणवत्ता को परिभाषित करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए एक योग्य ढांचे की तलाश करना था। कार्यक्रम में बेहतर निर्णय लेखन तथा संचार के लिए विशिष्ट नए उपकरणों तथा तकनीकों का प्रसार किया गया।

विनिश्चयन प्रक्रिया पर की गई चर्चा ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जिसका प्रत्येक व्यक्ति के विनिश्चियन पर अत्यधिक प्रभाव होता है। बहस न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी केन्द्रित थी। कार्यशाला में तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्णय लेखन का अभ्यास कराया गया जिसके पश्चात् प्रतिभागियों द्वारा लिखे गए निर्णयों का उनके सहकर्मियों द्वारा आलोचनात्मक मूल्यांकन कराया गया। यह अभ्यास उन मूल लक्षणों तथा संकेतों के संदर्भ में कराया गया था जिनका न्यायालय में निर्णय लिखते व देते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। संचार कौशल पर एक सत्र का आयोजन किया गया क्योंकि संचार निर्णय लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा सत्र के अंतिम दिन मीडिया विचारण तथा उनका निर्णयन पर प्रभाव पर भी चर्चा की गई।

पी–386: मुख्य न्यायिक कौशलों में उत्कृष्टता में वृद्धि पर न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (21–23 जनवरी 2011)

इस तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य मुख्य नयायिक मूल्यों तथा कौशलों को व्यवस्थित रूप में मापने, निगरानी करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए तरीकों तथा साधनों की पहचान करना तथा उन पर चर्चा करना था। अधीनस्थ न्यायालयों के सामने खड़ी चुनौतियॉं, न्यायाधीशों की मुख्य क्षमताएँ तथा मुख्य न्यायिक कौशलों पर चर्चा की गई तथा इसके पश्चात् नेतृत्व पर एक प्रस्तुति दी गई। पीठासीन न्यायाधीशों ने न्यायालय प्रबंधन, प्रकरण प्रबंधन तथा विधि एवं साक्ष्य के मूल्यांकन तथा निर्णय लेखन विषय पर अपने अनुभव बॉटे। सामाजिक बदलाव लाने में न्यायाधीशों की भूमिका पर बल देते हुए न्यायाधीशों को लोक सेवक के रूप में देखते हुए तथा उनके समाज सुधार कौशल पर चर्चाएँ आयोजित की गई। इसके प्रकाश में हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन तथा शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम तथा उसके कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के द्वारा मुख्य न्यायिक कौशलों की उत्कृष्टता में विभिन्न आयामों से वृद्धि की आवश्यकता पर प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान किए गए।

पी–393: जिला न्यायाधीशों के लिए प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (11–13 फरवरी 2011)

न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के रूप में न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालयों का प्रबंधन करें – जो कि एक जटिल संस्था है जिसमें बहु हितधारक तथा परस्पर विरोधी हित तथा प्रोत्साहन हैं– इसके साथ साथ प्रकरण तथा कर्मचारीगण हैं। न्यायालय तथा प्रकरणों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में स्थानीय परिस्थितियों से सुसंगत अनोखे प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि न तो विधिक शिक्षा तथा न ही न्यायिक प्रशिक्षण के दौरान प्रबंधन कौशल भावी न्यायाधीशों को बताये जाते हैं। इस परिदृश्य में बहुत से न्यायाधीशों ने अपने अनुभवों के आधार पर स्वंय के दृष्टिकोण विकसित कर लिए हैं।

उपरोक्त चित्रण को ध्यान में रखते हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम की रचना इस उद्देश्य से की गई थी कि पूरे देश से न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन पर सबसे अच्छे अभ्यास तथा अनुभव को बॉटा जा सके तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की ''समय पर न्याय के लिए योजना तथा प्रबंधन'' – न्यायालय तथा प्रकरणों के प्रबंधन पर दृष्टिकोण जो इस विषय पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों से विकसित हुआ है पर विस्तार से चर्चा की जा सके। इस कार्यशाला का अंतिम उद्देश्य पीठासीन अधिकारियों को उनके प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल को सुदृढ़ करने के लिए मुख्य सिद्धान्तों तथा दिशा निर्देशों की पहचान कराना तथा उन्हें विकसित करना था।

कार्यशाला की शुरूआत प्रतिभागियों द्वारा प्रबंधन तथा प्रशासनिक दोनों स्तर पर जिला न्यायपालिका के सामने खड़ी मुख्य चुनौतियॉ तथा मुद्दों की पहचान करने से हुई, न्यायालय की कार्यप्रणाली पर विशेष संदर्भ के साथ प्रबंधन दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला गया। इस पर बल दिया गया कि प्रधान जिला न्यायाधीशों को नेतृत्व गुण का विकास करना चाहिए तथा सहकर्मियों को साथ लेकर चलने के कौशल को तीक्ष्ण करना चाहिए।

विभिन्न न्यायालयों के महा रजिस्ट्रारों ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए अपनी प्रस्तुतियॉ दी कि जिन न्यायालयों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन न्यायालयों ने किस प्रकार जिला न्यायालयों के प्रबंधन तथा प्रशासन के मुद्दों का सामना किया। न्यायालयों के प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसके पश्चात् राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विकसित न्यायालय उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ढांचे (एन.एफ.सी.ई.) पर चर्चा की गई।

पी–402: वैकल्पिक विवाद समाधान कौशल पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला (11–13 मार्च 2011)

सि.प्र.सं. की धारा 89 की प्रविष्टि तथा उच्चतम न्यायालय के सेलम बार तथा एफकॉन के अवसरचनात्मक निर्णयों से उत्पन्न न्यायिक रूप से अधिकथित विस्तृत ढांचे के साथ, ए.डी.आर. सिविल मामलों में समय पर न्याय की चाह में केन्द्रीय उपकरण बन गया है। ए.डी.आर. के उपयोग के लिए क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए न्यायपालिका द्वारा पर्याप्त प्रयत्न किया जा रहा है। विशेष रूप से मध्यस्थता तथा लोक अदालत के उपयोग के लिए। तब भी सि.प्र.सं की धारा 89 की प्रविष्टि के एक दशक से भी ज्यादा समय के पश्चात् ए.डी.आर. को सिविल मामलों के शीर्ष निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए एक सारवान् प्रभाव डालना अभी शेष है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रयोजन सिविल मामलों के शीर्ष निपटारे के लिये ए.डी.आर. के उपयोग में आने वाली मुख्य बाध्यताओं की पहचान करना, तथा विभिन्न देशों में इन बाध्यताओं से मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छे अभ्यास तथा अनुभव बॉटना था। सिविल न्याय के हित में ए.डी.आर. के उपयोग में वृद्धि करने के लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक कौशल की पहचान करने पर विशेष बल दिया गया। विभिन्न सत्रों में छिपी हुई बारीकियों तथा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए तीन दिवसीय कार्यशाला का इस समझ के साथ समापन हुआ कि न्यायालयों में कार्यों में कमी लाने के लिए ए.डी.आर. का एक प्रभावशाली प्रणाली के रूप में सि.प्र.सं की धारा 89 का अवलम्ब लेते हुए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु न्यायालयों द्वारा ए.डी.आर. के उपयुक्त साधन का चयन करने में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए तथा सक्षम व्यक्तियों को मध्यस्थ/ समझौताकार/ पंच के रूप में कार्य करने तथा विधिज्ञ वर्ग को भी प्रशिक्षित करने के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रचना की जानी चाहिए।

पी–411: नेतृत्व कौशल पर जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (8–10 अप्रैल 2011)

भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों में से कुछ 87प्रतिशत मामले जिला न्यायालयों में लंबित हैं, इन मामलों के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालयों के अनुसचिवीय कर्मचारीव्रद, विधिज्ञ वर्ग, अभियोजन, सरकारी एजेंसियों तथा वादियों के भी सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी। इन न्यायालयों में मामलों के निपटारे की उच्च गुणवत्ता तथा समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर पर सक्रिय तथा दूरदृष्टि नेतृत्व की आवश्यकता है, तथा न्यायिक प्रणाली के अन्य हितधारकों को न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए अपनी सम्यक् भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। तब भी नेतृत्व प्रशिक्षण न तो विधि शिक्षा और न ही न्यायिक शिक्षा का हिस्सा है। इस

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों से अपेक्षित अनूठे नेतृत्व गुण तथा कौशल की पहचान करना तथा ऐसे गुणों तथा कौशलों को प्रेरित करना तथा इनमें वृद्धि करने के लिए कार्यप्रणालियों की चर्चा करना था।

1 बी) नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम –

नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम मुख्य न्यायिक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि के समूह में से दस कार्यक्रमों की श्रंखला है। पॉच दिवसीय सघन कार्यक्रम के रूप में यह अभिविन्यास श्रंखला प्रत्येक कार्यक्रम के लिए लगभग 25–30 न्यायाधीशों की प्रतिभागिता प्राप्त करती है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव नियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को इक्कीसवीं शताब्दी में जिला न्यायपालिका के सम्मुख मुख्य राष्ट्रीय चुनौतियॉ तथा जिला न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षित गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान के संबंध में चर्चा करने का अवसर प्रदान करना है। यह अभिविन्यास कार्यक्रम एक नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में भी बनाया गया है जहॉ पर न्यायाधीशों को प्रबोधित किया जाता है कि वे आने वाले दशक में देश के सामने आने वाली समस्याओं का पूर्व से ही बोध कर लें तथा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य करें। न्यायिक जवाबदेही तथा न्यायिक प्रणाली में सुधार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए प्रत्येक न्यायाधीश तथा प्रत्येक न्यायालय की ओर ध्यान देना होगा। न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक पंच वर्षीय योजना विकसित करनी चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की चिन्ता का मुख्य क्षेत्र प्रणाली में दृढ़ता से सुधार करना तथा उसके पश्चात् व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह लक्ष्य है कि 2035 तक न्यायालय स्वराज न्यायालय बन जाएँगे जिनमें जवाबदेही मानक समय तथा दक्षता होगी। न्यायाधीशों के लिए योग्यता के आधार पर एक नई चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति होगी। एक और अधिक जवाबदेह, अधिक पेशेवर तथा प्रतिबद्ध न्यायाधीश जो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कार्य करता है परिकल्पित है।

2010 के लिए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज से 30 वर्ष पश्चात् अर्थात् 2040 में भारत के अधीनस्थ न्यायालयों की कल्पना करने के आसपास संरचित था तथा उन कार्यों की पहचान करना जो उस कल्पना को हासिल करने में सहायता करेंगे। पूरे वर्ष के दौरान आयोजित किए गए पॉच दिवसीय कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषयों पर सघनता से चर्चा की गई : (1) न्यायिक प्रणाली तथा अधीनस्थ न्यायालयों के सामने आने वाली सभी चुनौतियॉ (2) एक बदलते हुए समाज में न्यायालयों के लक्ष्य, भूमिका तथा मिशन (न्याय की संवैधानिक दृष्टि). (3) प्रदर्शन के मानक तथा न्यायिक जवाबदेही. (4) न्यायिक पद्धति/ निर्णयन की उत्कृष्टता में वृद्धि करना (तर्क, तर्कसंगतता, संगति, निष्पक्षता में वृद्धि करना, मानक विधि निर्णय लेखन). (5) समय पर न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों तथा न्याय निर्णयन की योजना तथा प्रबंधन. (6) न्यायाधीशों के लिए आवश्यक न्यायिक गुणों, कौशल तथा ज्ञान (QASK) में वृद्धि करना. (7) न्यायालय की उत्कृष्टता का राष्ट्रीय ढांचा।

शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम निम्नलिखित माहों में आयोजित किए गए थे–

क्रमांक	कार्यक्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रमों की संख्या
1	पी–338	31 जुलाई – 4 अगस्त, 2010	21
2	पी–345	20 – 24 अगस्त, 2010	23
3	पी–362	15 – 19 अक्टूबर, 2010	21
4	पी–368	12 – 16 नवम्बर, 2010	24
5	पी–371	19 – 23 नवम्बर, 2010	27
6	पी–380	17 – 21 दिसम्बर, 2010	11
7	पी–387	21 – 25 जनवरी, 2011	23
8	पी–405	13 – 17 मई, 2011	21
9	पी–408	01 – 05 अप्रैल, 2011	19
10	पी–416	22 – 26 अप्रैल, 2011	19

1. सी) नव नियुक्त व्यवहार न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव नियुक्त व्यवहार न्यायाधीशों (कनिष्ठ खंड) को न्याय प्रणाली पर गुणवत्ता निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर जानकारी देना, इक्कीसवीं शताब्दी में जिला न्यायपालिका के सामने आने वाली मुख्य राष्ट्रीय चुनौतियॉ तथा जिला न्यायपालिका के नए सदस्यों के लिए आवश्यक गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान पर भी चर्चा करना है।

प्रतिभागियों के बीच राष्ट्रीय न्यायपालिका की भावना को बढ़ावा देने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम का एक और मुख्य उद्देश्य भारत की न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर नवनियुक्त न्यायाधीशों का ध्यान केंद्रित करना है। व्यक्तिगत सत्रों की रचना, निर्णयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को छेड़ने के लिए की जाती है तथा इसमें संवैधानिक लोकतंत्र में

न्यायाधीशों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कार्यक्रम यह अवधारणा विकसित करता है कि न्यायाधीशों द्वारा अपनाई जाने वाली 'प्रचलित न्यायिक पद्धति देश की न्याय व्यवस्था के सामने आने वाली कई चुनौतियों का एक प्रमुख कारण है। प्रचलित न्यायिक पद्धति विभिन्न कारणों से अपूर्ण है जैसे कि दयनीय विधि शिक्षा तथा न्यायाधीशों द्वारा नैतिक निर्णयों पर अत्यधिक निर्भरता। कई विधियों के संयोजन जैसे कि सामूहिक चर्चा, प्रतिरूपण अभ्यास तथा कृत्रिम परीक्षण अभ्यास के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायाधीशों को एक वैकल्पिक न्यायिक पद्धति – ''मानक विधि'' से परिचय कराना जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना है।

चर्चा के मुख्य विषय थेः (1) भारतीय न्यायिक पद्धति के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना तथा उनकी पुनः रचना करते हुए प्रचलित न्यायिक पद्धति की खोज करना (2) अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधीशों की भूमिका (3) भारत के संविधान की न्याय की दृष्टि की पृष्ठभूमि में न्याय की अवधारणा (4) एक वैकल्पिक न्यायिक विधि को लागू करने तथा उसे संबल प्रदान करने के लिए कानूनी अवधारणाओं को खोजना, विकसित करना तथा समझना और गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान (QASK) में उसके प्रयोग पर चर्चा करना (5) संगठनात्मक प्रभावशीलता (6) समय पर न्याय दिलाने के लिए योजना तथा प्रबंधन के द्वारा न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा व्यक्तिगत चुनौतियों का प्रबंधन करना।

वर्ष 2010–11 के लिए दस कार्यक्रम शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार आयोजित किए गए थे :–

क्रमांक	कार्यक्रम संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	पी–341	06 – 17 अगस्त, 2010	54
2	पी–349	03 – 14 सितम्बर, 2010	53
3	पी–357	01 – 12 अक्टूबर, 2010	57
4	पी–369	12 – 23 नवम्बर , 2010	54
5	पी–375	03 – 14 दिसम्बर, 2010	52
6	पी–383	07 – 18 जनवरी, 2011	58
7	पी–394	11 – 22 फरवरी, 2011	48
8	पी–400	04 – 15 मार्च, 2011	51
9	पी–409	01 – 12 अप्रैल , 2011	48
10	पी–420	06 – 17 मई, 2011	52

1. डी)राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (जे.ई.ई.पी.)

न्यायिक शिक्षा कार्यक्रमों का भागीदारों पर तथा फलतः न्यायालय की कार्यप्रणाली पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी अक्सर पूछताछ तथा चर्चा की जाती है। न्यायिक शिक्षा के प्रभाव को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने पहली बार एक अनूठा कार्यक्रम विकसित किया जिसे ''राष्ट्रीय सघन न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (जे.ई.ई.पी.) नाम दिया गया। यह सघन कार्यक्रम उच्च न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से पहचाने गए व्यक्तिगत जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों पर लक्षित था।

इस सात दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्णयन की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण संकेतकों को समग्र रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान एक सप्ताह के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का दो बार दौरा करना तथा शैक्षिक वर्ष के दस माह की अवधि के दौरान प्रतिभागियों से ''दूरस्थ'' संबंध स्थापित करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जहॉ पर प्रत्येक न्यायाधीशों के प्रदर्शन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा प्रतिभागी न्यायाधीशों को सहायता दी जा सकती है। ये क्षेत्र हैं : निर्णयन– इस देश में प्रत्येक न्यायाधीश स्वयं शिक्षित है। हम कभी भी इस विषय की खोज या विश्लेषण नहीं करते। न्यायिक दृष्टिकोण में विविधता है। न्यायालय प्रबंधन– न्यायालय प्रबंधन के लिए संस्थागत/ वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कानूनी ज्ञान– विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी शिक्षा में विभिन्न पहलुओं का अभाव है। विधिज्ञ वर्ग, बेंच तथा न्यायपालिका को विधि के मूल तत्वों की जानकारी नहीं है, तथा अंग्रेजी भाषा तथा लेखन कौशल।

समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा उत्कृष्टता में वृद्धि के लिए संस्थागत बदलाव तथा सुधार लाना एक चुनौती है। साथ ही निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखा गयाः इसके कार्यान्वयन में क्या व्यावहारिक कठिनाईयॉ है? उन समस्याओं को पहचानना तथा उन पर काबू पाने के लिए तरीके खोजना? कार्यान्वयन तथा बाधाएँ ? प्रत्येक न्यायाधीश की भूमिका में परिवर्तन तथा उन न्यायाधीशों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया इसके अपेक्षित परिणाम हैं। उसके स्थापना वर्ष में लगभग सत्तर न्यायाधीशों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा उससे लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के बहुआयामी ढांचे का उद्देश्य न्यायिक उत्कृष्टता में कई मायनों में वृद्धि करना था। फॉलो अप रणनीति ने प्रतिभागियों के नियमित अनुक्रिया को सुनिश्चित किया तथा न्यायिक उत्कृष्टता से संबंधित मुद्दों में उनकी दिलचस्पी बनाए रखी।

निम्नलिखित महीनों के दौरान दोनों दौरों का आयोजन किया गयाः–

क्रमांक	कार्यक्रम संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	पी–335	23 – 29 जुलाई, 2010	69
2	पी–403	06 – 12 मई, 2011	58

दूसरा लक्ष्य – न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना

न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की ओर कार्य करते हुए जिला न्यायपालिका के लिए तीन प्रकार के कार्यक्रम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए दो प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :

अ) प्रधान जिला न्यायाधीशों के लिए न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरणों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

ब) न्याय निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन

स) राज्य न्यायिक अकादमीयों की राष्ट्रीय बैठके

द) 1) न्याय प्रशासन तथा उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन : अनुभव बॉटना।

2) उच्च न्यायालयों के नव नियुक्त न्यायाधिपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन।

ऊपर उल्लेखित सभी कार्यक्रमों में विचार विमर्श, अनुभवों का आदान प्रदान प्रस्तुतियों तथा स्थल के दौरों को समझाया गया।

2. ए) न्यायालय, प्रकरण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन।

शैक्षिक वर्ष के दौरान आयोजित किए गए इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक संस्थानों की समझ को सुदृढ़ करना, न्यायालय के विकास की योजना बनाना, न्यायालय प्रबंधन, मामलों का प्रबंधन, न्यायिक स्वतंत्रता तथा न्यायिक जवाबदेही, न्यायालयों की दक्षता तथा प्रभावशीलता का समापन, न्यायिक सूचना प्रबंधन, न्यायालयों के निपटारा की गुणवत्ता तथा मात्रा की निगरानी, न्यायिक प्रशासन में सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग आदि था। इसके द्वारा देश के प्रधान जिला न्यायाधीशों को एक अनोखा फोरम प्रदान किया गया जहॉ पर वे विलम्ब तथा बकायों में कमी लाने की चुनौती तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जवाबदेही में वृद्धि करने के लिए अपने ज्ञान तथा अनुभवों को बॉट सके। ये चर्चाऍ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा समय पर न्याय दिलाने के लिए (टी.टी.टी.जे.) तकनीक तथा उपकरणों तथा समय पर न्याय दिलाने के लिए योजना तथा प्रबंधन (पी.एम.टी.जे.) पर पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यापक कार्यों (राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों को सम्मिलित करके) पर आधारित थी।

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोजित किए गए दस सम्मेलनों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के न्यायालयों के व्यवस्थित विकास से संबंधित दृष्टिकोण जिसमें छः कारक शामिल थे, पर चर्चा की गई। इनमें शामिल हैं– भूमिका, संगठन, ज्ञान, पद्धति, प्रबंधन तथा पहुँच (आर.ओ.के.एम.एम.ए.) जिनके द्वारा अनुबद्ध प्रदर्शन लक्ष्यों को निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करके हासिल किया जा सकेः न्यायालय–वार पंचवर्षीय योजनाएँ (तीन वर्ष/ दो वर्ष/ एक वर्षीय कार्यवाही योजनाओं सहित पंच वर्षीय योजनाएँ)। लगभग पच्चीस–तीस न्यायाधीशों द्वारा इसमें भाग लिया गया जिनमें से कुछ न्यायाधीशों ने न्यायालय तथा प्रकरणों के प्रबंधन की तकनीकों के क्रमिक कार्यान्वयन की शुरूआत की है जैसा कि कार्यक्रम में चर्चा की गई थी।

किसी दिए गए एक सत्र के लिए कार्यक्रमों के दिनांक तथा प्रतिभागियों की निश्चित संख्या नीचे सूचीबद्ध की गई है।

क्रमांक	कार्यक्रम संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	पी–348	03 – 05 सितम्बर, 2010	31
2	पी–354	17 – 19 सितम्बर, 2010	31
3	पी–359	08 – 10 अक्टूबर, 2010	32
4	पी–364	22 – 24 अक्टूबर, 2010	27
5	पी–377	10 – 12 दिसम्बर, 2010	26
6	पी–392	11 – 13 फरवरी, 2011	28
7	पी–401	11 – 13 मार्च, 2011	25
8	पी–410	08 – 10 अप्रैल, 2011	27
9	पी–415	22 – 24 अप्रैल, 2011	25
10	पी–422	13 – 15 मई, 2011	27

2. बी) न्याय निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि पर क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन –

क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन विलम्ब तथा बकायों में कमी तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जवाबदेही में वृद्धि पर अपने ज्ञान तथा अनुभव को बॉटने तथा आम चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से न्यायाधीशों को एक साथ लाते हैं। चयनित प्रतिभागियों से किसी विशेष वर्ष के क्षेत्रीय सम्मेलन के विशिष्ट विषय पर प्रस्तुतियॉ देने के लिए आग्रह किया जाता है। देश का विस्तार चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है– उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण। यह लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष में दो क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। राज्यों के उच्च न्यायालय तथा राज्य न्यायिक आकदमियॉ इन सम्मेलनों को आयोजित करवाने में मददगार होते हैं।

वर्ष 2010–11 के आठ क्षेत्रीय सम्मेलनों का विषय न्याय निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि करना था। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभागियों की संख्या लगभग 80–100 के बीच थी। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों के बीच न्यायालय उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ढांचे का परिचय देना तथा उन्हें इस ढांचे के अनुसार न्याय निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि की जरूरत से अवगत कराना है। गुणवत्ता ढांचे में शामिल चार मापदंडों (PAVE) पर प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित तरीके से प्रकाश डाला गयाः

1) न्यायालयों पर जनता का भरोसा तथा विश्वास।
2) न्याय तक पहुॅच।
3) केंद्रीय न्यायिक मूल्यों के प्रति निष्ठा तथा,
4) न्यायालयों की प्रभावकारिता, दक्षता तथा गतिशीलता में वृद्धि।

न्याय निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि तथा गुणवत्ता तथा जवाबदेही का मापन करने वाले संकेतकों पर न्यायपालिका के सामने खड़ी हुई मुख्य चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। न्यायालयों में न्याय निर्णयन की गुणवत्ता से सुदृढ़ता लाने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। न्यायालयों में निर्णयन की गुणवत्ता में वृद्धि तथा उसके आकलन के मुद्दे पर प्रख्यात अनुभव सम्पन्न व्यक्तियों ने अपने दृष्टिकोण बॉटे। अगसत 2010 से अप्रैल 2012 के बीच निम्नलिखित स्थलों में क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

क्रमांक	कार्यक्रम संख्या	दिनांक तथा स्थल	प्रतिभागियों की संख्या
	पूर्व क्षेत्र		
1	पी–346	27 – 29 अगस्त, 2010, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	95
2	पी–388	28 – 30 जनवरी, 2011 कटक, उडिसा	84
	उत्तर क्षेत्र		
3	पी–355	24 – 26 सितम्बर, 2010 चंडीगढ, पंजाब	81
4	पी–397	25 – 27 फरवरी, 2011 जम्मू, जम्मू और कश्मीर	88
	पश्चिम क्षेत्र		
5	पी–366	29 – 31 अक्टूबर, 2010, उत्थान, महाराष्ट्र	100
6	पी–406	25 – 27 मार्च, 2011, जयपुर, राजस्थान	93
	दक्षिण क्षेत्र		
7	पी–372	26 – 28 नवम्बर, 2010 हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	92
8	पी–417	29 अप्रैल – 1 मई, 2011 बंगलौर, कर्नाटक	93

2 सी) राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठके

राज्य न्यायिक अकादमियों की बैठके राज्य न्यायिक अकादमियों के बीच तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ न्यायिक शिक्षा में सामान्य हित के मुद्दों पर तथा इन चर्चाओं के आधार पर न्यायिक शिक्षा के लिए नए कार्यक्रमों को विकसित करने के मुद्दों पर अपने ज्ञान, विचारों तथा अनुभवों के विनिमय को सुगम बनाती हैं। वर्ष 2010–11 में विभिन्न विषयों तथा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पॉच ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया।

पी–350: राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठक : प्रेरण कार्यक्रम : उद्देश्य, कार्यप्रणाली और परिणाम, (10–12 सितम्बर, 2010)

राज्य न्यायिक अकादमियों की यह बैठक राज्य न्यायिक अकादमियों में आयोजित किए जाने वाले प्रेरण कार्यक्रमों की समीक्षा पर केंद्रित थी। इस बैठक ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमियों को नव नियुक्त न्यायाधीशों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने में आने वाली बड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा करने तथा अपने अनुभवों को बॉटने का अवसर प्रदान किया।

देश की तीन न्यायिक अकादमियों से अनुभव सम्पन्न व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया एल.बी.एस. राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून।

ऊपर उल्लिखित तीनों अकादमियों के प्रतिनिधियों ने अपनी–अपनी अकादमियों में नवागंतुको के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रेरण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दिया। इन प्रस्तुतियों ने राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रेरण कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा समीक्षा करने के लिए संदर्भ बिंदु प्रदान किए। इस बैठक के अंतिम दो सत्रों का उपयोग वित्त आयोग द्वारा राज्य न्यायिक अकादमियों को आबंटित किए गए बजट के उपयोग पर चर्चा करने के लिए किया गया।

पी–367: राज्य अकादमियों की राष्ट्रीय बैठक : सतत न्यायिक शिक्षा कार्यक्रम : आलोचनात्मक मूल्यांकन (12–14 नवम्बर 2010)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमियों की दूसरी बैठक का उद्देश्य न्यायिक शिक्षा के लक्ष्यों तथा इस शिक्षा को प्रभावशील, व्यवस्थित तथा सतत् बनाने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों की भूमिका की पहचान करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के सामने खड़े विभिन्न मुद्दों तथा चुनौतियॉ, न्यायिक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, देश में

न्यायिक शिक्षा के सामने खड़ी चुनौतियों की पहचान करना तथा अपने पुनः चर्चा कार्यक्रमों में न्यायिक शिक्षा में वृद्धि के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों के लिए एक रणनीति विकसित करना।

इस बैठक में देश के 16 विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा अधीनस्थ न्यायालयों के सामने खड़ी समस्त चुनौतियों की पहचान की गई। न्यायपालिका तथा गरीबों के बीच के संबंध में बदलाव की व्यापक चुनौती की पहचान की गई। न्यायिक शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, लक्ष्यों तथा प्रणाली संबंधी मुद्दों पर प्रस्तुति दी गई। भारत में न्यायिक शिक्षा के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों तथा अकादमियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा अवधारित न्यायिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण तथा विभिन्न राज्य न्यायिक अकादमियों के पुनः चर्चा कार्यक्रमों के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति चर्चा के लिए प्रस्तुत की गई। सभा ने न्यायालय उत्कृष्टता के दस सूत्रीय ढाचें से निकटता पर सहमति व्यक्त की। प्रतिभागियों ने तय किया कि निर्णयन के नए सिद्धांत के साथ परिणाम/प्रभााव आधारित न्यायिक शिक्षा की आवश्यकता है। हजारों की संख्या में न्यायाधीश यह निर्णय करें कि कानून क्या है इसके बदले वास्तव में सम्पूर्ण विरादरी के लिए यह जानने की आवश्यकता थी कि संस्थागत सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सटीक कानून क्या है। वस्तुगत गुणात्मक प्रदर्शन सूचक की आवश्यकता भी गिनाई गई।

पी–382: राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठक : राज्य न्यायिक अकादमियों के मुख्य पाठ्यक्रम (7–9 जनवरी, 2011)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य न्यायिक अकादमियों के वर्तमान प्रेरण कार्यक्रमों की समीक्षा तथा समालोचना करने के पश्चात् राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रेरण कार्यक्रमों के मुख्य पाठ्यक्रम के लिए एक ढांचा तैयार करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रेरण कार्यक्रमों के लक्ष्य तथा उद्देश्य की पहचान करना तथा इस शिक्षा को प्रभावकारी और व्यस्थित बनाने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों की भूमिका की पहचान करना जिसके फलस्वरूप न्याय की उत्कृष्टता में वृद्धि के लिए पद्धतियॉ विकसित हों।

बैठक की शुरूआत राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रेरण कार्यक्रमों के मुख्य पाठ्यक्रम के अर्थ और उद्देश्य की व्यापक दृष्टि पर पुनः विचार करने के साथ हुई तथा मुख्य पाठ्यक्रम किससे गठित होता है इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। विभिन्न राज्य न्यायिक अकादमियों के वर्तमान पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विकसित किए गए प्रेरण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम का अवधारित ढांचा प्रस्तुत किया गया।

राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रेरण कार्यक्रमों के लिए एक मुख्य पाठ्यक्रम तैयार किया गया जहॉ पर यह

निश्चित किया गया कि प्रेरण कार्यक्रम के तीन व्यापक चरणों में मुख्य पाठ्यक्रम को पूरा किया जाएगा। (1) किसी व्यक्ति को सूचित करना तथा उसे संविधानवादी में परिवर्तित करना। (2) किसी व्यक्ति में एक लोक सेवक का सृजन कराना। (3) किसी व्यक्ति में एक समाज सुधारक का सृजन करना।

राष्ट्रीय मुख्य पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यपद्धति तथा संसाधन की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय मुख्य पाठ्यक्रम में एक प्रस्तावित समय सीमा भी जोड़ी गई। सत्र में यह निष्कर्ष निकाला गया की अकादमियों को मूल्य आधारित शिक्षा लागू करके न्यायिक प्रणाली में बदलावों को उत्प्रेरित करना है।

पी–396: राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठक : अनुसंधान कार्यक्रम (18 – 20 फरवरी, 2011)

राज्य न्यायिक अकादमियों की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक आम राष्ट्रीय अनुसधान एजेंडा की पहचान करना था, जो कि ऐसी उपयोगी जानकारी उत्पन्न करेगा जो न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। इस बैठक का उद्देश्य चल रहे अनुसंधान कार्यक्रमों पर अपने अनुभव बॉटना तथा इसके साथ अन्य देशों में न्याय प्रणालियों में लिए किये गए अनुसधांन के क्षेत्र में विकास का जायजा लेना।

उपरोक्त के अलावा अनुभवजन्य कानूनी अनुसंधान पर एक प्रस्तुति दी गई। राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिभागियों के बीच न्यायिक प्रणाली के सामने खड़ी हुई चुनौतियों तथा वित्त आयोग की निधियों का उपयोग करते हुए राज्य न्यायिक अकादमियों के अनुसंधान की भूमिका पर खुली चर्चा की गई।

पी–407: राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठक : न्यायिक शिक्षा का विकास : मुद्दे तथा चुनौतियॉ (1–3 अप्रैल, 2011)

वर्ष 2010–2011 के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों की अंतिम राष्ट्रीय बैठक होने के कारण इस बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी तथा राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा प्रेरण शिक्षा, सतत न्यायिक शिक्षा तथा अनुसंधान/ नीति निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का जायजा लेना था। बैठक में न्यायिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट उपायों पर चर्चा तथा सहमति प्रकट की गई। प्रारंभ में न्यायिक प्रणाली के सामने खड़ी चुनौतियों तथा न्यायालयों और गरीब तबके के लोगों के बीच के संबंध को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा की

गई। इसके बाद वर्तमान वर्ष की गतिविधियों तथा न्यायालय के सामने खड़ी हुई मुख्य चुनौतियॉ तथा मुद्दे जिनमें राज्य न्यायिक अकादमियों के सामने खड़ी चुनौतियॉ शामिल हैं पर संक्षिप्त तौर पर दुबारा नजर डाली गई। 13 वें वित्त आयेग की नई रिपोर्ट तथा राज्य न्यायिक अकादमियों और न्यायिक शिक्षा के लिए निधियों के आंवटन पर चर्चा की गई। न्यायिक शिक्षा के लिए आम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। अन्य पहलू जिन्हें चर्चा में शामिल किया गया, वे थे न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता में वृद्धि की आवश्यकता की पहचान करना, तथा यह कि राज्य न्यायिक अकादमियों को भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए तथा न्यायिक शिक्षा के विकास में वृद्धि करने के लिए सहायता देनी चाहिए।

प्रस्तावित नया दृष्टिकोण– न्यायालय उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (सी.ई.ई.पी.) प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विकास की योजनाओं पर गहन चर्चा की गई। सभा ने न्यायालय व्यक्त की। प्रतिभागियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अकादमियों के पास न्यायालयों को समझने की स्पष्टता पर सही दृष्टि होनी चाहिए, न्यायपालिका तथा न्यायिक शिक्षा पर सही दृष्टि तथा यह समझना कि न्यायपालिका की पारंपरिक भूमिका में बदलाव होना चाहिए । अतः अकादमियों में गैर न्यायिक प्रमुख की आवश्यकता क्योंकि न्यायपालिका स्वतः ही आत्म आलोचक नहीं हो सकती। इन अकादमियों में विधि की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए परन्तु न्याय के साधन के रूप में समझा जाना चाहिए। सत्र का समापन इस आम राय के साथ हुआ कि अकादमियों को न्यायिक प्रशासन में परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए।

तीसरा लक्ष्य – न्याय प्रणाली के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करना।

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लक्षित तीन संगोष्ठियों के समूह तथा उच्च न्यायालयों पर लक्षित एक संगोष्ठि के साथ इस कार्यक्रम प्रकार का उद्देश्य ''गरीबी ओर अज्ञानता तथा रोग ओर अवसर की असमानता को खत्म करने के लिए'' न्यायालयों की भूमिका पर ज्ञान तथा अनुभवों को बॉटना सुगम बनाना था। कार्यक्रमों के इन समूहों का उद्देश्य इस संबंध में एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि का विकास करना, तथा न्यायालयों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों को शामिल करते हुए– न्यायाधीशों के द्वारा जो विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं उनकी पहचान करना था।

इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है तथा उनका विवरण उसके नीचे दिया गया है :

अ) प्रमुख क्षेत्रों में विधि के विकास पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि।

ब) देश के सामने खड़ी मुख्य सामाजिक चुनौतियों का मुकाबला करने में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि।

स) न्यायनिर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम।

द) उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन।

3 ए) प्रमुख क्षेत्रों में विधि के विकास पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि।

इस शीर्षक के अंतर्गत तैयार किया गया पॉच कार्यक्रमों का समूह देश के अधीनस्थ न्यायालयों से न्यायाधीशों को विधिक विकास के नए क्षेत्रों तथा न्यायिक प्रणाली के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए साथ लायां। पॉच महीनों की अवधि के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित थे जैसे कि विधि, निर्धनता तथा सामाजिक न्याय; न्याय निर्णयन में वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका; भारत के संविधान के अतंर्गत मानव अधिकार ; वाणिज्यिक ओर आर्थिक कानून के हाल के घटनाक्रम तथा समय पर न्याय को बढ़ावा देना।

पी–339: विधि, निर्धनता तथा सामाजिक न्याय पर अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि (6–8 अगस्त, 2010)

गरीबी तथा सामाजिक न्याय पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का योगदान बेहतर पहचाना जाता है – इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों की क्या भूमिका है? उनका क्या योगदान रहा है? उनके योगदान को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ''गरीबी तथा अज्ञानता और रोग तथा अवसर की असमानता को खत्म करने'' में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर ज्ञान तथा अनुभव बॉटना; इस संबंध में एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि निर्मित करना; तथा न्यायाधीशों द्वारा उठाए जा सकने वाले विशेष कदमों की पहचान करना– विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कार्य द्वारा को शामिल करके– न्यायालयों की भूमिका को सुदृढ़ बनाना इस संगोष्ठि का मुख्य उद्देश्य था।

अगस्त माह में आयोजित की गई संगोष्ठि, जिसमें पूरे देश से लगभग 30 न्यायाधीशों ने भाग लिया में गरीबी तथा सामाजिक बहिस्कार की चुनौती से मुकाबला करने में न्यायालयों की भूमिका पर चर्चा की गई।

प्रतिभागियों के समक्ष सामाजिक न्याय विषय के विभिन्न पहलू प्रस्तुत किए गए; प्रतिभागी न्यायाधीशों के साथ विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों से संपुटित प्रतिरूपण अभ्यास ने सत्र को अधिक गहन बना दिया।

पी–344: न्याय निर्णयन में वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि, (20–22 अगस्त, 2010)

भारतीय न्यायालयों के सामने खड़ी विलम्ब और बकायों की चुनौती का सामना करने तथा देश के लोगों को विवाद निपटान के सस्ते ओर सुलभ साधन प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालयों ने ए.डी.आर. की एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचान की है यद्यपि ए.डी.आर. अभी तक पूरे देश में महत्वपूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ा हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने मध्यस्थता, लोक अदालत तथा अभिवाक चर्चा के उपयोग में हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस कार्यक्रम के दौरान जिन प्रश्नों को खोजा गया वे हैं– 1). इस संबंध में पूरे देश के न्यायालयों के अनुभव के सबकों से क्या सीखा जा सकता है ? 2). न्याय प्रशासन में ए.डी.आर. किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है ?

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 लागू करने तथा इससे संबंधित न्याय के मुद्दों पर प्रस्तुति दी गई। उच्च न्यायालय के नामित न्यायाधीशों ने प्रतिभागियों से अपने सबसे अच्छे अभ्यास अनुभव बॉटे। उन्होंने विशिष्ट प्रकार के विवादों के संबध में ए.डी.आर. के उपयोग पर भी चर्चा की जैसेः आर्थिक, वाणिज्यिक, भूमि तथा वैवाहिक मुद्दे ।ए.डी.आर. : अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मुख्य मुद्दे तथा चुनौतियॉ, चर्च्रा का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। राष्ट्रीय योजनाओं तथा पहल पर भी चर्चा की गई। उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों के अनुभवों ने इस बात पर जोर दिया की ए.डी.आर. लबंन तथा बिलम्ब में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। संगोष्ठी का समापन इस समझ के साथ किया गया की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 का अवलम्ब लेकर ए.डी.आर. का एक प्रभावशाली प्रणाली के रूप में उपयोग किया जा सकता है लेकिन ए.डी.आर. के उपयुक्त साधन के चुनाव में न्यायाालयों द्वारा उचित सावधानी बरती जानी चाहिए तथा सक्षम व्यक्तियों को मध्यस्थ/समझौताकार/पंच की तरह कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रचना की जानी चाहिए।

पी–353: भारत के संविधान के अंतर्गत मानव अधिकारों पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी, (17–19 सितम्बर, 2010)

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक मानक के रूप में अधिकार संरक्षण सूचकांक पर अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों तथा लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए संवेदनशील बनाना था। प्रतिभागियों के लिए मानव अधिकार तथा भारत के संविधान का मुद्दा गिनाया

गया। आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत मानव अधिकार पर चर्चा की गई तथा इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियॉं और इन चुनौतियों का हल निकालने के लिए किस प्रकार से रणनीतिक हस्तक्षेप किया जाए समझाया गया। आंतकवाद तथा विशेष कानूनों के मुद्दों पर प्रस्तुति दी गई। प्रतिभागी न्यायाधीशें को पर्यावरण और आजीविका के अधिकार से परिचित कराया गया । समाज में दलितों तथा हाशिए में रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों को लागू करने में न्यायालयों की भूमिका पर जोर दिया गया।

पी–373: समयबद्ध न्याय को बढ़ावा देने पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि, (3–5 सितम्बर, 2010)

इस सम्मेलन का उद्देश्य सारे देश से आए हुए न्यायधीशें को जिला स्तर पर न्याय प्रणाली के सामने खड़ी आम राष्ट्रीय चुनौतियों पर अपना ज्ञान तथा अनुभव बॅाटने के लिए एक फोरम प्रदान करना तथा समयबद्ध न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायालयों के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना था।

संगोष्ठी के तीन दिनों के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा तैयार किया गया ''न्यायालय उत्कृष्टता का राष्ट्रीय ढांचा'' (एन.एफ.सी.ई.) प्रारूप चर्चा का मुख्य विषय था। यह कहा गया कि समय पर तथा उत्तरदायी न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावशील न्यायालय प्रबंधन तथा प्रकरण भार और प्रकरण प्रबंधन मुख्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समयबद्ध न्याय को बढ़ावा देना तथा इन प्रस्तावों और विचारों को लागू करने के लिए प्रत्येक न्यायालय द्वारा उठाए जा सकने वाले विशेष कदमों की पहचान करना था। पूरे देश से छब्बीस न्यायधीशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों के आसपास संरचित थाः (1). समस्या को परिभाषित करना; (2). समाधान विकसित करनाः न्याय की उत्कृष्टता का राष्ट्रीय ढांचा; (3). प्रत्येक न्यायालय के स्तर पर एन.एफ.सी.ई. लागू करना।

चर्चा में इस बात पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विकसित न्यायालय प्रबंधन, प्रकरण प्रबधन तथा प्रकरण भार के प्रबंधन का दृष्टिकोण उसकी समय पर न्याय दिलाने की योजना तथा प्रबंधन का हिस्सा था।

पी–376: वाणिज्यिक तथा आर्थिक विधि में हाल के घटनाक्रमों पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि; (10–12 दिसम्बर, 2010)

भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के कारण वाणिज्यिक तथा आर्थिक विधि और इनसे

संबद्ध विवादों में बड़े पैमाने में विस्तार हुआ हैं। इन विवादों के साथ प्रभावी तथा शीघ्रता से निपटने की अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता इस देश की एक प्रमुख नीतिगत चिंता हैं। ऐसे विवादों के कई वर्गो का रूख अधिकरणों की तरफ हो गया है तथा इसके फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालयों की सिविल अधिकारिता का संकुचन हो गया है। अधीकरणीकरण अत्यंत ही समस्यात्मक रहा है तथा समयबद्धता या क्षमता के रूप में पर्याप्त लाभों के बिना न्याय निर्णयन के पारंपरिक रक्षोपायों से मुकदमेबाजों को वंचित किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ न्यायालयों की उन क्षेत्रों के आर्थिक तथा वाणिज्यिक मामलों से निपटने की क्षमता जहॉ पर अभी भी उनकी अधिकारिता कायम है में वृद्धि होनी चाहिए जिससे नागरिक अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकेंगें।

इस संगोष्ठी में ऐसे नए घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियॉ तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक विधि में ऐसे घटनाक्रमों के उचित मूल्याकंन पर ध्यान केंद्रित किया गया। आर्थिक तथा वाणिज्यिक विवादों में शामिल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग न्याय पाने में ठोस बाधाओं का सामना करते है तथा यह न्यायपालिका के लिए प्रमुख चिन्ता का विषय है। वैकल्पिक विवाद समाधान, वाणिज्यिक अनुबंध मुकदमें, वित्तीय मुकदमें, जिनमें शामिल है धन विषयक वाद/पराक्रम्य लिखत/ऋण वसूली तथा दिवालियापन, आर्थिक तथा वाणिज्यिक लेन देने मे सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों का सरंक्षण जिसमें समाविष्ट है भूमि अधिग्रहण, विस्थापन तथा पुनर्वास एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रवर्तन जैसे विषयों पर प्रतिभागियों द्वारा सकारात्मक रूप से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की गई। इस संगोष्ठि ने ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति अपनाने के लिए एक फोरम प्रदान किया तथा इस प्रकार से आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों के न्याय निर्णयन में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका को सुदृढ़ बनाया।

3 बी) देश के सामने खड़ी प्रमुख सामाजिक चुनौतियों से मुकाबला करने में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि

ये कार्यक्रम देश के सामने खड़ी हुई प्रमुख सामाजिक चुनौतियों के लिए न्यायालयों की जवाबदेही की गुणवत्ता का विश्लेषण करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए उद्देशित थे। वे प्रमुख सामाजिक चुनौतियॉ जिन्हें इन पॉचों कार्यक्रमों में शामिल किया गया है वे है समानता और सामाजिक न्याय; शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार का निवारण; नागरिक अधिकारों का संरक्षण ; गरीबी, सामाजिक बहिष्कार तथा आर्थिक विकास में वृद्धि। इस कार्यक्रम प्रकार का मुख्य प्रभाव न्यायपालिका तथा सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन कर रहे जन कार्यकर्ताओं के लिए मिलन बिंदु की तरह कार्य करना तथा इन दोनों समूहों के सामने खड़ी चुनौतियों तथा समस्याओं पर बहुमूल्य अंतदृष्टि प्रदान करना था।

पी–340: समानता तथा सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक लक्ष्यों को हासिल करने पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि : न्यायालयों का योगदान, (6–8 अगस्त,2010)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायापालिका के संवैधानिक लक्ष्यों के तौर पर समानता तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर न्यायाधीशों की सहनशीलता में वृद्धि करना तथा विस्तार से यह आकलन करना कि पिछले तीन दशकों में भारत के अधीनस्थ न्यायालयों ने उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को किस हद तक पूरा किया; तथा ऐसे विशिष्ट कार्यो का विकास करना जोकि ऐसे न्यायालयों द्वारा अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए विचार में लाए जा सकते है उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिसकी उच्चतम न्यायालय ने उनके लिए पहचान की है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा ऐसा करने में देश के सामने खड़ी सामाजिक बदलाव की सबसे प्रमुख चुनौतियॉ तथा इन क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियॉ तथा उत्तरदायित्वों पर न्यायाधीशों के लिए विपुलता से प्रकाश डाला गया। गरीबी का मुकाबला करने तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को हासिल करने में न्यायालयों की भूमिका पर प्रस्तुति दी गई। विधि, गरीबी एवं सामाजिक न्याय तथा न्यायलयों की भूमिका को समझना जैसे मुद्दों पर संवादात्मक सत्र में उन पक्षपातों पर प्रकाश डाला जो निर्णयों को प्रभावित कर सकते है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनयम को लागू करने मे आने वाली बाधाऍ तथा हाथ से मैला उठाने की परम्परा का उन्मूलन करने में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता की समीक्षा की गई। प्रतिभागी न्यायाधीशों के साथ प्रतिरूपण अभ्यासों के द्वारा विधिक सहायता तथा सजा के संबंध में दांडिक विधि तथा गरीबों के विभिन्न पहलू बाहर निकल कर आए।

पी–347 : शासन में परदर्शिता तथा जबाबदेही और भ्रष्टाचार निवारण के सशक्तिकरण पर अधिनस्थ न्यायालय के न्यायधीशों हेतु राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठि अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका (3–5 सितम्बर, 2010)

इस संगोष्ठि का मुख्य उद्देश्य वर्तमान बाध्याताओं के अंतर्गत, राज्य की पारदर्शिता व जबाबदेही बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार घटाने में न्यायालयों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के अनुभव बांटना तथा उपायों पर विचार विमर्श करना था।

सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई. अधिनियम) के सूक्ष्म विवेचन के दृष्टिगत शासन में पारदर्शिता व जबाबदेही कि प्राप्ति पर विचार विमर्श किया गया। पारदर्शिता, जबाबदेही तथा उपभोक्ता मैत्री के विषयों पर एक वृहद चर्चा द्वारा आधुनिक न्यायालय के मूल लक्ष्यों पर बल दिया गया, प्रसगिक सूचना को चित्रित करती हुई एक प्रतिरूपण जिसे वादियों के लाभ हेतु प्रकाशित किया जा सकता है। प्रतिभागियों द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरणों के न्याय निर्णयन में सामने आने वाली चुनौतियों के अनुभव बांटे गए और प्रस्तुतियॉ दी गई, साथ ही इस संबंध में परामर्श भी प्रस्तुत किए गए। कार्यपालिक एजेन्सियों, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरणों के न्याय निर्णयन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि जबाबदेही की बढ़ती हुई आवश्यकता एवं भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरणों के अन्वेषण के विषय पर प्रस्तुति दी गई।

पी–390: नागरिक अधिकारों की सुरक्षा : अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक गोष्ठी (4–6 फरवरी,2011)

अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य एक संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों के विचार की प्रांसगिकता तथा इसके आधारभूत सिद्धात का समावेशन करना था। आतंक विरोधी विधियों की उत्पत्ती और प्रकृति की व्याख्या के साथ–साथ पच्चीस प्रतिभागियों को देश के विभिन्न भागों में घुसपैठ के खतरे के प्रति सचेत किया गया। न्यायालयों के दिन–प्रतिदिन अपराधिक न्याय प्रशासन में न्यायिक अधिकारों के विषय के साथ तारतम्य में बनाने के उद्देश्य से न्यायधीशों के साथ किया गया प्रतिरूपण अभ्यास सुग्रहित किया गया।

पी–395 : निर्धनता एवम सामाजिक बहिस्कार तथा समाज कल्याण कार्यक्रमों : अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर राष्ट्रीय न्यायिक (18–20 फरवरी, 2011)

गोष्ठी का लक्ष्य निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन लघुकरण कार्यक्रमों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका का पुनिरीक्षण और मूल्यांकन करने हेतु संपूर्ण देश से सर्वोत्तम प्रथा तथा अनुभवों को बांटना और सामाजिक न्याय की खोज में न्यायालय की भूमिका को सशक्त करने हेतु प्रभावी रणनीति विकसित करना था। गोष्ठी न्यायालय द्वारा सामाजिक परिवर्तन प्राप्ति के मूल विषय पर केन्द्रित थी, इसके साथ ही सामाजिक अपवर्जन, अपराधिक न्यायतंत्र के साथ निर्धन लोगों के अनुभव सामाजिक अनुक्रमम के विषय तथा अधिकार हीन समूहों के अनुभवों पर भी चर्चा की गई सामाजिक परिवर्तन में न्यायालयों की सृजनात्मक भूमिका के संबंध में न्यायिक अंतरदृष्टी प्रदान की गई।

पी–398 : आर्थिक विकास बढ़ाने में : न्यायालयों की भूमिका पर अधिनस्थ न्यायलय के न्यायाधीशों हेतु राष्ट्रीय न्यायिक गोष्ठी (4–6 मार्च, 2011)

इस गोष्ठी का उद्देश्य आर्थिक विकास में न्यायालयों की भूमिका को विश्लेषित करना, आधारभूत विषयों और चुनौतियों की पहचान करना तथा संविधान में दर्शित आर्थिक विकास में न्यायालयों की भूमिका को सशक्त करने हेतु रणनीतियॉ सुनिश्चित करना था।

आधारभूत चुनौतियों की पहचान के उपरांत समूहों ने अपनी चर्चाओं में आर्थिक मामलों के न्याय व वाणिज्यिक विवादों के न्याय निर्णयन में वर्तमान मुद्दों और उभरती चुनौतियों के परिपेक्ष में भूमिका पर प्रतिवेदन दिया गया। यहॉ, आर्थिक जगत में उपभोक्ताओं तथा समाज के दीवानी न्यायालयों की सीमांत वर्ग के श्रमिक अधिकारों पर केन्द्रित दोनो पहलुओं से चित्रांकन करने का प्रयास करना था।

आर्थिक तथा वाणिज्यिक मामलों में वैकल्पिक विवाद समाधान धारा 89 का लागू किया जाना तथा हाल के घटना क्रम/ विकास क्रम पुरीक्षित किये गये। संविदा, न्यास, साम्य एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिननियम तथा वाणिज्यिक विधि (उधार क्रय/बंधक/गिरवी/ प्रत्याभूति/उपनिधान) में विकास पर चर्चाए हुई। इसके अलावा बौद्धिक संपत्ति अधिकार, वित्तीय विधि (धनीय वाद/परक्राम्य लिखित/ऋण वसूली/दीवाला/उधार व बैंक प्रतिभूति बिल) में विकास पर भी विचार विमर्श हुआ। अंतिम सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने आर्थिक मामले निपटाने तथा कुछ दक्षताएँ जो ऐसे मामले निपटाते समय विचार में ली जा सकती है, के अपने अनुभव बॉटे।

3.सी) न्याय निर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम

न्याय निर्णयन कार्यक्रम विशेष क्षेत्रों में न्यायनिर्णयन में विभिन्न जानकारियों कौशल आवश्यकताओं को आच्छादित करते हुए, निर्णय प्रबंधन की गुणवत्ता को सशक्त करने हेतु लक्षित है।

कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक मुख्य प्रकार के न्यायनिर्णयन को सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक न्यायालय वे प्रकरण प्रबंधन विधियां, मौलिक व प्रक्रियात्मक विधि, न्यायिक व निर्णयन कौशल तथा गुणवत्ता मूल्याकंन व समबंद्धता जैसे पहलू समावेशित थे।

कार्यक्रमों की इस श्रंखला में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गण सम्मलित हुए। हत्या; बालको; क्षेम, सुरक्षा व लोकशांति, जटिल आर्थिक प्रकरण, एम.ए.सी.टी. मामले, सामूहिक अपराध व अपकृत्य, पारिवारिक विवाद, महिलाओं पर अत्याचार, दुर्व्यापार व लैंगिक अपराध, सामाजिक सुधार, संवैधानिक अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संबंधी

प्रकरण, दीवानी विवाद, उपभोक्ता विवाद, रिट याचिकाएँ, श्रमिक व औद्योगिक विवाद, तथा पर्यावरणीय विवाद जैसे मामलों हेतु न्याय निर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम (ए.एम.पी.) संचालित किए गए। औसतन 25–30 न्यायाधीश प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में, बहुसंख्यक प्रतिभागियों द्वारा यह महसूस किया गया कि चार दिवसीय न्याय निर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम(ए.एम.पी.) में उनके समक्ष नियमित तौर पर उपस्थित होने वाले मामलों के न्यायनिर्णयन में समाहित जटिलताओं के प्रति उनकी समझ को सरल बनाया है।

पी–336: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : किशोर न्याय संबंधी मामलों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (30 जुलाई 2 अगस्त, 2010)

किशोर न्याय संबंधी मामलों में सर्वोत्तम न्यायनिर्णयन प्रबंधन पर चार दिवसीय कार्यशाला संचाालित की गई। किशोर न्यायतंत्र की दो विशेष शाखाओं, अर्थात, ऐसे बालक जिन्हें सुरक्षा व देखरेख की आवश्यकता है तथा विधि विरूद्ध कार्यों में संघर्षरत किशोंरों पर कार्यशाला के दौरान पृथक–पृथक विवेचन किया गया। विधि विरूद्ध कार्यों में सलग्न बालकों के पुनर्वास के विषय में प्रतिभागियों के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। बाल पीड़ितों को साक्ष्य अभिलेखन तथा इस विषय पर नवीनतम निर्णयों को संदर्भित करते हुए विस्तृत रूप से विकसित की गई है।

पी–342: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : घरेलू हिंसा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (13–17 अगस्त, 2010)

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा वालें मामलों के न्यायिक प्रबंधन की गुणवत्ता की विभिन्न जानकारियों तथा कौशल आवश्यकताओं को आच्छादित करते हुए, सशक्त करना था। यह कार्यक्रम घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (पी.डब्ल्यू.डी.वी.ए.) तथा घरेलू हिंसा से संबंधित अन्य विधियों के प्रारम्भिक अनुभवों व उच्चतम व उच्च न्यायालयों द्वारा विधि के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख निर्णयों पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक न्यायालय व प्रकरण प्रबंधन विधियॉं, मौलिक व प्रक्रियात्मक विधि, न्यायनिर्णय करने संबंधी कौशल तथा गुणवत्ता व समयबद्धता के मूल्याकंन, जैसे पहलू समावेशित थे। महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन में आधारभूत विषयों तथा चुनौतियों की पहचान एवं उन पर चर्चा से यह निष्कर्षित हुआ की ऐसे मामलों के अन्वेषण, अभियोजन तथा

विचारण का संचालन करते समय सभी प्रमुख भागीदार आवश्यक संवेदना प्रकट नहीं करते है।

पॉच दिवसीय विभिन्न सत्रों के दौरान – घरेलू हिंसा के दौरान महिलाओं के सुरक्षा अधिकार व न्याय तक पहुॅच सुनिश्चित करना; पी.डब्ल्यू.डी.वी.ए. में अंर्तनिहित संवैधानिक व मानवधिकार आदर्शों, पी.डब्ल्यू.डी.वी.ए. के अंतर्गत मामलों में तथ्य व विधि का विवेचन के साथ मुख्य विधिकव प्रक्रियात्मक प्रश्न, न्यायनिर्णयन व आदेश पारित करने की रीति, घरेलू हिंसा हेतु उपचार, घरेलू हिंसा वाले प्रकरणों में न्यायनिर्णयन, की प्रभावकारिता व गुणवत्ता पी.डब्ल्यू.डी.वी.ए. मामलों के अन्वेषण व प्रतिवेदन हेतु उपबंधों का निर्वचन घरेलू हिंसा के सामाजिक विधिक पहलू तथा लैंगिक सृजन, ''सर्वोत्तम रीतियों/प्रथाओं'' की पहचान व प्रश्नों पर समीक्षा – अभिकरणों के अनुश्रवण व मूल्याकंन पूरा सहयोग तथा घरेलू हिंसा वालें मामलों के वादोत्तर पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों की भूमिका व उत्तरदायित्व के संदर्भ में संवेदनशीलता का मूल्य वर्धन किया गया। समाज सेवा की दृष्टि से एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में विकसित होने का सैद्धांतिक आधार कार्यक्रम के द्वारा चिन्हाकिंत किया गया था, की विवेचना की गई।

पी–356: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : पारिवारिक विवादों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (1–4 अक्टूबर, 2010)

कार्यक्रम का उद्देश्य पारिवारिक विवाद संबंधी मामलों के न्यायिक प्रबंधन की गुणवत्ता को विभिन्न जानकारियों वे कौशल आवश्यकताओं की व्याख्या करते हुए सशक्त बनाया गया। यह कार्यक्रम कुटुंब न्यायालयों में न्यायनिर्णयन तथा ऐसे न्यायनिर्णयन द्वारा सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में भूमिका के राष्ट्रीय अनुभव पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक विवादों की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक न्यायालय एवं प्रकरण प्रबंधन विधियॉ, मौलिक व प्रक्रियात्मक विधि, न्याय व निर्णयन कौशल तथा गुणवत्ता व समसबद्धता संबंधी विभिन्न पहलू समावेशित थे।

चार दिवसीय विभिन्न सत्रों द्वारा पारिवारिक विवादों के न्याय निर्णयन में आधारभूत प्रश्न व समस्याए, कुटुंब न्यायालयों में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया जिसके द्वारा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में इन न्यायालयों की भूमिका की पहचान व राष्ट्रीयकरण भी हुआ तथा कुटुंब न्यायालयों द्वारा अनुसरित वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों की पहचान व चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न कार्यकलापों व प्रयोगो की सहायता से एक व्यापक विश्लेषण भी किया गया। पारिवारिक विवादों के लैंगिक परिप्रेक्ष्य पर एक प्रस्तुति भी दी गई। कुटुंब न्यायालयों के न्यायालयीन व प्रकरण प्रंबधन से संवैधानिक मूल्यों से समझौते किए बिना प्रभावी समाधान व उपायों पर पुनर्विलोक किया गया। इस कार्यक्रम द्वारा पारिवारिक विवादों में कार्यवाही के दौरान न्यायधीशों की भूमिका व उत्तरदायित्व के संदर्भ में मूल्य वर्धन किया गया। प्रतिभागियों ने

पारिवारिक विवादों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में न्यायालयों की महत्वपूर्ण जबावदेही तथा प्रभावी प्रंबधन के विषय को स्वीकरा, जोकि परिवार में महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता व गरिमा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस बात पर सम्मति थी कि समयानुसार मामलों को व्यवस्थित करनें में लंबित मामलों का विश्लेषण, उनके महत्व के क्रम में सुनवाई हेतु उनकी प्राथमिकता, लक्ष्य निर्धारण व उनकी प्राप्ति के प्रयास, सहायक हो सकते हैं। प्रतिभागियों ने विचार व्यक्त किया की इस कार्यक्रम ने उन्हें पारिवारिक विवादों की समस्या को सामाजिक, आर्थिक तथा संवैधानिक दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया, साथ ही उन्हें महिला अधिकारों की रक्षा में उपयुक्त न्यायिक विधियों व प्रबंधन तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा उनकी भूमिका तथा संवैधानिक आदर्शों को प्रोत्साहित करते हुए पारिवारिक विवादों के समाधान में उनकी भूमिका समझाने में मदद की।

पी–358: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (8–11 अक्टूबर, 2010)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार संबंधी मामलों के न्यायिक प्रबंधन की गुणवत्ता को विभिन्न जानकारियों व कौशल आवश्यकताओं की व्याख्या करते हुए सशक्त बनाना था। महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि संबंधित न्यायालय व प्रकरण प्रबंधन रीतियॉं, मौलिक व प्रक्रियात्मक विधि, न्याय व निर्णयन कौशल तथा गुणवत्ता व समयबद्धता संबंधी पहलू इस कार्यक्रम में समाविष्ट थे। संकेद्रण मुख्य रूप से क्रूरता, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी अपराधों, कन्या भ्रूण हत्या व शिशु हत्या पर था। प्रतिभागी न्यायाधीशों ने महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों संबंधी मामलों के न्यायनिर्णयन में आधारभूत प्रश्नों व चुनौतियों की पहचान तथा उन पर चर्चा की। इनके अनुसार, ऐसे मामलों के अन्वेषण, अभियोजन तथा विचारण का संचालन करते समय सभी मुख्य भागीदार आवश्यक संवेदनशीलता प्रकट नहीं करते हैं। धारा 498–ए भा.द.सं. के अंतर्गत, क्रूरता संबधी आधारभूत विधिक व प्रक्रियात्मक प्रश्न तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पी.डब्लू.डी.वी.ए.) के अंतर्गत मामलों, तथ्य व विधि के विवेचन सहित घरेलू हिसा विधि पर विचार विमर्श हुआ। दहेज लेना जो कि मुख्य रूप से 304–बी भा.द.सं. के अंतर्गत एक अपराध है, पर व्यापक चर्चा हुई। कन्या भ्रूण व शिशु हत्या संबंधी मामलों की सूचना (रिर्पोटिंग) व अन्वेषण भी विवेचित किए गए। इस कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों संबंधी मामलों में हत्या संबंधी मामलों में कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों की भूमिका व उत्तरदायित्व के संदर्भ में संवेदनशीलता का मूल्यवर्धन किया गया। कार्यशाला भा.द.सं. की धारा–498–ए व 304–बी तथा घरेरू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण किया जाना चाहिए।

पी–363: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : बड़ी मात्रा में मुकदमों में न्यायनिर्णयन – एम.ए.सी.टी. मामले व पराक्रम्य लिखत अधि. की धारा 138 के अंतर्गत मामलों पर रा.न्या.कार्यशाला(22–25 अक्टूबर,2010)

इस न्यायनिर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य दो प्रकार के वादों की उत्पत्ति का विश्लेषण करना था। उदाहरण स्वरूप – एन.आई.ए. की धारा 138 के अधीन मामलों में बैंकों द्वारा किए गए कमजोर (ऋणनिर्णय) ; संबंधित संस्थाओं की नीतिगत प्रतिक्रिया; न्याय के समंध में इस मामलों के आने की रीति; इनके अन्वेषण, अभियोजन व प्रतिरक्षा की रीति (पुलिस, बार आदि की भूमिका) ; इन मामलों के न्यायनिर्णयन में उद्भूत प्रश्न तथा वह रीति जिससे वे समबद्ध तरीके से प्रभावीरूप से निपटाए जा सकें। सर्वोत्तम व्यवहारिक अनुभव बॉटे गए तथा वर्तमान कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु अवसरों को चिन्हित किया गया। यह बात विशेष रूप से उठाई गई कि देश के अधिकाशं उच्च न्यायालयों द्वारा इस प्रकार में वृहदमात्रा में वादों '' निपटने हेतु– ऐसे मामलों को समिति नवीन न्यायालयों के सृजन, प्रकणन प्रबंधन व प्रकरण भार के नए सिद्धांतों का विकास, मामलों का समूहीकरण, न्यायधीशों व अधिवक्ताओं का विशिष्ट प्रशिक्षण , आई.टी. व अन्य साधनों के प्रयोग जैसे प्रर्वतनकारी साधन आंरभ किए गए है। प्रतिभागियों ने उपर्युक्त दो प्रकार के वादों के निपटारे में विभिन्न अवरोधों पर भी चर्चा की। ''सड़क हादसे ; बीमा कवरेज'' विषय पर बीमा कंपनी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रस्तुति दी गई तथा चर्चा की गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एम.ए.सी.टी. प्रकरणों के त्वरित निपटारे में अवरोधों से छुटकारा पाने हेतु उठाए गए कदमों व अनुभवों को प्रतिभागियों के साथ बॉटा गया। यह दर्शित किया गया कि कैसे न्यायाधीशों की अग्रसक्रियता द्वारा पुलिस से दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करवाया गया। आदेशिकाओं की तामील तथा उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी करने हेतु पुलिस की अतितीव्रता से संचाालित किया जा सकता है जिससे एम.ए.सी.टी प्रकरण शीघ्रता से निपटाया जा सकें।

एम.ए.सी.टी. प्रकरणों के निपटारें संबंधी विशिष्ट प्रश्नों पर चर्चा द्वारा न्यायोचित क्षतिपूर्ति, बीमाकर्ता की जबावदेही, सदांय व वसूली आदेश आदि के सिद्धांतों पर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इस विषय पर अनेकों निर्णयों को संदर्भित करते हुए, जोर दिया गया, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा – 138 के अंतर्गत मामलों के निर्णय हेतु प्रासंगिक संदर्भ में बंबई उच्च न्यायालय के अनुभव पर भी चर्चा की गई। अवरोधों की पहचान के उपरांत, बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए उपचारात्मक उपायों को भी प्रतिभागियों के साथ बॉटा गया। वृहदमात्रा में वादों के प्रभावी प्रबंधन के विषय पर विचार विमर्श किया गया तथा एम.ए.सी.टी. मामलों व प.लि.अ. की धारा–138 के अंतर्गत प्रकरणों के प्रबंधन की रणनीतियॉ भी विवेचित की गई।

पी–379: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : सत्र प्रकरणों व विशेष विधियों के अंतर्गत प्रकरणों के न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (17–20 दिसम्बर, 2010)

इस न्यायनिर्णयन प्रबंधन कार्यक्रम (ए.एम.पी.) का उद्देश्य यह विश्लेषित करना था कि कैसे सत्र प्रकरण व विशेष विधियों के तहत जटिल मामलें, भारतीय न्यायालयों द्वारा गुणवत्ता, कुशलता व समबद्धता के उच्चतम् मानकों को बनाए रखने हेतु न्यायनिर्णीत किए जा रहे हैं। विलंवित हो सकने वाले मामलों के न्यायनिर्णयन को समयानुसार प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के तरीके व साधन इस कार्यशाला में समान्वेषित किए गए। राज्यो में हुए सर्वोत्तम व्यवहारिक अनुभवों को बॉटा गया तथा आगे कार्यवाही हेतु विशिष्ट उपायों को चिन्हित किया गया।

ऋतु विचारण व विधिक सहायता के बहुत से पहलूओं को चर्चाओं के माध्यम से ध्यान में लाया गया। नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ साक्ष्य–विवेचन, अपराध शास्त्रीय विधियॉ तथा पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृतियों जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इन तीन दिनों में समाविष्ट थे। आंतकवाद तथा विद्रोही गतिविधियों के सामाजिक – राजनैतिक संदर्भ पर प्रस्तुति चर्चा के दौरान मानवधिकारों के पहलू को सामने लाई। संस्वीकृति के तत्व को स्पर्श करते हुए, निर्वाचित साक्ष्य की ग्राह्तया, निजता के अधिकार व लोकहित के मुद्दे तथा विद्रोही गतिविधियों के मुद्दों पर चर्चाओं में प्रकाश डाला गया। आंतकवाद व विद्रोही गतिविधियों वाले मामलों को निपटाते समय कार्यपालिका संस्थाओं की स्वेच्छाचारिता तथा न्यायधीश कैसे इस स्वेच्छाचारिता के क्षेत्र को सीमित कर सकते है; की व्याख्या प्रतिभागियों हेतु की गई। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर चर्चा करते समय, मुख्य केद्रविंदु इस अधिनियम के कमजोर कार्यान्वयन तथा इस अधिनियम के अधीन मामलों को निपटाते समय कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों को घटाया जा सकता है, जैसे मुद्दे थे। इसे अत्याचार अधिनियम को जोड़ते हुए, दलितों द्वारा उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर सामना किए जाने वाले अत्याचारों की प्रस्तुति दी गई। अत्याचार अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एक प्रस्तुति द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। अत्याचारों की कुछ घटनाऍ भी प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत की गई।

पी 381: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मामलों में न्यायनिर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (7– 10 जनवरी, 2011)

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण व लोकहित सुरक्षा में न्यायालयों की भूमिका, हरित न्यायधिकरणों की स्थापना तथा पर्यावरण संबंधी मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों की बदलती भूमिका पर विचार करना था। विभिन्न सत्रों के

दौरान चर्चित प्रमुख बिंदु थे, न्यायिक अधिकारियों के बीच पर्यावरणीय विधि के बारे में जागरूकता एक आवश्यकता है; दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय में देरी भी चिंता का एक कारण है और इसी लिए लोग ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष नहीं आ रहे है। मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं होता है; भोपाल गैस–त्रासदी के दो भीषण परिणाम थे– गैस रिसाव व पर्यावरणीय आपदा में न्यायिक आपदा की तरफ भी अग्रसर किया है; जल तथा वायु प्रदूषण – नियमित व नियंत्रित आर्थिक विकास की आवश्यकता तथा न्यायापालिका द्वारा निभाई भूमिका पर भी चर्चा हुई। जल प्रदूषण हेतु छत्तीसगढ़ के तथा शहरी वायु प्रदूषण हेतु नयी दिल्ली के अध्ययनित मामले (केस स्टडी) लिए गए। आदिवासी तथा सामुदाइक अधिकारों सुरक्षा, वन भूमियों, वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षा में न्यायालय की भूमिका पर भी मनन किया गया। इसके विपरीत भूमि अधिग्रहण, विस्थापन तथा पुनर्स्थापना के मामले में अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका से दर्शाई गई; भारत में उभरता हुआ पर्यावरणीय विधि शास्त्र ; पर्यावरणीय निर्णयन, लोक सुनवाई, खुलासा व जबावदेही तथा न्यायालयों की भूमिका पर्यावरण की रक्षा में विधिक सेवा प्रधिकारियों की भूमिका भी पुनर्विलोकित की गई। यह भी बताया गया कि हरित न्यायालयों की स्थापना के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय निम्नलिखित रूप से पर्यावरणीय मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते है लोक उपताप के मामले जिला न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं (प्रतिनिधि वाद के रूप में) ; पर्यावरणीय बैंचों के अंतर्गत अपराधियों का आपराधिक अभियोजन हमेशा ही अपराधों हेतु किया जा सकता है।

पी–384: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के न्याय निर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (14 – 17 जनवरी, 2011)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी मामले निपटाने वाले न्यायालयों में पीठासीन न्यायाधीशों को वर्तमान परिसीमाओं के अंतर्गत, ऐसे मामलों के समयबद्ध निपटारा तथा उनमें दोषी पाए गए व्यक्तियों हेतु प्रभावि जबावदेही का आश्वासन सुनिश्चित करने के ज्ञान व देश में अनुभव को बांटने हेतु मंच उपलब्ध कराना था। इसने इस संदर्भ में अग्रसक्रीय निर्णयन में सर्वोत्तम व्यवहारिक अनुभवों को बांटने के मौकों को भी उपलब्ध कराया। ''भ्रष्टाचार के सामाजिक व राजनैतिक संदर्भ को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाया गया कि कैसे सामाजिक मूलमंत्र भ्रष्टाचार के खतरे से समीपतः सहयुयक्त है। तंत्रात्मक परिवर्तन भ्रष्टाचार के अवसरों के कमी ला सकता है।

भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में अन्वेषणर की चुनौतियों के साथ ही ऐसे मामले के समयबद्ध न्याय निर्णयन में अभियोजन की चुनौतियो की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में, अभियोजन को उचित महत्व नहीं दिया जाता है; जो कि विलंबित तथा अनर्जित दोष मुक्ति में परिणित होता है। चार दिनों के दौरान, भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के न्यायनिर्णयन का संपूर्ण जीवन चक्र अन्वेषण की उत्पत्ति से लेकर अभियोजन, न्याय निर्णयन तथा

न्यायिक विवेचन पर विचार किया गया। चर्चा का केद्र बिन्दु मुख्य रूप से विधि तथा अभियोजन की तकनीकी बारीकियों में जाने की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के प्रयास पर था।

पी–391 : न्यायनिर्णयन प्रबंधन : दण्डाधिकारियों के न्यायालयों में मामलों को न्याय निर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला. (4–7 फरवरी, 2011)

इस चार दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य मजिस्ट्रेट न्यायालयों के प्रकरणों में अधिकारों की रक्षा में अधिनस्थ न्यायालयों की भूमिका पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में विचारण के विभिन्न स्तरों पर पक्षकारों के अधिकारों की सुरक्षा में दण्डाधिकारियों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की गई। इन दिनों में चर्चा द्वारा अन्वेषण व अभियोजन के दौरान अधिकारों की सुरक्षा पर केन्द्रित चर्चाऍं की गई। कार्यक्रम में विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों तथा आधारभूत प्रश्नों व चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

पी–399: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : अधिनस्थ न्यायालयों में वाणिज्यिक व आर्थिक मामलों के न्याय निर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (4–7 मार्च,2011)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक तथा आर्थिक मामलों के न्याय निर्णयन में अधिनस्थ न्यायालयों के सामने आने वाली चुनौती को चिन्हित करना था। इस चार दिवसीय सत्र के दौरान स्पर्शित मुख्य बिन्दु इस प्रकार थें क्षय संबंधी प्रश्न; भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा भू–स्वामियों के अधिकारों पर इसका प्रभाव उपभोक्ता अधिकार तथा न्यायालयों की भूमिका वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रासंगिकता ; संविदा अधिनियम तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम संबंधी वादों के विनिश्चयन में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है; धनीयवाद ऋणवसूली, प. लि. अधिनियम (एन.आई एक्ट) तथा दीवाला; आर्थिक व वाणिज्यिक विवादों में समयबद्ध न्याय हेतु न्यायालय तथा प्रकरण प्रबंधन का महत्व । इस बात पर मतैक्य था कि न्यायालय के समक्ष आनेवाले वाद–करताओं के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों को संवेदनशील होना होगा। आर्थिक व वाणिज्यिक मामलों के न्याय निर्णयन में विनम्र नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों से संपूर्ण आर्थिक विकास को क्षति पहुँचती है। आर्थिक व वाणिज्यिक मामलों का न्याय निर्णयन कुशलता पूर्वक व समयबद्ध रीति से किया जाना चाहिए। न्यायिक कौशल उपरोक्त उद्देश्यों कि प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभाती है। न्यायपालिका को लोक विश्वास तथा आत्म विश्वास न्यायदान के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। और इससे अनचाहे वादों की संख्या तथा वाद सूची में कमी होगी।

पी–413: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (15–18 अप्रैल, 2011)

15 से 18 अप्रैल 2011 के मध्य संपन्न इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामलों के न्याय निर्णयन की विधि को सशक्त बनाना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित के अधिकारों की रक्षा के प्रति न्यायधीशों की भूमिका को परिवर्तित करना था।

एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आधीन मामलों का संपूर्ण जीवन चक्र, अनु.जाति व जनजाति तथा अधिनियम के विरूद्ध सामाजिक अत्याचारों की उत्पत्ति का विश्लेषण एवं साक्ष्य विवेचन तथा पीढ़ितों की न्याायालयों तक पहुँच जैसे प्रमुख मुददो पर चर्चा हुई। चार दिवसीय सत्रों के माध्यम से बंधुओं मजदूरों की दूरदर्शी और दलित स्त्रियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को प्रमुखता से वर्णित किया गया। एस.सी./एस.टी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रवर्तन से जुड़े पहलू पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम द्वारा भारत में दलितों व आदिवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की प्रकृति व प्रकारों के प्रति प्रतिभागी न्यायधीशों के संवेदी स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा इस बात पर विचार किया गया कि कैसे अग्रसक्रीय हस्तक्षेप किया जा सकता है तथा कैसे न्यायधीश इस समस्या को न्यायालय के माध्यम से हल कर सकते है।

पी–414: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : सिविल मामलों के न्याय निर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला (22–25 अप्रैल, 2011)

सिविल मामलें भारत के अधिकांश जिला न्यायालयों के प्रकरण भार का गौंण व अस्वीकृत भाग गठित करते है। न्यायाधिकरणीकरण इन न्यायालयों की सिविल मामलों के न्याय निर्णयन को समयबद्ध आधार पर प्रभावी रूप से निपटाने में असफलता का एक वृहद प्रतिउत्तर (बड़ाहल) है। दूसरी और तीव्र आर्थिक विकास में नवीन किस्मों के दीवानी विवादों की बड़ी संख्या में किस्में उत्पन्न की है। जिला न्यायालयों में प्रभावशली सिविल न्याय निर्णयन के आभाव में, सिविलवादों के नए नए क्षेत्र अन्य न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में विवर्तित किये जा रहे है। फलस्वरूप, सिविल न्याय निर्णयन का सशक्तिकरण न्यायिक व्यवस्था द्वारा गुणवत्ता, समबद्धता तथा खर्चों के सदंर्भ में सामना की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। यह कार्यक्रम उपरोक्त पृष्ठभूमि के विपरीत सिविल विवादों के न्याय निर्णयन के सशक्तिकरण पर केन्द्रित था। इस कार्यक्रम ने अधिनस्थ न्यायपालिका के 27 न्यायधीशों को सिविल मामलों के निपटारे में विलंब के कारण

व मुख्य चुनौतियों को चिन्हित करने तथा अपने अनुभव बॉटने का अवसर प्रदान किया। उभरते हुए नवीन क्षेत्रों को प्रमुखता से उठाया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान व्यवस्था उभरती हुई नई चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में समर्थ नहीं थी जिसका परिणाम यह था कि दीवानी क्षेत्राधिकार शनैः–शनैः सिकुड़ता जा रहा था और न्यायाधिकरण उसका स्थान लेता जा रहा था।

सत्र के उपरांत, संबधित विषयों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए, प्रतिभागियों ने प्रभावी सिविल न्याय निर्णयन हेतु रणनीति विकसित करने का प्रयास किया। इस बात पर जोर दिया गया कि सिविल मामलों के निपटारे हेतु अधिक समय दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह न्यायालय कमजोर व्यक्तियों को छोटे अपराधों हेतु अभियोजित करते हुए केवल आपराधिक न्यायालयों में परिवर्तित न हो जाए।

पी–418: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : दुर्व्यवहार व लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों के न्याय पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला. (6 – 9 मई, 2011)

इस कार्यक्रम के मुख्य लक्षणों में से एक देश के निर्धन व निशक्त जनता के मध्य सम्बंध परिवर्तन परिवर्तित करने हेतु जोर देना था।

यह समझते हुए कि इस न्या.प्र. कार्यक्रमों कि कार्यशाला की श्रंखला का दृष्टिकोण एक विशेष सामाजिक व विधिक समस्या का सयुंक्त रूप से देखती है इसलिए यह कार्यशाला दुर्व्यव्यापार व लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों की समाजिक उत्पत्ति पर चर्चाओं हेतु समर्पित थी।

दुर्व्यवहार एवं दुर्व्यवहारित महिलाओं एवं बच्चों के वाणिज्यिक लैंगिक शोषण की समस्या की गंभीरता की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। एन.एच.आर.सी. द्वारा किये गये अध्ययन में दुर्व्यपार में सलंग्न विभिन्न कारको की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इस समस्या का भौगोलिक फैलाव तथा इससे निपटने के सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नीतिगत उत्तर प्रमुखता से उठाये गये।

प्रतिभागियों हेतु वे सामाजिक कारण जो दुर्व्यपार तथा वैश्यावृत्ति के लिये जिम्मेदार रहे हैं उनकी व्याख्या की गई एवं दुर्व्यपार एवं वैश्यावृत्ति के पीड़ितों पर लगातार लाछंन न केवल समाज बल्कि पुलिस, न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रमुखता से वर्णित किया गया।

इस चर्चा के अंतर्गत दुर्व्यपार व लैंगिक अपराधों से निपटने हेतु विधि एवं न्याय प्रदाता प्रणालियॉ भी शामिल थी। दुर्व्यपार एवं वाणिज्यिक लैंगिक शोषण के मुद्दे पर समझ प्रस्तुत करते समय इन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के संबंध में अनुभवी व्यक्तियों द्वारा व्याख्या की गई। इस बात के परिवर्तन की आपात

आवश्यकता पर बल यह समझने के लिए दिया गया कि महिलाएँ वैश्यावृत्ति व दुर्व्यपार की पीड़ित है तथा उनसे अपराधियों के रूप में व्यवहार करने से विधि भी उनके दोहरे सशस्त्रीकरण में एक पक्ष बन जाता है। लैंगिक अपराधों की सामाजिक उत्पत्ति पर चर्चाओं ने समाज में प्रज्वलित विभिन्न अपराधों के अंतिम रूप से मूल कारण हैं, के प्रति ध्यान आकर्षित किया। प्रतिभागियों को दुर्व्यपार तथा लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास ने आनेवाली चुनौतियों से भी परिचित कराया गया।

पी–421: न्यायनिर्णयन प्रबंधन : संवैधानिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं संबंधी मामलों के न्याय निर्णयन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशाला. (13 – 16 मई, 2011)

नागरिक स्वतंत्रताओं व संवैधानिक अधिकारों पर न्याय निर्णयन कार्यक्रम के दौरान नागरिक – राजनैतिक अधिकारों संबंधी मामलों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। आंतकवाद तथा सामाजिक संघर्ष की समस्या के सामाजिक– राजनैतिक संदर्भ को प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त प्रतिभागियों को आंतकवाद विरोधी विधियों के प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया गया। सत्र का अवसान न्यायालयों कि ऐसे मामलों में भूमिका तथा सामाजिक रूप से संवेदनशील न्याय निर्णयन का इन मामलों के महत्व विषय पर व्याख्यान से हुआ।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्य–2–न्याय व्यवस्था का सशक्तिकरण

पी–337: न्यायिक प्रशासन तथा उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन : अनुभव हिस्सेदारी (31 जुलाई – 1 अगस्त, 2010)

उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीक्षण कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालयो पर नियंत्रण और सविधांन तथा देश के कानून के अंतर्गत अनुभव को बांटना था।

यह सम्मेलन तीन प्रमुख विषयों पर केन्द्रित थीः (1) उच्च न्यायालयों के अधीक्षण तथा अधिनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति की प्रकृति व क्षेत्र तथा ऐसी शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए सिद्धांत : (2) उच्च न्यायालय के अधीक्षण तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति के प्रयोग में आधारभूत प्रश्न एवं (3) आगे का मार्ग अनुभव के पाठ।

इस दो दिवसीय सम्मेलन चर्चाओं के दौरान अधीक्षण तथा अ.न्या.पर नियत्रंण की शक्ति के प्रयोग में आने वाली

विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला की। कुछ परामर्श तथा उच्च न्यायालयों की सर्वोत्तम रीतियॉ भी पुनर्विलोकित की गई। चर्चाओं में अधीक्षण व नियत्रंण की शक्तियों जैसे न्यायालयों की स्थापना, पदोन्नति और नियुक्ति आदि के प्रयोग के प्रशासनिक कोण को भी प्रमुखता से वर्णित किया गया।

संगोष्ठी इस समझ के साथ निष्काषित हुई की संविधान के अनुच्छेद 235 और 237 के उपबंधों का अनुप्रयोग संविधान की भावना तथा मूल्यों के दृष्टिगत सुनिश्चित किया जाना चाहिए न्याय निर्णयन की मानक विधियॉ विकसित कर, लागू तथा अनुपालित की जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय की स्वतंत्रता का महत्व कार्यो के निवेदन में कभी भी विसतृत नहीं होना चाहिए।

पी–419: उच्च न्यायालयों के नव नियुक्त न्यायमूर्तियों को राष्ट्रीय सम्मेलन (6 – 8 मई 2011)

इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने नव नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायामूर्तियों को आपस में तथा उच्चतम न्यायालय, व उच्च न्यायालयों के पूर्व व वर्तमान अनुभवी न्यायधीशों के साथ ही बाहरी विशेषता से भी इस बारे में चर्चा का अवसर प्रदान किया कि भारतीय न्यायपालिका के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियों है तथा इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार वे सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते है। इस कार्यक्रम में देश की सर्वोत्तम विधियों व अनुभव को बांटा गया। इसने नव नियुक्त एच.सी.जे. को संपूर्ण देश के सहकर्मियों से मिलने तथा जानने का मंच उपलब्ध कराया। दो दिवसीय सम्मेलन के अंतर्गत निर्णयन की उत्कृष्टता बढ़ाने, न्यायिक पुर्नविलोकन, लोक हितवाद, शक्तियों का पृथककरण तथा न्यायिक सक्रियता, देश के समक्ष चुनौतियों एवं न्यायिक व्यवस्था और अंत में, विकास हेतु रणनीतिक नेतृत्व उपलब्ध कराना और अधिनस्थ न्यायालयों का सशक्तिकरण के संदर्भ में विभिन्न प्रश्न समावेशित थे।

लक्ष्य – 3 : न्याय व्यवस्था के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि

पी–343: वाणिज्यिक और आर्थिक विधि पर उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन : वर्तमान मुद्दे और चुनौतियॉं (21 – 22 अगस्त, 2010)

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के समक्ष चार मुख्य निर्णय, चुनौतियों के प्रकाश में आर्थिक व वाणिज्यिक विधि में देश में नवीनतम विकास के अनुभवों को बांटना और चर्चा करना था।

(1) व्यवस्थित व सामुदायिक अधिकारों के साथ ''आर्थिक विकास के सिद्धांत का सह–युक्तिकरण, विशेषतः भूमि प्राकृतिक संसाधन, रोजगार जीवनयापन, श्रमिक अधिकारों तथा लोक सेवाओं के संदर्भ में :

(2) बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वैश्विकरण के संदर्भ में सामाजिक न्याय प्राप्ति के न्यायालयों की भूमि का एक सामान्य दृष्टि विकसित करना (न्यायिक सक्रियता का क्षेत्र तथा आर्थिक नीति के मामलों में शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत के अनुप्रयोगों का अनुप्रयोग)

(3) एक वैश्विकरण की दुनिया में, भारत में, जहॉं विधि स्वयं एकीकृत तथा वैश्विकृत हो रही है और राष्ट्रीय विधायिका का न्यायिक संस्थानों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की तुलना में कम होती जा रही है : आर्थिक व वाणिज्यिक विधि के विकास हेतु '' उचित'' रणनीतिक दिशा निर्देश उपलब्ध कराना तथा परिभाषित करना।

(4) संविधात्मक और संपत्ति अधिकारों के समयबद्ध प्रवर्तन के आश्वासन द्वारा एक आधुनिक व प्रभाविक न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना जो कि वैश्विकरण की दुनिया में निवेश, वित्त तथा वाणिज्य को मजबूती देने के लिए आवश्यक है। देश भर से 21 उच्च न्यायालय के न्यायमर्तियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की।

पी–352: उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आंतकवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलन : आधारभूत चुनौतियॉं तथा न्यायालयों की भूमिका (18 – 19 सिंतम्बर, 2010)

आंतकवाद तथा आंतरिक विद्रोह देश के द्वारा सामना की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान चुनौतियों में से कुछ है। इन चुनौतियों से निपटाने के लिए बहुत से नए कानून तथा विधिक उपकरण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियमित किए गए है। इनमें से बहुत से कार्यपालक अधिकारियों के लिए अपूर्व शक्ति तथा प्राधिकार बिना किसी

परंपरागत अंकुशों तथा संतुलनो के आरक्षित करते है। न्यायालयों से न केवल इन साधनों की वैधता का मूल्याकंन वरण उनके प्रवर्तन के पुनर्विलोकन की अपेक्षा भी की जा रही है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य माननीय न्यायामूर्तियों को इन चुनौतियों के उत्पन्न होने के व्यापक सामाजिक, आर्थिक व नीतिगत संदर्भ तथा उनसे निपटने के नीतीगत हलों, जो कि खोजे तथा लागू किए गए है, पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना था। इन मामलों से संबंधित एस.सी. व एच.सी के आधारभूत निर्णय टिप्पणी किए गए तथा समझे गए।

सम्मेलन के दौरान, भारत सरकार के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा को विभिन्न खतरों पर प्रस्तुति दी गई। आंतकवाद संबंधी अपराधों के अन्वेषण के अनुभवों को भी प्रतिभागियों के समक्ष रखा गया। चर्चा के अन्य क्षेत्र बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सलीय स्थिति, विशेष आंतकवाद विरोधी विधियॉ और आंतकवाद की समस्या, देश द्रोह की सामाजिक आर्थिक व्याख्या एवं राज्य विरोधी हिंसा की अन्य रीतियॉ, उत्तर पूर्व में विद्रोह तथा काश्मीर समस्या का ऐतिहासिक संदर्भ पर थे।

पी–360: पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन – न्यायालयों की भूमिका (16 – 17 अक्टूबर, 2010)

इस मासिक सम्मेलन ने विधिक विकास के नवीन क्षेत्रों तथा न्यायिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर संपूर्ण देश के उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को चर्चा का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की मुख्य चुनौतियों और न्यायालयों की भूमिका पर गहराई से विचार किया गया ।

अक्टूबर में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में 4 आधारभूत निर्णयन चुनौतियों पर चर्चा की गई :

अ) पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण न्याय तथा संपोषणीय विकास को परिभाषित करना

ब) पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा मानव अधिकारों में संतुलन बनाना : हितों, खर्चो एवं लाभों का मूल्यांकन और बंटवारा

स) विधिक / न्यायिक प्रकिृया में असफलताओं तथा रिक्तियों को संवदित करना और पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रवर्तनकारी उपचारों को खोजना तथा

द) पर्यावरण सुरक्षा पर्यावरणीय न्याय एवं संपोषणीय विकास में लोकहित वाद तथा न्यायिक सक्रियता के प्रति सही न्यायिक नीति विकसित करना

ड) पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृति संसाधनों के मामलों में समसामयिक संतुलन तथा पर्यावरण प्रबंधन की मानसिकता को अधिकारों की सुरक्षा की मानसिकता में परिवर्तित करनें की आवश्यकता पर इस सम्मेलन नें बल दिया ।

पी–370: विधि के विकास में उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के योगदान पर उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन (जनवरी 2009 से आज दिनांक तक), (20 – 21 नवम्बर 2010)

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों से हुए विधिक विकास के लिए क्षेत्रों पर चर्चा के अलावा इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को अपने–अपने उच्च न्यायालयों के जनवरी 2009 के बाद के प्रमुख निर्णयों जिन्होंने विधि के विकास योगदान दिया है, पर प्रस्तुति देने हेतु एक मंच उपलब्ध कराया।

पी–378: निर्धनता तथा सामाजिक न्याय पर उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन : आधारभूत चुनौतियॉ एवं न्यायालय की भूमिका (18 – 19 दिसम्बर, 2010)

यह महत्वपूर्ण सम्मेलन माननीय न्यायमूर्तियों को निर्धनता उत्थान, सामाजिक प्रभावहीनता तथा वर्तमान राष्ट्रीय एवं वैश्विक संदर्भ में सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय चुनौती हेतु चर्चा और इस चुनौती से निपटने में न्यायालयों की भूमिका पर अपने विचारों व अनुभव बांटने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिए था। प्रतिभागियों के समक्ष ''जनता को लोकतंत्र का वचन और इक्कीसवी सदी में भारतीय राज्य'' विषय प्रस्तुत किया गया। सामाजिक न्याय के विषय पर चर्चा के भाग के रूप में, एक विस्तृत विश्लेषणात्मक व्याख्यान, हमारे देश में एस.सी./एस.टी. समुदायों की कमजोर आर्थिक स्थिति पर, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अलगाव वादी तथा माओवादी आंदोलनों सहित देश के विभिन्न भागों में जारी विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों के संबंध में एक सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण प्रतिभागियों हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन के अंतिम सत्र में प्रतिभागी न्यायधीशों को पूर्वत्त राष्ट्रीय चुनौतियों से लोहा लेने में न्यायालयों की भूमिका से अवगत कराया गया।

पी–385: अंतर्राष्ट्रीय एवं विदेशीय विधि पर उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन : उपथते मुद्दे (22 – 23 जनवरी, 2011)

उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर जानकारी व सूचना का आदान प्रदान करना था कि कैसे राज्यों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी विधि के प्रश्नों को वर्तमान में निष्कर्षित कर रहे है; तथा ऐसे प्रश्नों को चिन्हित करना जिन्हें और अधिक विश्लेषण तथा परीक्षण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारतीय अनुभव की अन्य देशों के अनुभव के साथ तुलना भी की गई।

लोक तथा निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि में उदीयमान क्षेत्रों पर चर्चा से आगामी परिदृश्य के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति समक्ष विकसित हुई प्रतिभागी न्यायाधीशों को यह भी दर्शाया गया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि विवाह, व्यापार, मानव अधिकारों, शरणार्थी विधि सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु विषय प्रदान कर रही है और इसलिए राष्ट्रीय न्यायालयों में ऐसे मामलों के न्याय निर्णयन में इसके अनुप्रयोग को समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि को देशीय विधिशास्त्र में अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। सत्र में हुई चर्चा में मुख्य चिंता बार तथा बैंच में लोक तथा निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि इसलिए, ज्ञान के सीमा को विस्तृत करने की आवश्यकता है। परिसीमा विधि, संविदात्मक बाध्यताओं, इन डिकरियों का प्रवर्तन, वैवाहिक मामले, विवादित क्षेत्र, शरणार्थी विधि तथा समन और संधीगत बाध्यताओं पर मनन किया गया।

कार्यक्रम इस बात पर सहमती के साथ निष्कर्षित हुआ कि भारतीय न्यायालयों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन में अधिक उदार होना चाहिए तथा चुनौती है देशी विधियों के अनुपालन में सही संतुलन खोजनें की, तब जब कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का आलंबन लिया गया है।

पी–389: विधि के विकास में उच्चतम न्यायालय के योगदान पर उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का राष्ट्रीय सम्मेलन (जनवरी 2009 से दिनांक तक) (5 – 6 फरवरी, 2011)

इस मासिक सम्मेलन ने देश के उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को पिछले वर्ष में (जनवरी 2009 के बाद) उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों द्वारा उदभूत विधि विकास के नए क्षेत्रों पर चर्चा करने एवं विचार विनिमय का अवसर उपलब्ध कराया। अनुभवी व्यक्तियों तथा प्रतिभागियों ने प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए। विधिक प्रश्नों की विस्तृत श्रंखला पर कानून का अवधारण करने वाले निर्णयों की विस्तृत फैलाव का सूक्ष्म अध्ययन किया। विधि के विकास में उच्चतम न्यायालय के योगदान की व्याख्या के अतिरिक्त भारतीय समाज में समस्या रूपी प्रमुख प्रश्नों अर्थात् सामाजिक न्याय; अलाभ–कृत वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा; बच्चों महिलाओं तथा एस.सी./एस.टी. सहित निर्धन ; आपराधिक न्याय व्यवस्था ; आर्थिक विकास; संवैधानिक अधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रताएँ; एवं पर्यावरण सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया।

पी–404: लोक प्रशासन व शासन सशक्तिकरण पर उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की राष्ट्रीय सम्मेलनः आधारभूत चुनौतियॉ तथा न्यायालयों की भूमिका (5 – 6 मार्च, 2011)

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को लोक प्रशासन तथा शासन सशक्तिकरण में न्यायालयों के योगदान तथा भूमिका पर अपने अनुभव बांटने का अवसर उपलब्ध कराना तथा इस बात पर चर्चा करना था कि कैसे इस भूमिका को और अधिक सशक्त किया जा सकता है। इसने आगे कार्यपालिका को संवैधानिक मापदण्डों के अनुरूप जबावदेह बनाने में संवैधानिक न्यायालय की भूमिका पर भी अन्वेषण किया। शासन में अन्य विषयों के विशेषज्ञों के साथ पारस्पारिक चर्चा एवं इस क्षेत्र में नवीन विचारों के मूल्यांकन को प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया।

उत्तर उदारीकरण रूप में भारतीय स्थिति पर इसकी जन्म–विरोधी तथा उद्योग–समर्थक नीतियों, वैश्विक दृष्टीकोंण पर एक प्रस्तुति दी गई। उच्चतम न्यायालय में भोजन के अधिकार के लोकहित वाद के सृजन की ओर ले जाने वाले विभिन्न पहलुओं को सदन के समक्ष रखा गया। राज्य के विभिन्न सामाजार्थिक कानूनों के प्रवर्तन के संबंध में राज्य को पारदर्शी व जबावदेह बनाने की आवश्यकता पर विचार विमर्श के अलावा, भारतीय राज्य के संवैधानिक स्वरूप पर एक विस्तृत प्रस्तुति ने दर्शाया की वैश्वीकरण के युग में जहॉ वृद्धि ''विकास'' सरकार के मार्गदर्शक हित हो गए थे, राज्य के नीति निर्धारण को न्यायिक समीक्षा के आधीन करने कि आजात आवश्यकता थी। सामान्यजन के लिए अति महत्व के क्षेत्र लोकहित वाद पर सूक्ष्म विवेचन किया गया। राज्य अतिचारों के संदर्भ में विभिन्न प्रश्न एवं नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रश्न भी विश्लेषित किया गया।

पी–412: आपराधिक न्याय के प्रशासन पर उच्चतम न्यायालय. के न्यायधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलनः मुद्दे और चुनौतियाँ (16 – 17 अप्रैल, 2011)

इस सम्मेलन का लक्ष्य उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को परस्पर तथा संबंधित विशेषज्ञों के साथ देश में आपराधिक न्याय प्रशासन को संपोषणीय रीति से सशक्त करने के मार्ग व साधनों पर चर्चा करने का मंच उपलब्ध कराना था। संपूर्ण देश से अनुभव एवं सर्वोत्तम व्यवहारिक नवप्रवर्तनों के बांटा गया और विधि में विकास पर पुनर्विलोकन किया गया मालीमत समीति की विभिन्न सिफारिशों को केन्द्र में रखते हुए ''आपराधिक न्यायतंत्र का संकट'' के उभरते हुए नीतिगत हलों पर चर्चाऐं हुई। व्यवस्था के उपचार हेतु सुझाए गए विभिन्न सुधार के साधनों के संबंध में संवैधानिक सीमाओं की अतिपवित्र प्रकृति की व्याख्या की गई। आंतक से मुकाबला करते समय स्थानीय कानूनों के अंतर्गत कार्य करने के महत्व पर बल दिया गया तथा देश में पुलिस एवं सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के अतिउलंघन की प्रकृति व विस्तार पर अंतदृष्टि प्रदान की गई। मृत्युदण्ड देने को भी एक मुद्दे के रूप में लिया गया और दण्ड देने में स्वेच्छाचारिता के प्रश्न विमर्शित हुआ।

विशेष कार्यक्रम

वि.का.–1: विधि में वर्तमान विकासों पर श्रीलंका के न्यायधीशों हेतु न्यायिक सम्मेलन (11 – 15 अगस्त, 2010)

श्रीलंका के 16 न्यायमूर्तियों ने पॉच दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया यात्रा पर आए न्यायधीशों तथा म.प्र. के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के बीच परस्पर चर्चा का मौका देने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में विभिन्न पर्यावरणीय प्रश्नों, जिनसे न्यायालयों की निपटना होता है तथा वे चुनौतियॉ जिनका भारतीय न्यायपालिका सामना करती है, भी प्रमुखता से उठाए गए/की गई चर्चाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु, भोपाल गैस त्रासदी स्थल का दौरा भी आयोजित किया गया। भोपाल गैस आपदा को एक केस स्टडी के रूप में लेते हुए, सामूहिक अपकृत्य वादयोजन का पुनर्वालोकन किया गया। न्यायधीशों को राज्य के लोकायुक्त के दृष्टीकोण से जन–उत्तरदायित्व तथा शासन की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। न्यायिक सुधारों पर चर्चाऐं हुई तथा संवैधानिक आदर्शों व मूल्यों के अनुपालन एवं अच्छे बर्ताव का समर्थन करने वाली विधियों पर बल दिया गया।

सम्मेलन के दौरान समावेशित अन्य क्षेत्र थे; आर्थिक व वाणिज्यिक विधि, व्यापार विधि में हाल में हुए विकास; सामाजिक अंकेक्षण व सूचना का अधिकार और योगिक विधि एवं मानव अधिकारों के प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण विधि, औद्योगिक – सामाजिक उत्तरदयित्व, औद्योगिक नागरिक स्वतंत्रता भारत में बढ़ता हुआ न्यायधिकरण, बौद्धिक संपदा विधियॉ, पर्यावरणी एवं वाणिज्यिक विधियों के मध्य संतुलन, नरेगा (NREGA) व्यापार विधियॉ सीमा पर वित्त एवं निवेश, संविदाओं का प्रवर्तन, सैन्य कार्यवाहियों, औद्योगिक घोटालों– सत्यम घोटाला, औद्योगिक प्रशासन के प्रश्न, सचेतन कारी विधियॉ SICA एवं SARFAESI विधियॉ भारतीय विधि शास्त्र में औद्योगिक विधि शासन पद्धती तथा न्याय – निर्णयन प्रणाली पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु चर्चाऐं कंपनी एवं प्रतिभूति विधि; माध्यस्थता, विवाचन एवं वाणिज्यिक विवाद समझौतों में हाल में हुए विकासों पर केन्द्रित थे। SEBI (सेवी)- इसके कर्तव्य, कार्यप्रणाली व शक्तियॉ चर्चा के महत्वपूर्ण बिन्दू थे। न्यायाधिकरणी जिसने अन्य सभी विधिक क्षेत्रों को समस्याग्रस्त किया है, पर मनन किया गया और इसके मूल कारण समझे व टिप्पणी किए गए। औद्यागिक शासन पद्धति की योजना पर श्रीलकांई दृष्टिकोण प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय विचारित किए गए तथा न्यायालय के तर्को पर मथंन किया गया।

वि.का.–2: भारतीय विधि – में हाल ही में हुए विकास पर श्रीलंका के न्यायाधीशों का स्थिति निर्धारक सम्मेलन (18 – 22 दिसम्बर, 2010)

भारत में आर्थिक एवं वाणिज्यिक विधि के क्षेत्रों में हुए विकासों की व्याख्या प्रतिभागियों हेतु की गई और नागरिक स्वतंत्रताओं एवं संवैधानिक अधिकारों की विस्तृत होती शासन पद्धति पर एक प्रस्तुति दी गई। भू–मंडलीय ताप वृद्धि, तटीय क्षरण जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को प्रमुखता से व्यक्त किया गया। विभिन्न दुर्व्यावहार तथा लैंगिक अपराधों एवं इनसे संबंधित विधियों का संपूर्ण परिदृष्ट आए हुए न्यायाधीशों हेतु पुनर्वर्णित किया गया।

न्यायिक सुधारों, व न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षण संरचना को आऐ हुए 21 न्यायाधीशों हेतु विस्तृत रूप से वर्णित किया गया।

वि.का.–3: वार्षिक कैलेण्डर सभा (12 मार्च, 2011)

12 मार्च 2011 को भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (रा.न्या.अ.) में मुख्य न्यायाधीशों एवं रा.न्या.सं. के जुलाई 2011 से मई 2012 के शिक्षण सत्र के पंचांग में शिक्षण विकास हेतु प्रभारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक हुई। प्रस्तावित पंचांग पर एक प्रस्तुति दी गई तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर मनन हुआ।

प्रशासन व कर्मचारीबृंद

नौ वर्षो की अवधि मे, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी – न्यायिक शिक्षा, न्यायालय प्रवंधन पर अनुसंधान, न्यायिक प्रशासन तथा नीतिगत विकास हेतु पूर्व में ही एक उल्लेखनीय संस्थान बन चुका है । राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के असाधारण विकास का केन्द्रीय करण इसके पश्चात् द्वारा प्राप्त सहयोग रहा है । राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की प्रशासनिक संरचना का विहंगत दृश्य अधोलिखित है ;

1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी समिति के सदस्य

(31 मार्च, 2011 तक)

क्रमांक	पदनाम	नाम
1	भारत के मुख्य न्यायाधिपति (पदेन अध्यक्ष)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाडिया
2	भारत के उच्चतम न्यायालय के दो अवर न्यायाधीश	1) माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर 2) माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रवीन्द्रन
3	किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति	माननीय न्यायमूर्ति श्री सैयद रफत आलम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
4	संचालक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (सोसाइटी के पदेन सचिव)	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल
5	किसी अन्य उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश	माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सीकरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
6	दो विधि शिक्षक	1) निदेशक, एन.एल.आई.यू., भोपाल (पदेन) 2) विभागाध्यक्ष विधि संकाय, दिल्ली विश्वविघालय (पदेन)
7	पदेन सदस्यः अ) विधि मंत्री, भारत सरकार ब) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद	श्री सलमान खुर्शीद श्री गोपाल सुब्रामनियम
8	भारत सरकार के न्याय विभाग के सचिव	सुश्री नीला गंगाधरन
9	भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के सचिव	श्री डी. आर. मीणा
10	भारत सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव	सुश्री अलका सिरोही
11	भारत सरकार के व्यय विभाग के सचिव	श्रीमती सुष्मा नाथ
12	भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव	श्री ए.आई.एस. चीमा

2. सामान्य निकाय

सामान्य निकाय समिति के सदस्यों (अधोलिखित) से गठित है ।

3. शासी परिषद

समिति का प्रशासन, प्रबंधन तथा नियंत्रण शासी परिषद में निहित है जोकि निम्नलिखित रूप से गठित हैं :–

(31 मार्च, 2011 तक)

क्रमांक	पदनाम	नाम
1	भारत के मुख्य न्यायाधिपति (पदेन अध्यक्ष)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाडिया
2	सदस्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय भारत	1) माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर 2) माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रवीन्द्रन
3	निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (पदेन सदस्य, संयोजक)	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल
4	भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव	सुश्री नीला गंगाधर
5	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव	श्रीमती सुष्मा नाथ
6	भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के सचिव	श्री डी. आर. मीणा
7	भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव	श्री ए.आई.एस. चीमा

4. शैक्षणिक परिषद

शासी परिषद द्वारा अपने 18 नवंबर, 2003 के प्रस्ताव द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश (अकादमी के पदेन अध्यक्ष) तथा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य नाम निर्देशित सदस्यों (अध्यक्ष द्वारा नामित) से एक शैक्षणिक परिषद का गठन किया गया है । अपने 7 फरवरी, 2006 के प्रस्ताव से, अध्यक्ष द्वारा शासी परिषद की स्वीकृति से परिषद का विस्तार किया गया, जो कि 31 मार्च 2011 तक अधोलिखित सदस्यों द्वारा गठित है :

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाडिया, अध्यक्ष	भारत के मुख्य न्यायाधिपति
2	माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रवीन्द्रन माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा	भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
3	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल, संयोजक	निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
4	माननीय न्यायमूर्ति श्री जगन्नाथ राव	भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
5	माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सीकरी	न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
6	माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. एस. अग्रवाल	पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
7	श्री गोपाल सुब्रामनियम	भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल
8	1) श्री फली. एस. नरिमन 2) श्री के.के. वेणुगोपाल 3) श्री पी. पी. राव	वरिष्ठ अधिवक्तागण, भारतीय उच्चतम न्यायालय
9	श्री ए.आई.एस. चीमा	महासचिव उच्चतम न्यायालय
10	नदेशक, भारतीय विधि संस्थान	(पदेन)
11	डॉ एस. के. जैन	दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक न्यायाधीश

5. कार्यकारी समिति

शासी परिषद द्वारा अपने 18 नवंबर, 2003 के प्रस्ताव द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश (रा.न्या.अ. के पदेन अध्यक्ष) तथा सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों से एक शैक्षणिक परिषद का गठन, कार्यक्रमों तथा प्रशासन के सतत् पर्यवेक्षण हेतु किया गया है । 31 मार्च 2011 तक कार्यकारी समिति का संगठन इस प्रकार है ;

क्रमांक	पदनाम	नाम
1	भारत के मुख्य न्यायाधिपति (अकादमी के पदेन अध्यक्ष)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाडिया,
2	भारत के उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश	1) माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर 2) माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रवीन्द्रन 3) माननीय न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी
3	निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, (समन्वयक)	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल

6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण

प्रशासन

भारत सरकार की स्वीकृति से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति के निर्देशक, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ।

अकादमी का प्रशासन, निदेशक द्वारा, दो रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारीगणों की सहायता से संचालित किया जाता है ।

प्रशासनिक अधिकारीगण

(31 मार्च , 2011 तक)

क्रमांक	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदों का विवरण		
			स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त
1	निदेशक	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल	1	1	–
2	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	–	1	–	1
3	प्रशासनिक अधिकारी	श्री कुरियाकोस मैथ्यू	1	1	–
4	मुख्य लेखा अधिकारी	श्री अविनाश चौधरी	1	1	–
5	अनुरक्षण यंत्री	–	1	–	1
6	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	–	1	–	1
7	प्रबंधक (कार्यक्रम प्रबंधन)	श्री चेतन नेहेते	1	1	–
8	प्रबंधक (अतिथि सत्कार)	सुश्री अंकिता निगम	1	1	–
9	कम्प्यूटर प्रणाली प्रबंधक	श्री अमजद खान	1	1	.
10	प्रबंधक (दस्तावेज व संचार)	सुश्री संगीता रसायली मिश्रा	1	1	.

शैक्षणिक

प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु, भारत के विभिन्न भागों से अत्यंत विशेषज्ञ संकाय–सदस्यों का दल आंमत्रित किया जाता है जो कार्यक्रम की अवधि के दौरान परिसर में प्रतिभागियों के साथ ठहराता है तथा उनके साथ अंतरचर्चा करता है ।

अकादमी में निम्नलिखित संकाय सदस्य हैं :–

संकाय सदस्य

(31 मार्च, 2011 तक)

क्रमांक	पदनाम	अधिकारी का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान सख्या	रिक्त पदों की सख्या
1	निदेशक	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल	1	1	–.
2	अतिरिक्त निदेशक	–	1	–	1
3	रजिस्ट्रार (शैक्षणिक)	श्री एस. पी. श्रीवास्तव	1	1	–
4	प्राध्यापक	–	3	–	3
5	सहायक प्राध्यापक	सुश्री निधि गुप्ता डॉ सिल्ला रामसुंदर श्री दयानंद मूर्ति डॉ. शीना शुक्कुर सुश्री एस. मिनी (09.07.2010 तक)	6	4	2
6	अनुसंधान अध्येता	श्री सिद्धार्थ शर्मा	6	1	5
7	विधि सहायक	श्री राजेश सुमन सुश्री अमृता पॉल (जून 2011 तक) सुश्री गरिमा तिवारी सुश्री सुचित्रा परमगुरू (05.07.2010 तक) सुश्री हिना वार्षनेय (30.07.2010 तक) सुश्री अपर्णा सिंह (02.07.2010 तक)	6	3	3

7. आधारभूत संरचना एवं सहायक प्रणालियॉ :

भोपाल की प्रसिद्ध बड़ी झील पर विहंगम दृष्टि के साथ, शहर के बाहरी क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थिति अकादमी से शहर तथा इसके आस–पास के क्षेत्र का दृश्य दर्शित होता है। अकादमी का परिसर 28,000 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र के साथ 62 एकड़ में फैला है। अपने हरे–भरे परिवेश, अप्रदूषित वायु तथा प्राकृतिक दृश्य के साथ, अकादमी, अनुसंधान व मनोरंजन हेतु एक आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। अतएव, आकदमी अपनी उच्च स्तरीय न्यायिक शिक्षा सुविधाओं के साथ, देश में न्यायकि स्थापना से संबंधित शिक्षा व अनुसंधान कार्य हेतु सर्वाधिक आधुनिक व सुसज्जित केन्द्र होने का दावा अधिकार पूर्वक कर सकती है ।

आधारभूत संरचना का संक्षिप्त– विवरण निम्न लिखित हैं :

ए) परिसर में निम्नलिखित केंद्रीय रूप वातानुकूलित भवन हैं

1) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक –1 (144 सर्वसुविधा संपन्न कमरे, सभी चार स्तरीय सुविधाओं से मुक्त)
2) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक –2 (पांच सितारा सुविधाओं सहित, 12 कमरे)
3) प्रबंधन प्रखंड (निदेशक, रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकरियों / कर्मचारियों हेतु कार्यालय)
4) छः संस्थिवाद (सेमीनार) कक्ष, 10 संकाय कक्ष तथा एक सम्मेलन (कान्फ्रेंस) कक्ष,
5) पुस्तकालय (ज्ञान गंगा) तथा अनुसंधान केन्द्र (ज्ञान मंथन),
6) श्रोता–सह–सभा कक्ष,
7) मनोरंजन प्रक्षेत्र,
8) कार्यकारी अधिकरियों हेतु रसोई सुविधाओं से मुक्त भोजन कक्ष।

बी) आवासीय सुविधाएं

1) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक –1 :

इस अतिथि गृह में कुल 144 सुसृज्जित कमरे हैं, जिनमें दो व्यक्तियों के ठहरनें का प्रबंध है ये कमरे टेलीफोन की सुविधा सहित अन्य सुविधाओं से मुक्त हैं । नवीनतम रसोई के साथ एक आधुनिक रसोई तथा एक वृहत भोजन, प्रतीक्षालय, स्वागत कक्ष, चिकित्सक कक्ष, तथा अन्य सुविधाएँ इस अतिथि गृह भवन के भाग हैं । सभी तलों तक अतिथियों की गतिविधियों की सुविधा हेतु एक लिप्ट के साथ ये कमरे एक स्फूर्ती दायक शैक्षणिक सत्र के उपरांत वापस जाने हेतु एक आदर्श स्थान ।

2) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक –2 :

एक प्रतीक्षालय एक आधुनिक रसोई घर तथा एक भोजन कक्ष के साथ दौरे पर आए उच्च अधिकारियों हेतु सुसृज्जित कक्ष इस अतिथि गृह में हैं ।

3) अकादमी के अधिकरियों तथा कर्मचारियों हेतु :

अ) निदेशक / अतिरिक्त निदेशक हेतु बंगले – अकादमी में दो पूर्ण रूप से सुसृज्जित बंगले प्रत्येक निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक हेतु हैं ।

ग) श्रृंखलागृह : अकादमी में बारह स्वतंत्र श्रृंखलागृह इसके अधिकारियों हेतु हैं, जिनमें से आठ में तीन शयन कक्ष तथा 4 में दो शयन कक्ष ।

स) कर्मचारी आवासगृह : अकादमी में 34 कर्मचारी आवासगृह अपने विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु हैं ।

सी) <u>शैक्षणिक व अनुसधान कार्यो हेतु आधारभूत सुविधाएँ :</u>

अ) छः परिषदकक्षः 30 से 40 व्यक्तियों के बैठनें की क्षमतावाले तथा प्रस्तुतीकरण हेतु नवीनतम दृश्य–श्रव्य उपकरण से सुसज्जित छः परिसंवाद कक्ष अंतर–वाती सत्रों तथा शिक्षण हेतु, निर्मित किए गए हैं ।

ब) श्रोता–सह–सभाकक्ष : इसकी बैठक क्षमता 281 व्यक्तियों हेतु है तथा यह सम्मेलन एवं संगोष्टियों के आयोजन हेतु नवीनतम दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस है ।

स) संकाय सदस्यों हेतु कक्ष – अकादमी के शैक्षणिक प्रखण्ड में संकाय सदस्यों को उचित कक्षों तथा सचिवीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोष्ठों सहित दस कक्ष सचिवालयीन कर्मचारियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण रूप से सुसृज्जित किए गए हैं। संकाय सदस्यों के मध्य गोष्ठियों की सुविधा हेतु एक पृथक सभा कक्ष हैं ।

डी) पुस्तकालय (ज्ञानगंगा)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, अनुसंधान प्रकाशनों, पांडु लिपियों, प्रतिवेदनों तथा न्यायपालिका एवं विधि से संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित एक अत्यंत अच्छा पुस्तकालय है । यह 2004 में, केवल इसी उद्देश्य के लिए समर्पित, 1412 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था । लगभग केवल सात वर्षे की अवधि के अंदर, पुस्तकालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों सहित 20 हजार प्रतियॉ अर्जित की हैं।

इस पुस्तकालय में मनुपात्रों, एस.सी.सी. ग्रांड ज्यूरिक्स, ई.पी.डब्ल्यू., बैस लॉ, हैन ऑनलाइन एण्ड जे.एस.टी. ओ. आर. तक ऑन लाइन पहुँच की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की पॉच हजार साधन सामग्री त्वरित संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं । ज्ञानगंगा नाम से यह दो पुस्तकालय सहायकों द्वारा प्रबंधित यह प्रतिभागियों के प्रयोग हेतु प्रातः 9 बजे से सांय 9 बजे तक खुली रहती है । इंटरनेट से संयोजित संपूर्ण पुस्तकालय में प्रतिभागियों की सुविधा हेतु 9 कार्य केन्द्र हैं। इस पुस्तकालय में एक दस्तावेज केन्द्र समाचार पत्र तथा पत्रिका अनुभाग, वाचनालय तथा एक सभाकक्ष के साथ सभी तरह की सुविधाएँ हैं।

ज्ञानगंगा (पुस्तकालय) में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

अ) वाचनालय – वाचनालय 66 व्यक्तियों की बैठक सुविधा के साथ नवीनतम् पत्रों एवं प्रकाशनों के प्रदर्शन हेतु पूर्णरूप से सुसृज्जित हैं ।

ब) विधि पुस्तकों हेतु संग्रहण क्षेत्र – पुस्तकालय प्रखंड का तहखाना 75 हजार विधि पुस्तकों के सुरक्षित संग्रहण हेतु संग्राहक क्षेत्र हैं ।

स) स्तावेजी केन्द्र – पुस्तकालय में आधुनिक्तम, फोटोकॉपियर, स्केनर, तथा कंप्यूटर सहित दस्तावेजीकरण हेतु एक पृथक अनुभाग हैं ।

ई) मनोरंजन केन्द्र

यह केन्द्र में तरनताल, भाप स्नान, लान टैनिक कोर्ट, बिलियर्ट, व्यायामशाला आदि उच्चस्तरीय सुविधाओं उपलब्ध हैं ।

एफ) <u>जलप्रदाय प्रणाली</u>

अकादमी को निर्वाद जलप्रदाय उपलब्ध कराने हेतु प्रांगण में स्वयं के छन्न संयत्र और अन्य सहायक प्रणालियों के साथ एक समर्पित जलप्रदाय प्रणाली है ।

जी) <u>विद्युत प्रदाय प्रणाली</u>

इसी प्रकार से, आकादमी को निर्वाद विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने हेतु, अकादमी में एम.पी.एस.ई.बी. से एम.पी.सी.बी. द्वारा 33 के.बी.फीटर तथा 500 के.बी. क्षमता वाले जनरेटर के माध्यम से निर्वाद विद्युत प्रदाय हेतु विशेष व्यवस्था की है ।

एच) <u>सुरक्षा</u>

परिसर की सुरक्षा ''बाज सुरक्षा सेवा'' द्वारा प्रबंधित है, जो कि परिसर की 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 57 सुरक्षाकर्मियों को नियोजित करती है ।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का शासन

6 मई 2010 को आयोजित अपनी बैठक में साशीय परिषद में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये :– स्वीकृति देने हेतु सर्व सम्मति से यह निश्चय किया गया है कि–

(1) सुरक्षा (2) बागवानी (3) भवन एवं मार्गो की सफाई तथा अतिथि गृहों की व्यवस्था (4) खान पान व्यवस्था (5) परिवहन टैक्सी (6) प्रतिलिपिकरण, छपाई तथा जिल्दबंदी न्यूनतम दो वर्षो की अवधि के लिये परास्परिक सहमति पर आगे और विस्तार के उपबंध के साथ उपलब्ध और प्रदान किये जा सकते हैं ।

एक ए.टी.एम. के प्रतिस्थापन हेतु अकादमी के दुकान परिसर में आवश्यक स्थान के पट्टे की स्वीकृति के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया । (वर्ष 2010–11 हेतु यथा प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कैलेण्डर की स्वीकृति का प्रस्ताव सर्व सम्मति से किया गया)

वर्ष 2010–11 हेतु यथा प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कैलेण्डर की स्वीकृति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से निश्चय किया गया । कार्यक्रमों को जोड़नें या घटानें के साथ कैलेण्डर में यथा आवश्यक सभी परिवर्तनों को काटनें हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय प्राधिकारित हैं । कार्यक्रमों के दिनांको को निश्चित तथा पुनरीक्षित जैसा उचित हो कटनें का प्राधिकार निदेशक महोदय को है ।

30 जुलाई 2010 को आयोजित अपनी बैठक में शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये :–

वर्ष 2009–10 के लिये सोसायटी के खातों का सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

(1) लोक संसाधनों की वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए, माननीय अध्यक्ष महादेय ने निर्देशित किया कि अकादमी की शेष पूंजी निधि, उसकी वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यकता नहीं है, न्याय विभाग से वर्तमान वर्ष की आवश्यकता पर चर्चा के उपरांत शासन को लौटा दी जाए । भविष्य की आवश्यकताऍं शासन द्वारा समय–समय पर पूरी की जाएगी ।

(2) माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये भी निर्देशित किया कि किसी भी मद से खर्चो में किसी विशेष वृद्धि को लेखा विभाग को एक याद टिप्णी के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

वर्ष 2010–11 हेतु समिति के वार्षिक बजट अनुभागों को सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

अकादमी की वर्ष 2009–10 के वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति देने का सर्वसम्मति से निश्चय किया गया ।

30 जुलाई 2010 को आयोजित बैठक में सामान्य निकाय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये :–

सोसायटी के वर्ष 2009–10 के लेखाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। समिति के वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति देने का, सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

6 मई 2010 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक :–

वर्ष 2010–11 हेतु यथा प्रस्तावित कैलेण्डर स्वीकृति किया गया ।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) के प्रवर्तन में प्रगति

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) जनवरी 2007 से लागू की गई तथा अब इसके प्रवर्तन के चार शैक्षणिक वर्ष (2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11) पूर्ण हो चुके हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) के प्रवर्तन में प्रगति पर सार प्रतिवेदन नीचे प्रदर्शित है।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के मुख्य लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रगति का मूल्यांकन :–

	राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति लक्ष्य/उद्देश्य	प्रगति
1	राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा को समयबद्ध न्याय दान के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। (1) विलंब तथा शेष कार्यों में कमी को (अ) सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आई.सी.टी. के प्रयोग, (ब) न्यायालय व प्रकरण प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के उपयोग, (स) प्रमुख न्यायिक ज्ञान तथा कौशल आवश्यकताओं का सशक्तीकरण, एवं (द) ए.डी.आर. विधियों (मध्यस्थता, समझौता, विवे चन या लोक अदालत) के प्रोत्साहन पर शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा अवलोकित करने क ी आवश्यकता होगी। (2) न्याय के प्राथमिक क्षेत्रों में प्रतिक्रिया की न्यायपालिका की क्षमता (अ) सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायिक मुद्दों पर न्यायाधीशों के दृष्टिकोण का विकास तथा प्रभावी न्याय दान की आवश्यकता पर उन्हें जागरूक बनाने एवं (ब) न्यायाधीशों की नई एवं प्रवर्तनकारी विधियों के वर्तमान विधिक परिसीमाओं के अंतर्गत न्याय की मांग को प्रभावी रूप से पूर्ण करने हेतु प्रयोग करने की योग्यता के विकास, द्वारा बढ़ाई जाएगी। (3) भारतीय विधि आयोग की नवम्बर 1986 में दी गई 117वीं रिपोर्ट (''न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण'') में न्यायाधीशों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता को टिप्पणित किया गया, ''क्योंकि यह पूर्व प्रथा को बिना किसी परिवर्तन का प्रयास किए और अधिक समय तक जारी रखेगा'' (पैरा 2.6)। इस विधि आयोग की रिपोर्ट कहती है : (न्यायिक) प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को न केवल अपने कार्य के कार्यन्वयन के उपकरणों से लैस करना है, बल्कि उन्हें इस बारे में दृष्टि देना है कि उनके द्वारा सेवित व्यवस्था से क्या अपेक्षित है। न्याय से क्या अभिप्रेत है? निर्णयन की प्रक्रिया क्या है? संविधान के लक्ष्य क्या हैं? वह कौनसी दिशा है जिसमें विधि को गतिशील होना चाहिए ? विवक्षित विधि के अनुसार न्यायाधीश निर्णित न्याय क्या है?	प्रगति संतोषजनक है। (1) अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र स्पष्ट रूप से, विलंब तथा अवशेष कार्यों में कमी के द्वारा समयबद्ध न्याय में वृद्धि के साथ ही न्याय की गुणवत्ता तथा अनुक्रिया में वृद्धि का विकास है। (2) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विलंब तथा अतिशेष में कमी एवं न्याय की गुणवत्ता व अनुक्रिया के विकास हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है (जिसे ''समयबद्ध न्याय हेतु योजना व प्रबंध'' कहते हैं)। (3) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में न्याय प्रदान करने के गुणवत्ता व कौशल हेतु एक सैद्धान्तिक ढांचा भी विकसित किया है।

2	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों की वृद्धि : सारे देश के सभी 13 हजार न्यायाधीशों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुद्दों पर केन्द्रित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कम से कम एक सप्ताह के लिए (अपने वार्षिक समय का 2 प्रतिशित, प्राप्त करना चाहिए। 5,000 से 6,000 सी.जे.एम. /जिला स्तर तथा ऊपर के केन्द्र पर केन्द्रित। वर्तमान में उच्च न्यायालयों ने संकेत दिया है कि संस्थागत बाध्यताओं के कारण लगभग 2,500 न्यायाधीश ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भेजे जा सकते हैं। 2006 में औसतन एक न्यायाधीश लगभग 15 सालों में एक बार ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आ सकता था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित नहीं किए जाते थे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को संपूर्ण देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों को समावेशित करने की आवश्यकता है।	संतोषजनक प्रगति। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले न्यायाधीशों की संख्या के साथ–साथ कार्य क्रमों की संख्या लगभग 3000 न्यायाधीशों व प्रतिवर्ष 100 कार्य क्रमों तक से लगभग 4 गुना बढ़ी है। वर्तमान स्तर पर एक न्यायाधीश लगभग 4 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आने की आशा कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मासिक सम्मेलन लगभग 250 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की प्रतिवर्ष उपस्थिति के साथ आयोजित की जा रही है। कनिष्ठ वर्ग दिशा निर्देशन के परिचय के साथ, आज राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सभी स्तरों के न्यायाधीशों को समावेशित करता है।
3	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी तथा राज्य न्यायिक अकादमियों (एस.जे.ए.) की भूमिकाओं में अंतर तथा प्रयासों के दोहराव का परिवर्जन। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का मुख्य तुलनात्मक लाभ न्यायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में राष्ट्रीय दृष्टिकोण लाने की इसकी सामर्थ्य, सभी स्तरों के न्यायाधीशों के बीच राष्ट्रीय दृष्टिकोण समावेशित करना तथा राष्ट्रीय प्राथमिकता के प्रमुख मुद्दों जो कि राज्यों को अलग करते हैं पर ध्यान केन्द्रित करना है।	संतोषजनक। (1) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुद्दों पर केन्द्रित हो रहे हैं। (2) अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कैलेंडर में उच्च न्यायालयों की बैठकों का नियमित ब्यौरा वार्षिक कैल ेंडर बैठक एस.जे.ए. से दोहराव के परिवर्जन हेतु विकसित किया गया है। (3) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की मासिक बैठकें , राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी तथा अन्य एस.जे.ए. के बीच सहयोग उपलब्ध कराने हेतु आयोजित की जाती है।

4	एस.जे.ए. को सहायता तथा प्रोत्साहन	संतोषजनक प्रगति। 1) राज्य स्तर पर न्यायिक शिक्षा के विकास में सहायता हेतु इस वर्ष पांच (मासिक) कार्यक्रम एस.जे.ए. के साथ आयोजित किए गए। 2) देश के विभिन्न भागों में एस.जे.ए. के साथ संयुक्त रूप से मासिक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5	पाठ्यक्रम तथा अध्यापन विधि विकासः राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पाठ्यक्रम तथा अध्यापन विधियों के विकास हेतु एक इकाई स्थापित करेगा तथा इस संबंध में उपलब्ध जानकारी को एस.जे.ए. के साथ बांटेगा।	इकाई अभी स्थापित होनी है।
6	कार्यक्रम प्रकारः इन शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को 4 प्रकार के शैक्षणिक /प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की आवश्यकता होगी : (अ) अधिशेष तथा विलंब में कमी हेतु उपाय व तकनीकें सिखाने वाले कार्यक्रम, (ब) प्रमुख न्यायिक दक्षताएं तथा ज्ञान/न्यायिक विधि विकास उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम, (स) न्याय की मांग वा ले प्राथमिक क्षेत्रों पर न्यायाधीशों के दृष्टिकोणों को वृहद बनाने वाले कार्यक्रम, तथा (द) नवीन एवं उदीयमान क्षेत्र।	संतोषजनक प्रगति। इस दृष्टि के अनुसार पाठ्य क्रम पुनरीक्षित किया गया।
7	न्यायिक सुधार व नीतिगत विकास/न्यायालय सांख्यिकी : राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी रणनीतिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में विकास हेतु एक छोटी इकाई स्थापित करेगा जो कि न्यायिक सुधारों के माध्यम से न्यायिक प्रशासन के सशक्तिकरण पर सुचारू रूप से अनुसंधान कार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा। इसके एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एक न्यायालय सां ख्यिकी परियोजना स्थापित करेगा जो कि उच्चतम न्यायालय के विचार हेतु न्यायालय सांख्यिकी के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु नियम तथा नीतियां विकसित करेगा और न्यायालय सांख्यिकी का आवधिक विश्लेषण भी तैयार करेगा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी रणनीतिक लक्ष्यों पर केन्द्रित एक सक्रिय अनुसंधान कार्य ही संचालित करेगा।	न्यायिक सुधार एवं न्यायिक सांख्यिकी के विश्लेषण कार्य के विकास में संतोषजनक प्रगति। इकाई/परियोजना अभी स्थापित की जानी है। इकाई की तैयारी प्रगति पर है। ऐसी एक इकाई की संसदीय समिति द्वारा भी आवश्यकता प्रकट की गई है।

8	विधिक शिक्षा इतर न्यायिक शिक्षा का संकल्पना करण न्यायिक शिक्षा के पांच प्रमुख लक्ष्य : लक्ष्य 1 :– मूल जानकारी उपलब्ध कराना (एस.जे.ए.) कानूनों एवं केस विधियों पर सूचना अंतर को भरना उनके निर्वाचन सहित (एस.जे.ए.) लक्ष्य–2 :– नवीन/उदीयमान क्षेत्रों सहित आध ुनिक ज्ञान उपलब्ध कराना (एस.जे.ए. तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) लक्ष्य–3 :– न्यायाधीशों द्वारा निर्णय करने में प्रयोग की जाने वाली विधियों तथा प्रक्रियाओं को विकसित करना (''न्यायिक विधि'') यथ ा न्यायालय स्तर पर न्यायिक सुधार (एस.जे.ए. तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) लक्ष्य–4 :– कानूनों/केस विधियों के न्याय लक्ष्यों के प्रति न्यायाधीशों की बढ़ती हुई सामाजिक प्रतिबद्धता के दृष्टिकोण/दर्शन का सशक्तिकरण एवं न्यायिक निष्कर्ष प्राप्त करने में उनका संकल्प (एस.जे.ए. तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी)	संतोषजनक प्रगति (नीचे देखें) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को समानुदेशित भूमिकाओं को पूरा करने में पाठ्यक्रम के पुनर्गठन में संतोषजनक प्रगति
9	न्यायिक शिक्षा हेतु एक स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य स्थापित करना (''क्यों''?)	संतोषजनक प्रगति (अधोलिखित विमर्ष देखें)
10	हितधारियों/लक्षित वर्गों की स्पष्ट पहचान तथा कार्य क्रमों का उद्देश्य (''क्यों''? ''कब''?) :	संतोषजनक प्रगति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीशों, कनिष्ठ न्यायाधीशों के साथ–साथ कार्य आधारित वर्गों के न्यायाधीशों हेतु नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। जजों के अतिरिक्त अन्य भागीदारों हेतु कार्य क्रम आरंभ नहीं किया गया।
11	पाठ्यक्रम तथा नए प्रोग्रामों का विकास करना (''क्या''?)	संतोषजनक प्रगति। नवीन पाठ्यक्रम तथा कई नए कार्यक्रम विकसित।
12	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों का वीडियो कॉनफ्रेंसिंग/वेब स्ट्रीमिंग लिंग्स एव राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की वेबसाइट पर सामग्री प्रेषित करने के माध्यम से प्रसार	पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं।
13	प्रभाव मूल्यांकन	पाठ्यक्रम मूल्यांकन को लागू करने तथा प्रभाव मूल्यांकन हेतु नए ढांचे के विकास में संतोषजनक प्रगति।

14	अध्यापन तथा वितरण विधियों में विकास करना (''कैसे''?)	संतोषजनक प्रगति। प्रतिरूपणों, चर्चाओं, प्रायोगिक शिक्षण आदि का प्रयोग प्रारंभ किया गया।
15	''न्यायिक विश्वविद्यालय'' के माध्यम से न्यायिक विज्ञान का विकास जो डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर सके और न्यायिक अधिकारियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल.एल.एम. डिग्रियां प्रदान कर सकें (प्रारंभ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से)। न्यायिक विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ए.डी.आर. जैसे कि माध्य स्थम पर एक छः मास का डिप्लोमा पाठ्य क्रम, माध्यस्थम पर एक संक्षिप्त प्रमाण पत्र पाठ्य क्रम प्रस्तुत कर सकता है, न्यायाधीशों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर बक्शे तैयार कर सकता है तथा न्यायिक मुद्दों पर डॉक्ट्रेट अनुसंधान के अवसर प्रदान कर सकता है।	कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है।
16	गुणवत्ता नियंत्रण : राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के ऐसे शैक्षणिक कार्य क्रमों जो कि स्वतंत्र हैं तथा जो उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा संचालित हैं, के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उचित कार्यप्रणाली स्थापित करनी चाहिए।	अब तक नहीं किया गया।
17	ई–समिति के साथ सहयोग : अतिशेष तथा विलंब में कमी में जोर दिए जाने पर, न्यायालयों तथा न्यायिक शिक्षा प्रदान करने में अधिक तकनीकी के अनुप्रयोग की शिक्षा की आवश्यकता पर, ई–समिति से सहयोग की आवश्यकता होगी। ई–समिति, न्यायालय में तकनीक के प्रयोग से संबंधित मामलों में तथा यह सुनिश्चित करने में कि न्यायिक शिक्षा ई–कमेटी द्वारा दिए गए तकनीकी हलों से पूरी तरह संगत बनी रहे, मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।	संतोषजनक प्रगति।
18	बेहतर न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु कार्यप्रणाली : राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एक प्रस्तावित कार्यप्रणाली राज्य उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालयों के विचार हेतु यह सुनि श्चित करने के लिए कि न्यायिक शिक्षा (प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव सहित) जजों की आवश्यकताओं से उनकी जिम्मेदारियों के संदर्भ में संगत है।	अब तक नहीं किया गया।
19	संसाधन सामग्री	गुणवत्ता प्रभावशील तरीके से बढ़ी है, प्रसार भी बढ़ा है।
20	संकाय–सदस्य	नए पद सृजितः शासी परिषद द्वारा नई संगठनात्मक संरचना स्वीकृत, सरकार द्वारा स्वीकृति लंबित, संकाय गुणवत्ता में वृद्धि, पूर्ण नया दल गठित, नवीन भर्ती हेतु अनेकों प्रयास किए गए, संख्या के संदर्भ में संकाय सदस्य अभी भी सारवान रूप से अपर्याप्त।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के लक्ष्य तथा उद्देश्य प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति को कार्यान्वित करने में कुल मिलाकर संतोषजनक प्रगति हुई है। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के कार्यान्वयन के पश्चात इन चार वर्षों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में बहुत से नए महत्वपूर्ण विचार तथा कार्यक्रमों का विकास हुआ है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिनमें कार्यान्वयन को और अधिक दृढ़ता प्रदान करने की आवश्यकता है। इन मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं :–

1) प्रकाशन –
   - (अ) समाचार पत्र (न्याय अध्ययन हेतु नवीन भारतीय समाचार पत्र स्थापित, प्रथम अंक वर्तमान में मुद्रणाधीन),
   - (ब) व्यष्टि कार्यक्रमों के मुख्य निष्कर्ष तथा अनुशंसाओं का प्रसार करने के लिए बुलेटिन
   - (स) अनुसंधान निष्कर्ष
2) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में उभरती हुई नवीन/मूल विचार धारा पर प्रकाश डालते हुए न्यायिक शिक्षा कार्यक्रमों के विषय वस्तु तथा कार्य प्रणाली का प्रतिरूप विकसित करना (ऊपर विचारित), न्यायिक शिक्षा के दर्शन तथा मुख्य केन्द्र बिन्दु को दृढ़ करना तथा स्पष्ट करना,
3) न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए नीति निर्माण की अनुशंसाऐं तथा विमर्श प्रपत्र (समयबद्ध न्याय के लिए योजना तथा प्रबंधन सहित)
4) उच्चतम न्यायालय के न्यायशास्त्र पर केन्द्रित करते हुए विधि के मुख्य/चुने हुए क्षेत्रों में उच्च कोटि के ज्ञान का प्रसार करना
5) न्यायिक व्यवस्था तथा न्यायिक सांख्यिकी के विकास में अनुसंधान
6) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्टाफ क्षमता के साथ ही आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रिया का सशक्तिकरण
7) आधारभूत संरचना के आवश्यक परिवर्धन को पूरा करना
8) न्यायिक प्रणाली में अन्य भागीदारों के मध्य अंतर्चर्चा में वृद्धि को बढ़ावा देना
9) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

(1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत हमने 31 मार्च, 2011 की स्थिति में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल (अकादमी) के तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया। वर्ष 2012–13 तक की अवधि का लेखा परीक्षण सौंपा गया है। ये वित्तीय–पत्रक अकादमी की जवाबदेही हैं, हमारी जवाबदेही के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय–पत्रकों पर अभिमत प्रकट करना है।

(2) इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उचित लेखांकन कार्य प्रणालियों के साथ अनुरूपता, लेखाकंन प्रमापों एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ समाहित है । कानून, नियमों (उपयुक्तता एवं नियमानुकुलता) एवं कुशलता–सह–कार्य निष्पादन स्थिति आदि के संबंध में वित्तीय व्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, निरीक्षण, प्रतिवेदन/सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से पृथक से प्रतिवेदित है।

(3) हमने अपना लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत प्रमापों के अनुसार निष्पादित किया है। ये प्रमाप हमें लेखा–परीक्षा योजना एवं संपादन हेतु यथोचित आश्वासन प्रदान करते है, कि वित्तीय– पत्रक महत्वपूर्ण अशुद्ध वर्णन से मुक्त है। लेखा परीक्षा में नमूना आधार पर जाँच, राशियों के सहायक में तथ्य एवं वित्तीय विवरण पत्रकों में प्रकटीकरण सम्मिलित है। इस लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा लेखांकन सिद्वांतों का प्रयोग एवं सार्थक प्राक्कलन तथा वित्तीय पत्रकों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के निर्धारण का भी लेखा परीक्षा सम्मिलित है। हम विश्वास करते है कि हमारे अभिमत के उचित आधार हमारी लेखा परीक्षा प्रदान करती है।

(4) हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते है :

(I) हमने उन समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(II) इस प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र एवं आय–व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रपत्रों पर तैयार किए गए है।

(III) हमारे मतानुसार अकादमी ने उचित लेखा पुस्तकें एवं अन्य संबंधित अभिलेख संधारित किए है ऐसा इन पुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है।

(IV) हम पुनः प्रतिवेदित करते है।

अ. तुलन–पत्र

1. परिसंपत्तियाँ

1.1 मार्च 31, 2011 की स्थिति में परिशिष्ठ–4 एवं स्थायी आस्तियां पंजी का मिलान न होना।

31 मार्च 2011 की स्थिति में तुलन–पत्र के भाग के रूप में सम्मलित स्थायी आस्तियों के परिशिष्ठ–4 के आंकड़ों और स्थायी आस्तियों की पंजी के आंकडों का परीक्षण करने पर निम्नलिखित अंतर दर्शाता है :–

क्रं	संपत्ति का नाम	अनुसूची–4 के अनुसार राशि	स्थायी संपत्ति पंजी के अनुसार राशि	अंतर (+) अतिरिक्त
1	दृश्य–श्रव्य प्रणाली	*6188923.00*	*6039975.00*	*(+) 148948.00*
योग		**6188923.00**	**6039975.00**	**(+) 148948.00**

राशियों के अंतर के मिलान की आवश्यकता है।

ब. अनुदान सहायता

अकादमी के पास गत वर्षो की अव्ययित अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) के रूप में राशि रू. 1.90 करोड़ थीं। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) राशि रू. 9.72 करोड़ प्राप्त हुई। इस प्रकार अकादमी के पास कुल अनुदान की कुल राशि रू. 11.62 करोड़ उपलब्ध थीं, जिसमें से रू. 7.48 करोड़ का उपयोग किया गया एवं शेष राशि रू. 4.14 करोड़ अव्ययित अनुदान के रूप में 2010–11 के अंत में शेष थीं।

स. प्रबंधकीय पत्र

कमियाँ जिन्हें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मलित नहीं किया गया है, उन्हें अकादमी को प्रबंधकीय पत्र के माध्यम से सुधारात्मक/सुधार के लिये पृथक से ध्यान में लाया गया है।

(I) पूर्वगामी परिच्छेद में हमारी टिप्पणी के अधीन हम प्रतिवेदित करते है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों से समानता रखते है।

(II) मेरे मतानुसार एवं मुझे प्राप्त समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार इन वित्तीय पत्रकों को लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणी एवं उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अन्य तथ्यों को अनुसूची में उल्लिखित के साथ पढ़ने पर भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में सत्य और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के कार्यो के तुलन–पत्र से संबंधित है एवं

(ब) जहाँ तक यह उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते के आधिक्य से संबंधित है।

वास्ते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए

हस्ता/–

प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं कमर्शियल ऑडिट)
मध्य प्रदेश, ग्वालियरस्थान : ग्वालियर
दिनांक : 17.01.2012.

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट

1. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की उपयुक्तता

अकादमी ने मेमोरैन्डम ऑफ एसोशिएशन के चाहे अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन के लिए नियम एवं विनियम (सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं क्रय नियम) अभी तैयार नहीं किये गये हैं। जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।

2. आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की उपयुक्तता

अकादमी की आन्तरिक लेखा परीक्षा, मुख्य लेखा नियंत्रक, कानून विधि एवं कम्पनी कार्य विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा की जाती है।

3. सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2010–11 के लिए सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

माल सूची का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया ।

5. वैधानिक देयताओं का भुगतान

वैधानिक देयताओं के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं थी ।

हस्ता/–

लेखा परीक्षा अधिकारी/एस.ए.आर.

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,
भदभदा रोड़, पो. आ. सूरज नगर, भोपाल – 462044
की गई कार्यवाही प्रतिवेदन/ लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ.

<table>
<tr><th>सं.</th><th>लेखा परीक्षण – टिप्पणियाँ</th><th>की गई कार्यवाही प्रतिवेदन/ लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर</th></tr>
<tr><td colspan="3">अ. तुलन–पत्र</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>परिसंपत्तियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>मार्च 31, 2011 की स्थिति में परिशिष्ठ–4 एवं स्थायी आस्तियां पंजी का मिलान न होना।

31 मार्च 2011 की स्थिति में तुलन–पत्र के भाग के रूप में सम्मलित स्थायी आस्तियों के परिशिष्ठ–4 के आंकड़ों और स्थायी आस्तियों की पंजी के आंकडों का परीक्षण करने पर निम्नलिखित अंतर दर्शाता है :–
<table>
<tr><th>क्रं</th><th>संपत्ति का नाम</th><th>अनुसूची–4 के अनुसार राशि</th><th>स्थायी संपत्ति पंजी के अनुसार राशि</th><th>अंतर (+) अतिरिक्त</th></tr>
<tr><td>1</td><td>दृश्य–श्रव्य प्रणाली</td><td>6188923.00</td><td>6039975.00</td><td>(+) 148948.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>6188923.00</td><td>6039975.00</td><td>(+) 148948.00</td></tr>
</table>
राशियों के अंतर के मिलान की आवश्यकता है।</td><td>1) श्रव्य–दृश्य प्रणाली

रूपये 148948/– का अंतर निम्न कारण से है।

वर्ष 2007–08 के दौरान राशि रूपये 1 ,48,948/– का भुगतान मेसर्स लाल इऑन एक्चेन्ज केमिकल्स प्रा. लि. भोपाल को जल शोधन संयत्र को मजबूत करने के संबंध में भुगतान किया गया था। यह राशि त्रुटिवश श्रव्य–दृश्य प्रणाली के अन्तर्गत संमलित थ ी, इसलिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्थाई आस्ति के परिशिष्ट–4 में आवश्यक समायोजन कर लिया गया है।</td></tr>
</table>

ब. अनुदान सहायता	
अकादमी के पास गत वर्षो की अव्ययित अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) के रूप में राशि रू. 1.90 करोड़ थी। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) राशि रू. 9.72 करोड़ प्राप्त हुई। इस प्रकार अकादमी के पास कुल अनुदान की कुल राशि रू . 11.62 करोड़ उपलब्ध थी, जिसमें से रू. 7.48 करोड़ का उपयोग किया गया एवं शेष राशि रू. 4.14 करोड़ अव्ययित अनुदान के रूप में 2010–11 के अंत में शेष थी।	विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग के द्वारा जारी पत्र क्रमांक जे–13011/4/2011–जे .आर. दिनांक 05 . 10.2011 के अनुरूप अकादमी के पास उपलब्ध अव्ययित अनुदान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान पुनरीक्षित किये गये थे। वर्ष 2011–12 के लिए पुनरीक्षित अनुमान अकादमी के पत्र क्रमांक एन .जे.ए./एका.एण्ड ऑडिट/14/4098 दिनांक 14.10.2011 के द्वारा न्याय विभाग को प्र`षित कर दिये गये थे। अव्ययित अनुदान की राशि रूपये 4.14 करोड़ अकादमी के द्वारा वर्ष 2011–12 में पूर्णतः उपयोग कर ली गई है और उपयोगिता प्रमाण पत्र न्याय विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं।
स. प्रबंधकीय पत्र	
भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये समय सार्गल धनादेशों को वापस नहीं लिखना। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के द्वारा आठ धनादेश राशि रूपये 56866/– के जारी कि ये गये लेकिन संबंधितों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किय गये हैं (छः माह से अधिक पुराने) जिससे अकादमी का बैंक खाता कम दर्शाया गया इसी तरह समान राशि से विविध लेनदार भी कम दर्शाये गये।	वर्ष 2011–12 के अकादमी के लेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर ली गई हैं।

लेखों पर टिप्पणी	
अनुसूची	
<u>आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की उपयुक्तता</u> अकादमी ने मेमोरैन्डम ऑफ एसोशिएशन के चाहे अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन के लिए नियम एवं विनियम (सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं क्रय नियम) अभी तैयार नहीं किये गये हैं। जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।	भारत सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों हेतु नियमों और विनियमों को तैयार करने हेतु शासी परिषद की बैठक दिनांक 02 .08.2011 में एक समीति गठित की गई है। अकादमी द्वारा निष्ठापूर्वक सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)–2005 को ध्यान में रखते हुये दिन प्रतिदिन के कामकाज निष्पादित किये जाते है। जब तक वित्तीय सलाहकार एवं कुल सचिव (प्रशासनिक) का पद तैयार किये जाने वाले नियमों के अनुरूप भरा जाता है अकादमी केन्द्र स रकार के नियमों का पालन करेगी।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2011 पर)

(राशि रू. में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
पूँजीगत निधि एवं दायित्व :			
पूँजीगत निधि	1	11 20 82 196.29	7 49 91 973.29
विशिष्ट प्रयोजन निधि	2	2 23 09 562.00	7 33 78 042.00
चालू दायित्व एवं प्रावधान	3	81 63 238.00	1 20 26 562.00
योग –		**14 25 54 996.29**	**16 03 96 577.29**
परिसंपत्तियाँ :			
स्थिर अस्तियाँ			
अ) शासकीय अनुदान से निर्मित (नाम मात्र लागत पर)	4	1 800.00	1 800.00
ब) अन्य स्थिर आस्तियाँ (अपलिखित मूल्य पर)		7 96 789.00	9 61 584.00
चालू आस्तियाँ, अग्रिम एवं जमा	5	14 17 56 407.29	15 94 33 173.29
योग –		14 25 54 996.29	16 03 96 557.29
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	9		

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

आय एवं व्यय लेखा

(31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि रू. में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
आय :			
गैर योजना आयगत अनुदान राशि		9 72 00 000.00	6 70 00 000.00
बैंक जमा एवं सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	6	48 67 272.49	32 55 492.32
ठहरने एवं भोजन से प्राप्ति		66 24 500.00	59 55 820.00
पंजीयन शुल्क		13 17 000.00	12 57 000.00
पोस्ट आफिस व बैंक से विद्युत प्रभार एवं किराया प्राप्त		55 900.00	58 287.20
एनजेए पब्लिकेशन का विक्रय		72 882.00	38 421.00
विद्युत, जल एवं केबल प्रभार की वसूली		2 25 185.00	1 70 812.00
निविदा शुल्क		51 000.00	1 53 750.00
विविध आय		80 619.00	75 557.20
कार्य निष्पादन प्रतिभूति जब्त		39 060.00	0.00
प्रतिभूति जमा जब्त		1 63 731.00	0.00
अकादमिक कार्यक्रम –श्रीलंका के न्यायाधीशों हेतु		7 50 626.00	0.00
आकादमिक प्रोग्राम – के.प्र.अ.		2 74 425.00	2 94 242.00
योग – अ		**11 17 22 200.49**	**7 82 59 381.72**
व्यय :			
स्थापना व्यय	7	2 40 71 366.00	2 50 95 700.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	8	4 93 75 397.49	4 56 86 204.94
ह्रास	4	1 08 728.00	1 34 649.00
योग – ब		**7 35 55 491.49**	**7 09 16 553.94**
शेष (अ–ब)		**3 81 66 709.00**	**73 42 827.78**
घटाएं– पूर्व समय के व्यय		8 16 386.00	6 28 809.85
घटाऐं– पूर्व अवधि समायोजन		2 60 100.00	5 219.00
व्यय पर आय के शेष के आधिक्य को पूंजीगत निधि में हस्तांतरित		**3 70 90 223.00**	**67 08 798.93**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	9		

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि रू. में)

प्राप्ति			भुगतान		
विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–2010	विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–2010
प्रारंभिक शेष			व्यय		
अ. रोकड़ हस्ते	0.00	565.00	अ. स्थापना व्यय	21768641.00	24541314.00
ब. रोकड़ बैंक में					
1. बचत खाते में	50516356.55	3544402.59	ब. प्रशासनिक व्यय	46640502.99	42692228.49
2. चालू खाते में	393625.00	1122965.00			
3. स्थायी जमा में	105761000.00	112500000.00	पूंजीगत अनुदान की वापसी	51200000.00	
स. एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	96658.00	58010.00	स्थिर परिसंपत्तियों पर व्यय		
			पूंजीगत कार्य पर व्यय :		
द. मार्गस्थ कोष	0.00	27800000.00	अ. स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीदी	472851.00	1781695.00
भारत शासन से गैर योजना अंतर्गत प्राप्त आयगत अनुदान	44700000.00	67000000.00	ब. पुस्तकालय हेतु पुस्तके	1985506.00	3472893.00
जमा पर प्राप्त ब्याज					
अ) बचत खाते पर	1120741.00	617875.00	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के साथ अमानत राशि जमा	13300.00	12500.00
ब) सावधि जमा खाते पर	5277215.00	3591281.00	आयकर (टी.डी.एस.) जमा	1466013.00	2472361.00
स) एमपीएसईबी के साथ प्रतिभूति जमा पर	96583.99	104444.49	वेट जमा	584041.00	804325.00
द) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना पर ब्याज	3085.00	2690.00	वृत्तिकर	146320.00	125116.00
पंजीयन शुल्क	1220000.00	1238000.00	अन्य को कटोत्रियों का भुगतान	1901141.00	867228.00
किराया/विद्युत प्रभार प्राप्त	55900.00	49118.20	अन्य दायित्व	128215.00	
बैंक प्रभार की बैंक द्वारा वापसी	0.00	16267.00	विविध लेनदार	1350404.00	46282.00
विविध आय	57029.00	7946.20	अंकेक्षण शुल्क	0.00	29891.00
ठहरने एवं भोजन से प्राप्ति	6367200.00	5883520.00	सावधि जमा खाता	0.00	112131000.00
एन.जे.ए. पब्लिशन का विक्रय	72882.00	38421.00	स्टॉफ को अग्रिम	0.00	47000.00
निविदा शुल्क	51000.00	153750.00	पूर्व अवधि के व्यय/ समायोजन	914136.00	13260.00
आकादमिक प्रोग्राम –के.प्र.अ.	274425.00	294242.00	पूर्वदत्त व्यय	597731.00	597764.00
आकादमिक प्रोग्राम – श्रीलंका के न्यायाधीशों हेतु	750626.00	0.00	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. द्वारा कर की कटोत्री	4215.00	9322.00
विविध प्राप्य	73450.00	101100.00	देय व्यय	6004753.00	
विविध प्राप्तियां	0.00	92940.00	देय पी.एफ	123143.00	
कोठारी फोटोस्टेट एवं टायपिंक सेंटर	26198.19	1292571.56	देय वेतन	1581384.00	
जप्त की गई प्रतिभूति जमा	156731.00	23514.00			
प्रतिभूति जमा	16696.00	0.00			
सावधि जमा खाता	0.00	115940666.00			
बसूली/ कटौतियाँ			अंतिम शेष		
अ) वेतन पर आयकर कटौती	869054.00	1451830.00	अ. रोकड़ हस्ते	0.00	0.00
ब) ठेकेदारों के भुगतान पर आयकर कटौती	510150.00	465968.00	ब. रोकड़ बैंक में		
स) वेट कटौती	490317.00	762853.00	1) बचत खाते में	14910856.74	50516356.55
द) वेतन से कटौतियाँ	1820932.00	809880.00	2) चालू खाते में	514420.00	393625.00
इ) कार्यनिष्पादन प्रतिभूति	21718.00				
उ) कर्मचारियों से अग्रिम की बसूली	0.00	582.00	3) मियादी जमा खाते में	70000000.00	105761000.00
फ) रोकी गई राशि	449762.00	585500.00	4) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	121439.00	96658.00
ग) कर्नाटक न्यायिक अकादमी	0.00	54094.00			
घ) पुराने धनादेश	0.00	70681.00			
ङ) रोकी गई राशि (रिटेनशन राशि)	805742.00	578195.00			
च) केबल, पानी एवं विद्युत प्रभार	205920.00	0.00			
छ) वेतन से कटौत्री (एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना)	21696.00	35958.00			
ज) वृत्तिकर	146320.00	121989.00			
योग	**222429012.73**	**346411819.04**		**222429012.73**	**346411819.04**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 पर तुलनपत्र का हिस्सा है

अनुसूची–1

पूँजीगत निधि

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
प्रारंभिक शेष	7 49 91 973.29	6 82 83 174.36
जोंड़े– वर्ष के दौरान आय एवं व्यय लेखा अनुसार आधिक्य	3 70 90 223.00	67 08 798.93
वर्षान्त शेष	**11 20 82 196.29**	**7 49 91 973.29**

अनुसूची–2

विशिष्ट प्रयोजन निधि

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
अ. निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापों हेतु निधि का प्रारम्भिक शेष	7 33 78 042.00	7 80 86 890.00
जोड़ेगे – सावधि जमा पर ब्याज	26 22 458.00	28 97 177.00
जोड़ेगे – फोटोकॉपी मशीन से प्राप्ति	4 000.00	0.00
योग (अ)	**7 60 04 500.00**	**8 09 84 067.00**
घटाएं– 1) भवन	0.00	49 226.00
2) पुस्तकालय हेतु किताबें	20 02 887.00	53 93 322.00
3) अन्य संपत्तियाँ	4 92 051.00	21 63 477.00
4) भारत सरकार को वापस की गई राशि	5 12 00 000.00	0.00
योग (ब)	**5 36 94 938.00**	**76 06 025.00**
आगामी वर्ष हेतु शेष अनुदान आगे ले गये (अ – ब)	**2 23 09 562.00**	**7 33 78 042.00**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 पर तुलनपत्र का हिस्सा है

अनुसूची–3

चालू दायित्व एवं प्रावधान

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
अ. चालू दायित्व :		
विविध लेनदार	6 06 533.00	10 02 583.00
1. वेतन से कटौतियाँ		
जी.पी.एफ. / सी.पी.एफ.	15 215.00	76 593.00
वी.पी.एफ.	15 000.00	0.00
एच.बी.एल पर ब्याज	1 000.00	1 000.00
वृत्तिकर	780.00	0.00
एस.एल.आई	250.00	600.00
एस.जी.ई / जी.आई.एस	3 820.00	2 860.00
कर्मचारी कल्याण कोष	15.00	30.00
टियर–1 कर्मचारी का अंशदान	913.00	886.00
सी.एम.टी.डी. रेलवे	1 000.00	1 000.00
2. अन्य दायित्व		
देय अंकेक्षण शुल्क	59 782.00	29 891.00
एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	1 21 439.00	96 658.00
कार्यनिष्पादन सुरक्षानिधि	4 625.00	12 600.00
मेसर्स एस.एल.छाजेड़ एण्ड कम्पनी	0.00	7 575.00
देय मानदेय	1 500.00	23 922.00
स्टाफ को देय	1 656.00	9 671.00
पुराने धनादेश	1 11 405.00	1 77 276.00
जमा सुरक्षानिधि	7 47 880.00	7 50 456.00
रोकी गई राशि	6 06 262.00	6 28 832.00
रिटेनशन राशि	16 49 102.00	12 87 948.00
3. वैधानिक दायित्व		
देय भविष्य निधि	1 45 813.00	1 23 143.00
देय मूल्य वर्धित कर	15 732.00	1 09 456.00
देय टी.डी.एस.	14 636.00	97 445.00
योग– (अ)	**41 24 358.00**	**44 40 425.00**
ब. प्रावधान :		
देय वेतन	16 51 425.00	15 81 384.00
देय व्यय	23 87 455.00	60 04 753.00
योग– ब	**40 38 880.00**	**75 86 137.00**
योग (अ + ब)	**81 63 238.00**	**1 20 26 562.00**

हस्ता / –
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता / –
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 पर तुलन पत्र का हिस्सा हैं

अनुसूची–4

स्थिर आस्तियाँ

पूँजी अनुदान से निर्मित आस्तियां

स.क्रं.	विवरण	सकल संपत्तियाँ							अनुदान में से कटौतियां			पुस्तक मूल्य	
		ह्रास की दर प्रतिशत	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2010 के पूर्व)	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2010 के बाद)	वर्ष के दौरान समायोजन		वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में नाम मात्र की लागत	गत वर्ष के अंत में नाम मात्र की लागत
						बढ़ोत्तरी	कटौती						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8	10	11	12	13=9-12	14
अ) स्थायी संपत्तियां													
1	भवन		542363815.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	542359815.00	542363715.00	-4000.00	542359715.00	100.00	100.00
2	फर्नीचर एवं फिक्चर										0.00		
अ)	फ/फ वीआईपी गेस्ट हाउस		5837450.00	8037.00	0.00	0.00	0.00	5845487.00	5837350.00	8037.00	5845387.00	100.00	100.00
ब)	आडिटोरियम का अंतरंग कार्य		7118473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7118473.00	7118373.00	0.00	7118373.00	100.00	100.00
स)	हॉस्टल फर्नीचर		20851031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20851031.00	20850931.00	0.00	20850931.00	100.00	100.00
द)	अन्य फर्नीचर एवं फिक्चर		9395022.00	0.00	144640.00	0.00	0.00	9539662.00	9394922.00	144640.00	9539562.00	100.00	100.00
3	विद्युत संस्थापन										0.00		
अ)	वायु अनुकूलन संयंत्र		40004017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40004017.00	40003917.00	0.00	40003917.00	100.00	100.00
ब)	श्रव्य–दृश्य प्रणाली		6051137.00	0.00	137786.00	0.00	0.00	6188923.00	6051037.00	137786.00	6188823.00	100.00	100.00
स)	अन्य विद्युत संस्थापन		45063216.00	44375.00	10500.00	0.00	0.00	45118091.00	45063116.00	54875.00	45117991.00	100.00	100.00
द)	सौर जल वाष्पीकरण प्रणाली		1575135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1575135.00	1575035.00	0.00	1575035.00	100.00	100.00
4	जलापूर्ति प्रणाली		9222907.00	36713.00	0.00	0.00	0.00	9259620.00	9222807.00	36713.00	9259520.00	100.00	100.00
5	कार्यालय उपकरण										0.00		
अ)	ई.पी.ए.बी.एक्स		2060000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2060000.00	2059900.00	0.00	2059900.00	100.00	100.00
ब)	अन्य कार्यालय उपकरण		246252.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	356252.00	246152.00	110000.00	356152.00	100.00	100.00
6	कम्प्यूटर		16879994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16879994.00	16879894.00	0.00	16879894.00	100.00	100.00
7	टी.वी.		449000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449000.00	448900.00	0.00	448900.00	100.00	100.00
8	रसोईघर उपकरण		6336613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6336613.00	6336513.00	0.00	6336513.00	100.00	100.00
9	व्यायामशाला उपकरण		880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880000.00	879900.00	0.00	879900.00	100.00	100.00
10	वाहन		34462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34462.00	34362.00	0.00	34362.00	100.00	100.00
11	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें		12,393,978.00	1962098.00	27076.00	0.00	185.00	14382967.00	12393878.00	1988989.00	14382867.00	100.00	100.00
कुल			726762502.00	2161223.00	320002.00	0.00	4185.00	729239542.00	726760702.00	2477040.00	729237742.00	1800.00	1800.00

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

स्वयं की निधि से निर्मित आस्तियां

स.क्रं.	विवरण	सकल संपत्तियाँ							ह्रास					शुद्ध संपत्तियाँ	
		ह्रास की प्रतिशत दर	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2010 के पूर्व)	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2010 के बाद)	वर्ष के दौरान समायोजन		वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान बेची गई सम्पत्ति पर	वर्ष के प्रारंभ में शुरूआती शेष	वर्ष के दौरान बढ़ौत्तरी पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
						बढ़ोत्तरी	कटौती								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8	10	11	12	13	14=10-11+12+13	15=9-14	16
1	वाहन	15%	1211796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1211796.00	868310.00	0.00	51523.00	0.00	919833.00	291963.00	343466.00
2	ओवरहेड प्रोजेक्टर	15%	21893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21893.00	13636.00	0.00	1239.00	0.00	14875.00	7018.00	8257.00
4	फोटोकापीयर	15%	287588.00	0.00	0.00	0.00	248750.00	38838.00	225267.00	192663.00	934.00	0.00	33538.00	5300.00	62321.00
3	विद्युत संस्थापन	10%	135840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135840.00	75759.00	0.00	6008.00	0.00	81767.00	54073.00	60081.00
4	कम्प्यूटर	60%	362636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362636.00	362079.00	0.00	334.00	0.00	362413.00	223.00	557.00
5	फर्नीचर व फिक्चर	10%	758041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758041.00	271139.00	0.00	48690.00	0.00	319829.00	438212.00	486902.00
कुल			2777794.00	0.00	0.00	0.00	248750.00	2529044.00	1816190.00	192663.00	108728.00	0.00	1732255.00	796789.00	961584.00
महायोग			729540296.00	2161223.00	320002.00	0.00	252935.00	731768586.00	728576892.00	2669703.00				798589.00	963384.00

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 पर तुलनपत्र का हिस्सा है

अनुसूची–5

चालू सम्पत्तियाँ, अग्रिम एवं जमा

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
अ. चालू परिसम्पत्तियाँ :		
1. विविध प्राप्य	8 53 173.00	7 60 871.19
2. आग्रगत अनुदान (प्राप्य)	5 25 00 000.00	0.00
3. रोकड़ एवं बैंक शेष		
अ. हस्तगत रोकड़	0.00	0.00
ब. अनुसूचित बैकों में शेष		
चालू खाते में	5 14 420.00	3 93 625.00
बचत खाते में (विशिष्ट निधि के लिए रु. 2309562/–शामिल करते हुए)	1 49 10 856.74	5 05 16 356.55
बचत खाते में (एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना)	1 21 439.00	96 658.00
सावधि जमा खातों में (विशिष्ट निधि के लिए रू. 2.00 करोड़ सम्मिलित करते हुये)	7 00 00 000.00	10 57 61 000.00
योग (अ)	**13 88 99 888.74**	**15 75 28 510.74**
ब. अग्रिम एवं जमा		
1. अग्रिम एवं जमा		
कर्मचारियों को अग्रिम	0.00	47 000.00
राज्य न्यायायिक अकादमियों को अग्रिम	1 527.00	1 527.00
एम.पी.एस.ई.बी के साथ प्रतिभूति जमा	60 298.55	46 998.55
अन्य के साथ प्रतिभूति जमा	7 500.00	12 500.00
पूर्वदत्त व्यय	5 97 731.00	5 97 764.00
बैक एवं एमपीएसईबी द्वारा टीडीएस	2 74 963.00	2 70 748.00
अन्य के साथ जमा	37 800.00	37 800.00
2. उपार्जित आय		
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	18 76 699.00	8 90 325.00
योग (ब)	**28 56 518.55**	**19 04 662.55**
योग अ + ब	**14 17 56 407.29**	**15 94 33 173.29**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–6

अर्जित ब्याज

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
अनुसूचित बैंक में सावधि जमा पर	62 63 589.00	54 30 349.83
घटाईयें – विशिष्ट प्रयोजन निधि में प्रभारित ब्याज	- 26 22 458.00	- 28 97 177.00
एमपीएसईबी के साथ प्रतिभूति जमा पर	1 05 400.49	1 04 444.49
अनुसूचित बैंक में बचत जमा पर	11 20 741.00	6 17 875.00
योग	**48 67 272.49**	**32 55 492.32**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–7

स्थापना व्यय

(राशि रू. में)

विवरण	टीप संख्या	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
छठवें वेतनमान का बकाया		0.00	17 69 336.00
मानदेय – विशेषज्ञों को	1	12 52 800.00	7 73 000.00
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	2	77 428.00	35 361.00
अवकाश यात्रा रियायत व्यय		29 762.00	29 942.00
नवीन पेंशन योजना में एनजेए का अंशदान		9 962.00	16 843.00
एनजेए के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान		16 09 219.00	26 87 874.00
तदर्थ बोनस	3	1 97 456.00	1 46 220.00
वेतन एवं भत्ते		2 05 96 469.00	1 95 38 676.00
कर्मचारी कल्याण व्यय		59 312.00	45 198.00
शिक्षण शुल्क	4	1 48 290.00	53 250.00
वर्दी	5	90 668.00	0.00
योग		**2 40 71 366.00**	**2 50 95 700.00**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

टीप :–

1. वर्ष 2010–11 के दौरान 98 कार्यक्रमों हेतु 235 विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान 85 कार्यक्रमों हेतु 185 विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान किया गया था।

2. प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का भुगतान किया गया, जो कि रेल्वे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं।

3. भारत शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 7/24/2007/ई–111 (ए) दिनांक 22.09.2010 के अनुसार अकादमी के 60 कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया गया।

4. वर्ष 2009–10 के दौरान शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को गई थी एवं 2010–11 के दौरान शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति 7 प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को की गई।

5. वर्ष 2010–11 के दौरान 49 कर्मचारियों को गणवेश प्रदाय की गई थी।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–8

अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रू. में)

विवरण	टीप संख्या	चालू वर्ष 2010–11	गत वर्ष 2009–10
विज्ञापन व्यय		1 14 260.00	5 50 558.00
लेखा परीक्षा शुल्क		29 891.00	29 891.00
बैंक प्रभार		9 792.00	5 334.00
केबल बिछाने का कार्य		1 34 108.00	0.00
केबल प्रभार		2 07 000.00	1 80 000.00
खानपान व्यय	1	62 40 063.00	42 67 716.00
वृत्तिक व्यय	2	28 627.00	43 275.00
विद्युत व्यय		90 85 753.49	78 92 814.94
बगीचे का रखरखाब		20 46 060.00	25 34 360.00
जिम उपदेशक शुल्क		79 200.00	70 200.00
अतिथि गृह के व्यय	3	3 64 197.00	2 57 595.00
गृह व्यवस्था सेवा	4	10 11 040.00	8 46 125.00
धुलाई व्यय	2	3 22 065.00	3 01 244.00
पुस्तकालय व्यय	2	8 73 536.00	11 73 077.00
फोटो कॉपियर मशीन की विक्री पर हानि		50 087.00	0.00
चिकित्सा व्यय एवं सेवायें	5	11 20 642.00	10 91 505.00
मोमेन्टो		0.00	65 000.00
समाचार पत्र एवं पत्रिकायें		98 170.00	63 064.00
कार्यालय व्यय		34 813.00	76 564.00
अन्य प्रशिक्षण व्यय		36 551.00	24 170.00
प्रतिभागी बैग	3	3 57 500.00	3 20 300.00
अध्यापन सामग्री की पृष्ठभूमि तैयार करना		15 37 191.00	30 41 206.00
पी.ए. एवं साउड सिंस्टम		4 93 591.00	5 83 306.00
डाक व्यय		2 14 878.00	2 85 530.00
छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय	3	8 05 451.00	6 44 896.00
क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यय	6	22 60 888.00	15 39 525.00
सुरक्षा व्यय		36 56 883.00	37 51 788.00
परिवहन व्यय	2	38 84 598.00	28 57 264.00
दूरभाष एवं इंटरनेट व्यय		6 29 217.00	8 50 790.00
यात्रा व्यय	7	98 40 127.00	84 37 775.00
फोटोग्राफी व्यय		1 14 812.00	1 32 453.00
वाहन चालन एवं रखरखाव व्यय		1 79 677.00	2 16 704.00
जल प्रदाय व्यवस्था	8	5 46 677.00	3 82 966.00
योगा उपदेशक शुल्क	3	1 79 400.00	1 44 500.00
परिचालन मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	9	27 88 652.00	30 35 377.00
योग		**4 93 75 397.49**	**4 56 86 204.94**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–8

अन्य प्रशासनिक व्यय

टीप :–

1. दिनांक 1 जुलाई, 2010 से केबल का मासिक प्रभार रू. 15000/– से रू. 18000/– होने के कारण केबल प्रभार के व्यय में वृद्धि हुई है।
2. खानपान सेवायें, गृह व्यवस्था सेवा एवं धुलाई सेवाओं के व्ययों में वृद्धि उक्त सेवाओं की लागत में बृद्धि, उक्त सेवाओं के निविदा मूल्य जो कि खुली निविदा प्रक्रिया के पश्चात् प्राप्त हुई थी।
3. वर्ष 2009–10 के अकादमिक कार्यक्रम 85 से वर्ष 2010–11 में अकादमिक कार्यक्रम 98 होने के कारण जिम उपदेशक शुल्क, योगा उपदेशक शुल्क, लेखन एवं मुद्रण सामग्री एवं प्रतिभागियों के बैग की लागत में वृद्धि हुई।
4. अतिथि गृह क्रमांक–2 में पर्दे बदलने की लागत राशि रू. 1,33,950/– एवं राशि रू. 50,724/– भोजन मेंजों की चादर खरीदने के कारण अतिथि गृह के रखरखाब के व्ययों में वृद्धि हुई है।
5. 69 ठेका कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों से संबंधित चिकित्सा व्यय में रू. 7,58,438/– चिकित्सा बीमा प्रीमियम की राशि सम्मिलित है एवं अकादमी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में राशि रू. 1,44,004/– एवं शासी परिषद के अनुमोदन अनुसार कार्यक्रमों के दौरान मेसर्स चिरायु हेल्थ एवं मेडिकेयर प्रा. लि. से एक चिकित्सक की चिकित्सा सेवायें लेने हेतु शेष रू. 2,18,200/– सम्मिलित है।
6. क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यय के अन्तर्गत माह जून 2010 में दक्षिण अंचल क्षेत्रीय न्यायिक कार्यक्रम हेतु केरल उच्च न्यायालय को भुगतान की गई अंशदान की राशि रू. 10.00 लाख सम्मिलित है एवं कोलकत्ता में माह अगस्त 2010 में आयोजित पूर्व अंचल क्षेत्रीय कार्यक्रम हेतु कलकत्ता उच्च न्यायालय को भुगतान की गई शुद्ध राशि रू. 11,11,082/– सम्मिलित है।
7. वर्ष 2010–11 के दौरान अकादमिक कार्यक्रमों में 185 (2009–10) से 235 (2010–11) की वृद्धि एवं विशेषज्ञों में संख्या में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरुप हवाई किराए में आंशिक वृद्धि के कारण यात्रा व्ययों में वृद्धि हुई है।
8. जल प्रदाय व्यवस्था व्यय के अन्तर्गत अकादमी में स्थित जल शोधन संयंत्र में उपयोग रसायनों की लागत सम्मिलित है। भोपाल तालाब में बहुत खराब जल एवं जल की कमी के कारण रसायनों के उपभोग में वृद्धि हुई जिससे अकादमी में पीने योग्य जल उपलब्ध हो सके।
9. संचालन, मरम्मत एवं रखरखाब व्यय में राशि रू. 16,42,269/– एच.व्ही.ए.सी. संयंत्र के वार्षिक संचालन हेतु ठेके की राशि के व्यय सम्मिलित है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूची– 9

31 मार्च 2011, पर तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ

अ. <u>लेखांकन नीतियाँ–</u>

1- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अंतिम खाते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप जो सभी केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाओं के लिए हैं, में तैयार किए गये है।

2- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वित्तीय विवरण लेखों को उपार्जित पद्धति एवं एतिहासिक लागत चलन के आधार पर तैयार किया गया है, जब तक अन्यथा विवर्णित न हो।

3- <u>स्थायी आस्तियाँ</u>

3.1 स्वयं की निधि से निर्मित/प्राप्त संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत जिसमें प्राप्त करने से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा प्रत्यक्ष एवं अन्य व्ययों को सम्मलित किया गया है।

3.2 अनुदान से निर्मित/प्राप्त स्थायी आस्तियों की लागत को प्राप्त अनुदान से समायोजित किया गया है और तुलन पत्र में इन्हें नाम मात्र की लागत पर दर्शाया गया है।

4 <u>ह्रास</u>

4.1 स्वय की निधि से निर्मित संपत्तियों पर मूल्यहास, अपलिखित मूल्य पद्धति पर आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ठ दरों के अनुसार प्रावधित किया गया है।

4.2 पूँजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है और इन्हें तुलन पत्र में नाम मात्र पर ले जाया गया है।

4.3 रूपये 5000 अथवा उससे कम की संपत्ति लागत को पूर्णतः प्रावधित किया गया है।

5 <u>शासकीय अनुदान</u>

5.1 पूँजीगत अनदान जो संपत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है उसे संपत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने की लागत से घटाया गया है एवं अर्जित की गई संपत्तियाँ नाम मात्र की लागत पर दर्शाई गई है।

6 <u>ब्याज</u>

6.1 पूँजीगत अनुदान पर प्राप्त ब्याज पूँजीगत प्राप्ति की तरह दर्शाया गया है और पूँजीगत अनुदान खाते में जमा किया गया है। अन्य समस्त अनुदान पर अर्जित ब्याज, आयगत अनुदान को सम्मिलित करते हुए, अर्जित होने पर समिति की आय की तरह दर्शाया गया है।

ब. <u>लेखों पर टिप्पणियाँ–</u>

1. पूँजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पत्तियों की लागत, पूँजीगत अनुदान की राशि में से घटाई गई हैं। शेष अनुदान राशि को आगे बढ़ाया गया है। सुसंगत लेखांकन नीतियों के अनुसार, उपयोग किये गये पूंजीगत अनुदान की राशि से पृथक से पूँजी संचय का निर्माण नहीं किया गया हैं, और इन सम्पत्तियों पर ह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2011 तक निर्मित/प्राप्त संम्पत्तियों की कुल लागत निम्नानुसार हैं:

	विवरण	31.03.2011 को (₹)	31.03.2010 को (₹)
(1)	भवन	542359815.00	542363815.00
(2)	ग्रंथालय पुस्तकें	14382967.00	12393978.00
(3)	फर्नीचर एवं फ्क्चिर्स	43492439.00	43201976.00
(4)	कम्प्युटर	16879994.00	16879994.00
(5)	विद्युत संस्थापनाएँ	92748380.00	92693505.00
(6)	जल प्रदाय प्रणाली	9259620.00	9222907.00
(7)	कार्यालयीन उपकरण	2416252.00	2306252.00
(8)	रसोईघर उपकरण	6336613.00	6336613.00
(9)	जिम्नेजियम उपकरण	880000.00	880000.00
(10)	टी.वी	449000.00	449000.00
(11)	वाहन	34462.00	34462.00
	योग	729239542.00	726762502.00

2 <u>सावधि जमा पर अर्जित ब्याज</u>

नवम्बर, 2010 तक सावधि जमा पर अर्जित ब्याज रू. 39,86,989/– का विभाजन पूंजीनिधि एवं विशिष्ट प्रयोजन निधि के मध्य प्रारंभिक शेष के आधार पर किया गया है। दिसम्बर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान उपार्जित ब्याज का विभाजन 5:2 के अनुपात में किया गया है, क्योंकि भारत शासन को रू. 5.12 करोड़ विशिष्ट प्रयोजन निधि वापस करने के पश्चात् विशिष्ट प्रयोजन निधि रू. 2.00 करोड़ उपलब्ध थी।

विवरण	राशि (₹)
विशिष्ट प्रयोजन निधि को प्रभारित ब्याज	2622458.00
आय व्यय खाते में प्रभारित ब्याज	3641131.00
योग (₹)	6263589.00

3. 31 मार्च, 2011 की स्थिति में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में कुल 69 संविदा कर्मचारी एवं 1 अस्थाई कर्मचारी कार्यरत थे। जिसमें से 7 कर्मचारियों ने 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है और वे उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के दायरे में आते हैं। वर्ष के दौरान उपादान खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग ने पत्र क्रं. जे–12014/12/2009–जे.आर दिनांक 7 मार्च 2011 के द्वारा राशि रू. 5.25 करोड़ का आयगत अनुदान स्वीकृत किया था एवं धनादेश क्रमांक 870438 दिनांक 31.03.2011 अकादमी में 11 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हुआ था, इसलिए उपर्युक्त अनुदान उपार्जित आधार पर लेखांकन प्रणाली के अनुरूप आय एवं व्यय खाते में आय मानी गई है।

5. मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं पर्यावरण विभाग ने पत्र क्रमांक 3/43/32 दिनांक 18.07.1994 के द्वारा अकादमी को भवन निर्माण हेतु 62 एकड़ जमीन आवंटित की है।

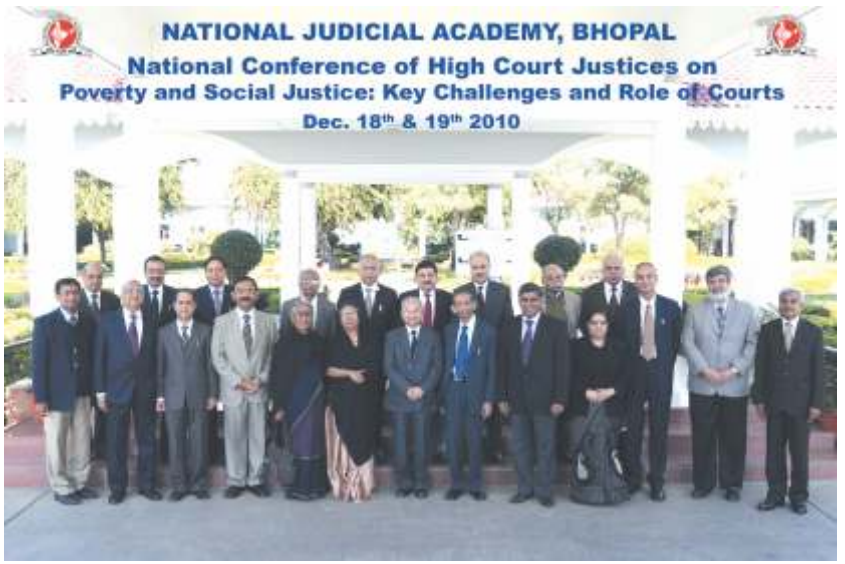
6. पूर्व वर्ष के आँकड़े आवश्यकतानुसार पुर्नसंगठित/पुर्नसंरचित किए गए हैं।

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. जी.मोहन गोपाल)
निदेशक


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management:
Adjudication of Cases Involving Domestic Violence
Aug. 13th - Aug. 17th 2010


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Seminar for Subordinate Court Judges on
Recent Developments in Commercial and Economic Law
Dec. 10th - Dec. 12th 2010


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Conference of High Court Justices on
Poverty and Social Justice: Key Challenges and Role of Courts
Dec. 18th & 19th 2010


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management:
Adjudication of cases Relating to Protection of Environment
Jan. 7th - Jan. 10th 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
Annual Calendar Meeting
2011 - 2012
12th March 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Orientation Programme for Newly Appointed ADJs
Apr. 22nd - Apr. 26th 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management:
Adjudication of Cases Involving Constitutional Rights & Civil Liberties
May 13th - May 16th 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Conference of Principal District Judges on
Court, Case Load and Case Management
May 13th - May 15th 2011





राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत
National Judicial Academy, India

मुद्रक : गीता आफसेट, भोपाल